राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क४] तृतीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र, १९६३ का २९वां दिवस [संख्या २१

सोमवार, दिनांक १६ सितम्बर, १९६३

———

विधान सभा की बैठक म. प. २ बज कर ३० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

[खनिज, पंचायत, शिक्षा, उद्योग, सामान्य प्रशासन, कृषि, सिचाई एवं खाद्य-विभाग]

खनिज सम्पदा के विकास हेतु नियम बनाने की आवश्यकता

७४३. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि खनिज सम्पदा के विकास हेतु निम्न मुद्दों पर नियम बनाये जाने आवश्यक हैं।

(a) Opening of new mines and regulation of mining operation.

(b) Regulation of the excavation of minerals.

(c) Regulation for the supply of minor minerals to the public on demand by the lessee and the maximum price which can be charged.

(२) क्या सरकार ने "The Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957." की धारा १५ की प्रदत्त शक्तियों के आधीन कोई नियम माइनर मिनरल्स के लिये बनाये ? यदि हां, तो प्रश्न नं० १ में बताये हुए मुद्दों पर क्या नियम बनाये हैं ?

(३) क्या सरकार राष्ट्रीय हित में यह उचित नहीं समझती कि एक्स्केवेशन ऑफ मिनरल्स व नई खानों के खोदने के बारे में व चालू खानों से सम्पूर्ण धातु निकाला जाय जिसके लिये लीज होल्डर्स को रूल्स बनाकर बाध्य किया जाय ताकि बहुत गहरा धातु भी बाहर निकाला जाय ?

Page No.2

उप मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) (a) No.

(b) No.

(c) No.

(२) हां, माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स। प्रश्न नं० १ मे बताये हुये मुद्दों पर कोई नियम नहीं बनाये गये।

(३) चालू खानों से सम्पूर्ण धातु निकाले जाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने जो मिनरल कन्जर्वेशन एण्ड डेवलपमेंट रूल्स, १९५८ बनाये हैं उसमें इन सब बातों का प्रावधान है; अतः राज्य सरकार को अब और विशेष नियम बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या मिनरल कन्जर्वेशन एण्ड डेवलपमेंट रूल्स, १९५८ माइनर मिनरल्स पर लागू नहीं होते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स अलग हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : मेरा प्रश्न यह है कि माइनर मिनरल्स पर मिनरल कन्जर्वेशन एण्ड डेवलपमेंट रूल्स, १९५८ लागू होते हैं क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हां लागू होते हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : ये लागू नहीं होते, इन रूल्स में यह साफ प्रावधान है कि ये माइनर मिनरल्स पर लागू नहीं होते, मेजर मिनरल्स पर ही लागू होते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हां। ऐसा है कि माइनर मिनरल्स पर इसलिये आवश्यक नहीं है कि इनमें मोनोपोली सिस्टम नहीं हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : मोनोपोली का सिस्टम है वहां.........

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसीलिये कि मूल्यों की दिक्कत नहीं।

श्री तेजाराम गहलोत : मैंने प्रश्न रखा कि ओपनिंग ऑफ न्यू माइन्स, रेगुलेशन ऑफ दी एक्स्केवेशन ऑफ मिनरल्स और सप्लाई के लिये नियम बनाने जरूरी हैं, क्या सरकार इस बारे में विचार रखती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि इनको बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): रूल्स नहीं होने के कारण ऊपर से निकाल लेते हैं और अनइकोनोमिक होती हैं उनको नहीं निकालते हैं, इससे नेशनल इन्कम को लौस होता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा है कि दी माइन्स एण्ड मिनरल्स (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) एक्ट, १९५७ की धारा १५ है उसके तहत माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स ५९ में बना दिये।

श्री तेजाराम गहलोत : उन रूल्स में जो मैंने ए., बी. और सी. में पूछा है उसके लिये कोई प्रावधान नहीं है इसलिये सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि इनके लिये सरकार आवश्यक नहीं समझती।

Page No.3

श्री राधाकिशन गोयल (टौंक) : आवश्यकता इसलिये है कि लीज़ होल्डर्स ऊपर ऊपर सर्फेस पर काम कर लेते हैं, नीचे जाने में आफत समझते हैं और सर्फेश पर से निकाल लेने के बाद उस खान को छोड़ कर दूसरे एरिया में चले जाते हैं, दूसरा एरिया ले लेते हैं इससे स्टेट एक्स्चेकर को नुकसान होता है, इसको रेगुलेट करने के लिये क्या सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी ?

प्रश्न संख्या ७४४

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

ग्राम पंचायत अलीगढ़ का ऑडिट

७४५. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों का लोकल फन्ड ऑडिट द्वारा हर साल ऑडिट किया जाता है ? यदि हां, तो उनकी रिपोर्ट पर क्या सरकार ध्यान देती है ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत अलीगढ़ पं. स. उनियारा, जि. टौंक का १९६०-६१, १९६१-६२ का ऑडिट नहीं किया गया है ? यदि नहीं, किया गया है तो क्यों ? यदि किया गया है तो ऑडिट रिपोर्ट्स सदन की मेज पर रखें।

(३) अब तक इन ऑडिट रिपोर्ट्स के अनुसार कितने सरपंचों एवं पंचायतों पर एक्शन लिए गए और उनकी पूर्ति करवाई गई ?

(४) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत अलीगढ़, पं. स. उनियारा की १९६१-६२ की ऑडिट रिपोर्ट में सरपंच पर गबन के आरोप तथा कई इर्रेगुलेरिटीज़ के नोट लगाए गए है? यदि हां, तो अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया ?

(५) सरकार ने यह जानते हुए भी कि ऑडिट रिपोर्ट में साफ यह जाहिर है कि उक्त अलीगढ सरपंच ने गबन किया है, आज तक धारा १७ (४) पंचायत एक्ट के तहत कार्यवाही क्यों नहीं की ?

(६) क्या सरकार ऑडिट रिपोर्ट को पर्याप्त नहीं मानती जिस पर कि एक्शन लिया जा सके ? यदि नहीं, तो ऑडिट क्यों करवाया जाता है ?

(७) क्या सरकार अब सरपंच के विरुद्ध एक्शन लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : उपाध्यक्ष महोदय, इसका जवाब अभी नहीं आ पाया है।

प्रपत्र संख्या ७४६

श्री उपाध्यक्ष : श्री जोधसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न सं० ७४७, श्री श्रवणलाल !

स्कूल के लिये श्रमदान

७४७. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री श्रवणलाल)

(१) क्या यह सही है कि हिन्डौन हाई स्कूल में जनता की ओर से १ लाख रुपये का श्रमदान किया जा चुका है ?

(२) क्या यह भी सच है कि सरकार की ओर से कोई कार्य नहीं किया गया है ?

(३) यदि हां, तो सरकार १ लाख का श्रमदान करने पर अपनी ओर से क्या कार्यवाही कर रही है ?

(४) क्या यह भी सच है कि स्कूल में जगह की कमी होने के कारण दो दो बैच चलाये जाते हैं ?

(५) क्या यह भी सच है कि लड़कों को जगह की कमी के कारण भरती नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या सोच रही है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) यह सही है कि हिन्डौन हाई स्कूल में जनता के द्वारा स्कूल के कमरे बनाये गये हैं जिस पर लगभग ६०–७० हजार रुपये खर्च हुए हैं, परन्तु इतने पर भी ये कमरे अधूरे बने हैं।

(२) व (३) यह सत्य नहीं है। सरकार की ओर से १०,०००) रु० की रकम अधूरे कमरों को पूरा करने के लिये स्वीकृत की थी और यह रकम इन कमरों की पूर्ति के लिये पी. डब्लू. डी. के निरीक्षण में उन कमरों के फर्श, छत एवं किवाड़ों के लगाये जाने में खर्च की जा रही है।

(४) जी हां। दो शिफ्ट चलाये जाते हैं।

(५) यह सत्य नहीं है कि छात्रों को जगह की कमी के कारण प्रवेश नहीं दिया जाता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

मेसर्स शारदा इन्डस्ट्रीज़ (प्रा०) लि०

७४८. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अक्टूबर सन् ६० से मार्च सन् ६१ के समय के लिये मेसर्स शारदा इन्डस्ट्रीज़ (प्रा०) लिमिटेड, जयपुर को आरम्भ में २० लाख का माल आयात करने के लिये एसेन्शियेलिटी सर्टिफिकेट मिला था ?

(ख) क्या यह सही है कि कुछ समय पश्चात् यह एसेन्शियेलिटी सर्टिफिकेट ४० लाख की कीमत के लगभग का कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) अन्त में इस फर्म को इस समय के लिये कितनी कीमत का एसेन्शियेलिटी सर्टिफिकेट मिला ?

(घ) इस एसेन्शियेलिटी सर्टिफिकेट के अनुसार कितनी कीमत का माल राजस्थान में आयात किया गया और कितनी कीमत के माल का सही उपयोग हुआ ?

(ङ) शारदा इन्डस्ट्रीज़ का उद्योग किस प्रकार का है और अब किस स्थिति में है ? कृपया इसका विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(च) क्या इस एसेन्शियेलिटी सर्टिफिकेट के दुगुना कर दिये जाने के सम्बन्ध में कोई विभागीय जांच की गई थी ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

उप मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (क) अक्टूबर, ६० मार्च, ६१ पीरियड

(श्री चन्दनमल वैद)

में शारदा इंडस्ट्रीज लि० जयपुर को कोई ई० सी० नहीं दिया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नही उठता।

(ङ) उनके उद्योग निम्न प्रकार है :

(१) एक्सेपेडेट मेटल

(२) नान फेरस-वायर डाइंग

(३) डाइ कॉस्टिंग्स

१–एक्सेपेडेट मेटल के लिये दो मशीन लग चुकी हैं और तीसरी मशीन भी छः माह पूर्व लग गई है।

२–पूरा वायर डाइंग सेट आ चुका है और प्रोडक्शन चालू है।

३–दो डाई कास्टिंग्स मशीन चार माह पूर्व चालू हो गई हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ७४६

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

राजस्थान स्टेट होटल, जयपुर

७५०. श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राजस्थान स्टेट होटल, जयपुर में १९६१–६२ में क्या लाभ व हानि हुई एवं इस होटल में कितनी वर्किंग केपिटल लगी हुई है ?

उप–मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि राजस्थान स्टेट होटल, जयपुर की परिसंपत्ति (Assets) का सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राजस्थान विद्युत् मंडल द्वारा वास्तविक अंकीकरण (Valuation) अभी तक नहीं हुआ है।

वैसे १९६१–६२ में राजस्थान स्टेट होटल की आय २,७०,२२३.२७ रुपये थी तथा कुल व्यय २,२५,७८१.७८ रुपये थी जिसके अनुसार बचत ४४,४११.४८ रुपये होती है। इस होटल का वर्किंग केपिटल भी लगभग चार लाख रुपया आंका जाता है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ४ लाख कब आंका गया था ?

श्री परसराम मदेरणा : रफ एस्टिमेट्स हैं, पी. डब्लू. डी. ने एस्टिमेट्स किये थे पर कीमतों में बड़ी ग्लेयरिंग मिस्टेक्स थी, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनकी होटल की बिल्डिंग्स में शामिल कर लिया, जैसे कुछ बाहर के क्वार्टर्स हैं। इलेक्ट्रिक एप्लाएन्सेज हैं उनकी नीची कीमतें आंकी हैं इसलिये लिखा गया है कि री-वेल्यूएशन करें होटल की बिल्डिंग का।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशलाल पलिया !

खाद व बीज वितरण

७५१. श्री गणेशलाल पलिया (भदेसर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला कृषि अधिकारी कपासन ने सन् ६० ई० से अब तक कितना खाद व

(श्री गणेशलाल पलिया)

बीज वितरित किया है ? इससे कितना लाभ व हानी सरकार को हुई है ?

(२) क्या यह सही है कि समय पर बीज वितरित नहीं करने से काफी बीज पोते पड़ा रह जाता है व समय निकलने पर नीलाम किया जाता है ?

(३) यदि हां, तो सन् ६० से अब तक कितना बीज नीलाम किया गया है व इससे सरकार को कीतना लाभ व हानि हुई है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) २ अक्टूबर, १९५९ से बीज व खाद वितरण का कार्य पंचायत समितियों को हस्तान्तरित किया जा चुका है। इन वर्षों में जिला कृषि अधिकारी द्वारा कोई बीज व खाद नहीं बांटा गया।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह !

भाखरा प्रोजेक्ट एरिया में नई मंडियों के लिये मंडी कमेटी

७५२. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा भाखरा प्रोजेक्ट एरिया में नई मन्डियों के निर्माण के हेतु मन्डी कमेटी बनाई गई थी ? यदि हां, उसके सदस्य कौन कौन थे और उसमें समय समय पर क्या क्या परिवर्तन किये गये और क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त कमेटी में अब कोई नॉन् ऑफिसियल सदस्य नहीं है ?

(३) यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री सिंचाई (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

दिनांक १–११–६२ से मंडी कमेटी के सदस्य :—

(१) कमिश्नर कोलोनाइजेशन, बीकानेर

(२) जिलाधीश, गंगानगर।

(३) एग्जीयूटिव इन्जीनियर, मंडी डिविजन, हनुमानगढ़।

(४) सैक्रेटरी, भाखरा मंडी डेवलपमेंट कमेटी, हनुमानगढ।

(५) श्री गंगाप्रसाद बिस्सा।

जब जरूरत होती है तब अन्य सदस्य शामिल कर लिये जाते हैं।

(२) जी नहीं। उपरोक्त कमेटी में नॉन ऑफिशियल सदस्य श्री गंगाप्रसाद बिस्सा हैं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री श्योपतसिंह : श्री गंगाप्रसाद बिस्सा को किस आधार पर रखा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनके अनुभव के आधार पर।

श्री श्योपतसिंह : क्या इससे पहले जो मेम्बर रखे थे उनसे आप इस नतीजे पर पहुंचे कि वे लोग अनुभवी और योग्य नहीं थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने प्रेजेन्ट के लिये पूछा है, इसलिये प्रेजेन्ट की जानकारी दी है इससे पहले कौन कौन से सालों

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

में कौन कौन थे, इसकी सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री श्योपतसिंह: मैंने प्रश्न (१) में साफ पूछा है यदि हां, तो उसके सदस्य कौन कौन थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे पास जो कॉपी है उसमें "है" लिखा हुआ है इसलिये "है" का जवाब दिया है। "थे" है तो जानकारी करके जवाब दे दूंगा।

श्री श्योपतसिंह : इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री श्योपतसिंह : इसमें साफ लिखा है कि इसके लिये कमेटी बनाई गई थी ? यदि हां, तो उसके सदस्य कौन कौन थे और उसमें समय समय पर क्या क्या परिवर्तन किये गये और क्यों ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया था आपके प्रश्न में "था" है लेकिन मुझे ऑफिस से जो काफी मिली है उसमें "था" के बजाय "है" लिखा हुआ है। "है" के बजाय यदि "था" होना चाहिये तो मैं इसकी सूचना प्राप्त कर लूंगा और आपको दे दूंगा।

श्री श्योपतसिंह : नेक्स्ट टर्न पर दे दीजिये, इसको नेक्स्ट टर्न पर रख दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Hon'ble Dy. Minister will give information later on.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Yes, Sir, I shall.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यह जो इन्फोर्मेशन दी है उसके लिए सप्लीमेन्टरी पूछना बाकी है। क्या यह सही है कि आपने श्री गंगाप्रसाद बिस्सा को रखा है वह बीकानेर शहर के रहने वाले हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कहां के रहने वाले है, यह तो मुझे नहीं मालूम है तहकीक। यह जरूर मालूम है कि ये फॉर्मर बीकानेर स्टेट के रहने वाले हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि भाखरा प्रोजेक्ट कमेटी में अब कोई उस क्षेत्र का नोन ऑफिशियल मेम्बर नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने आपको सूची बता दी, आप जज कर सकते हैं कि कौन कहां का है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपसे कमिटमेन्ट लेने का सवाल है। आपने कमेटी बनाई। उसमें उस व्यक्ति को लिया जो कि भाखरा क्षेत्र का रहने वाला नहीं है और बीकानेर शहर का रहने वाला है। क्या उस क्षेत्र में आपको कोई कॉम्पीटेन्ट व्यक्ति नहीं मिला ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इनका अनुभव है इस आधार पर इनको रखा है ?

श्री श्योपतसिंह : आपके लाडले हैं, रिश्तेदार हैं इसलिये रखा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं तो इनको जानता भी नहीं हूं।

श्री श्योपतसिंह : सुखाड़ियाजी जानते होंगे, आप नहीं तो।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): उनको रेवेन्यू का और काम का काफी अनुभव है।

श्री श्योपतसिंह : क्या आप उस क्षेत्र के किसी अन्य प्रतिनिधि को अनुभवी नहीं समझते ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप उस इलाके के रिप्रेजेन्टेटिव हैं और आपके अनुभव के बारे में क्या कहा जाय। जिनको रखा है वे भी अनुभवी हैं, इतना ही कह सकता हूं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर): उस इलाके के प्रधान को रखना क्या आप उचित नहीं समझते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मंडी कमेटीज में प्रधान को रखने का प्रावधान नहीं है।

श्री श्योपतसिंह : पहले क्यों रखा था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले रूल्स में प्रावधान होने की जानकारी नहीं है।

श्री श्योपतसिंह : फिर क्यों रखा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले कौन कौन थे इसकी जानकारी नहीं, इसलिए नहीं कह सकता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उस एरिया का रहने वाला व्यक्ति उसमें होना चाहिये क्या आप यह नहीं चाहते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह इसमें प्रावधान नहीं है कि उस एरिया का रहने वाला ही हो।

श्री उपाध्यक्ष ; श्री केदारनाथ।

गंगानगर जिले में विलेज लेवल वर्कर तथा पंचायतें।

७५३. श्री केदारनाथ (गंगानगर) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

गंगानगर जिले में कितने विलेज लेवल वर्कर्स है तथा कितनी पंचायतें हैं ? प्रति विलेज लेवल वर्कर कितनी पंचायतें आती हैं ? और जिले में एक विलेज लेवल वर्कर प्रतिमाह कितनी पंचायतों की मीटिंग अटेन्ड करता है ?

उप मंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) कुल ८६ ग्राम सेवक हैं। पंचायतों की संख्या ३५१ हैं।

प्रति ग्राम सेवक चार–पांच पंचायतें होती हैं। प्रत्येक ग्राम सेवक अपने क्षेत्र की पंचायतों की बैठक मे भाग लेता है।

प्रश्न संख्या ७५४

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन।

शाही लैदर वर्क्स भरतपुर

७५५. श्री राम किशन (वैर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

Page No.9

(श्री रामकिशन)

(१) क्या यह सत्य है कि सरकार ने भरतपुर स्थित शाही लैदर वर्क्स नामक उद्योग की जांच कराई थी और पता चला था कि उक्त नाम का कोई उद्योग नहीं है ?

(२) यदि हां, तो क्या उद्योग की जाली तस्दीक करने वाले अधिकारी को कोई दण्ड दिया गया है ? यदि हां, तो किसको और क्या ?

(३) क्या यह सच है कि उक्त उद्योग को एक इम्पोर्ट पर्मिट दिया गया था ? यदि हां, तो उसकी खपत कहां हुई है ?

उप मन्त्री, उद्योग (श्री चंदनमल वैद) : (१) जी हां

(२) संचालक उद्योग एवं रसद विभाग इसकी जांच कर रहे हैं।

(३) जी हां, २,५००) का एक इम्पोर्ट लाइसेन्स मिला है। इसकी जांच भी ऊपर बताई जांच से सम्बन्धित है।

श्री **रामकिशन** : यह उद्योग कब स्थापित किया गया था जिसकी अब तक जांच नहीं हुई है ? आपने फरमाया कि जांच कर रहे हैं, आदेश दे दिये हैं ? कब से यह उद्योग स्थापित हुआ है ?

श्री **चंदनमल वैद** : स्थापित हुआ ही नहीं।

श्री **भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : स्थापित नहीं हुआ तो इम्पोर्ट लाइसेन्स कैसे मिल गया ?

श्री **चंदनमल वैद** : उद्योग वह चलाना चाहते थे और हाथ से चलने वाले औजार भी लाये थे इसलिये यह उचित समझा गया कि ये इन्डस्ट्री लगा रहे हैं और उनको २॥ हजार रुपये का इम्पोर्ट लाइसेन्स दे दिया। उसके बाद उनका कहीं पता ही नहीं लगा, वे कहीं भाग गये होंगे। इसमें यह जांच की जा रही है कि किस कारण से लाइसेन्स मिला और किसकी गलती थी।

श्री **रामकिशन** : आपने ऐसा बताया कि उद्योग चला नहीं और उन्होंने झूठे तरीके से परमिट ले लिया। इसमें मैंने पूछा है कि जिस अधिकारी ने पर्मिट दिया है उसके खिलाफ क्या जांच हो रही है ? आठ साल तो इसमें हो गये। इतने साल लगा देना क्या सरकार के लिये शोभनीय है ?

श्री **चंदनमल वैद** : जिस अधिकारी ने इम्पोर्ट लाइसेन्स देने के लिए रिकमन्ड किया था उसी ने फिर बाद में यह लिखा कि मुझे संदेह हो रहा है यह पार्टी उद्योग में इन्टेरेस्टेड नहीं है इसलिए इसको पर्मिट नहीं दिया यह जांच की जा रही है कि रिकमन्ड करना सचमुच में मैलाफाइडी इन्टेन्शन तो नहीं।

श्री **रामकिशन** : कब से जांच हो रही है और कब तक हो जायगी ?

श्री **चंदनमल वैद** : तारीख तो नहीं बता सकता कि जांच पूरी हो जायगी। जांच की जा रही है और सचमुच में अधिकारी का मैलाफाइडी इन्टेन्शन साबित हुआ तो सजा दी जायगी। साथ ही साथ यह भी है कि इतनी बड़ी रकम भी नहीं है, २,५०० की रकम है इसके लिए यह माना जाय कि किसीकी अधिकारी सचमुच मैला फाइडी इन्टेन्शन हो।

श्री **रामकिशन** : सरकार की यह मान्यता है कि दो ढाई हजार की रकम ही

(श्री रामकिशन)

है, लाखों की होनी चाहिये तब ही ऐसा हो सकता है, लेकिन चाहे रकम छोटी हो या बड़ी होलेकिन इसमें जो दृष्टिकोण है वह तो एक ही होना चाहिये।

श्री चंदनमल वैद : इम्पोर्टेड माल का मेला फाइडी रूप में उपयोग किया और अगर किसी अधिकारी ने उसमें सहयोग दिया है तो जरूरी कार्यवाही की जायगी।

श्री भैरोंसिंह : किस चीज के इम्पोर्ट के लिए लाइसेन्स दिया गया था ?

श्री चंदनमल वैद : 'लेदर गुड्स', टेक्निकल शब्द तो मैं नहीं जानता, या स्लीपर्स के लिए उद्योग चलाना चाहते थे। हाथ उद्योग था और हाथ से काम आने वाले औजार दिखाये थे उसके आधार पर ढाई हजार रुपये का लाइसेन्स इश्यू कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : क्या उस उद्योग के लिए यह रॉ मैटीरियल था ?

श्री चंदनमल वैद : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि रूल्स के अनुसार रॉ मैटिरियल के लिए तब तक लाइसेन्स नहीं दिया जाता तब तक कि इन्डस्ट्री एस्टेब्लिश न कर ले ?

श्री चंदनमल वैद : ऐसा जरूरी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो इन्डस्ट्रीज के एस्टेब्लिशमेंट के पहले ही इम्पोर्ट लाइसेन्स देते हैं ?

श्री चंदनमल वैद : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पतिलाल बोहरा।

मावली तहसील में तालाब के लगान की वसूली

७५६. **श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जो तालाब गंडेला घासां का मावली तहसील में है उसमें पेटा काश्त का लगान अभी भी रुपये के रूप में वसूल न हो कर काइण्ड में हो रहा है ?

(२) क्या सरकार यह सही समझती है ? यदि नहीं, तो कब से इसको कैश में वसूल करने की आज्ञा दे रही है ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): जी हां। आंशिक रूप में। कुल ११०६ बीघा भूमि में से केवल ६६४ बीघा का ही लगान जिन्स के रूप में वसूल होता है क्योंकि इसकी शरह अभी कायम नहीं हुई है। बाकी भूमि का लगान कैश में वसूल होता है।

(२) जी नहीं। यह मामला विचाराधीन है तथा उम्मेद है कि फसल खरीफ से नकदी में वसूल किया जावेगा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : कितने वर्ष से यह काइन्ड में लगान लिया जा रहा है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ड्युरेशन तो मुझे नहीं मालूम है। वास्तव में नकदी में नहीं लिया जा रहा है। ६०० और कुछ बीघा है। इसके लिए एस. डी. ओ. को मुकर्रर कर दिया है रेन्ट रेट ऑफिसर और यह समझा जाता है कि खरीफ फसल से कैश में लेना शुरू हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : किस रूप में और किस हिसाब से काइन्ड में लिया जा रहा है ?

श्री रामप्रसदा लड्ढा : One upon sixth of the produce.

श्री सम्पतिलाल बोहरा : गत वर्ष मैंने यह प्रश्न रखा था असेम्बली में आने से पहले यह कार्यवाही रोक दी गई थी, फिर यह कैसे शुरू हो गयी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रोकी नहीं गई थी। रेन्ट रेट ऑफिसर एस. डी. ओ. को मुकर्रर किया था। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट तैयार है और नेक्स्ट फसल से ही केश में लेना शुरू कर देंगे।

प्रश्न संख्या ७५७

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

(अनुपस्थित)

बूंदी जिले में गैर आबादी भूमि पर मकान

७५८. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

बून्दी जिले में कुल कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने गैर आबादी की भूमि पर मकान बनाकर आबादी कायम करली और सरकार के द्वारा उन पर मुकदमे कायम किये गये हैं ?

उप, मन्त्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : जिला बून्दी में १८६१ व्यक्तियों ने गैर आबादी भूमि पर मकानात बनाए हैं उनमें से २४८ व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे कायम किये गये है, जिनमें नियमानुसार कार्यवाही हो रही है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : ये मकान कब से बसे हुए हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह तो मुझे पता नहीं है लेकिन २४८ पर मुकदमे चले। १६१३ आदमियों को २४-४-६३ को जो नया सर्क्यूलर निकला है जिसमें रेगुलराइज करने का निहित है उसकी तहत कार्यवाही हो रही है। आशा है इस सम्बन्ध में इस सर्क्यूलर के निकल जाने के बाद कार्यवाही निपट रही है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : ये मुकदमे कब से चल रहे हैं ?

श्री रामप्रसाद लडढा : इस समयइसकी जानकारी नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : २४८ पर जो मुकदमें चल रहे हैं उनकी तारीखें ऐसी डाली जाती हैं जिससे उन लोगों को पैसा भी बहुत खर्च करना पड़ता है और परेशानी भी उठानी पड़ती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अच्छा है। २४८ पर जो मुकदमे चल रहे हैं उनमें से भी कई इस सर्क्यूलर के तहत रेगुलराइजेशन में आ जायेंगे। यह देरी किसी हद तक उनके हक में अच्छी साबित हुई है ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : नये सरक्यूलर के मुताबिक हर तीन महीने बाद जानकारी देनी होती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसी प्रकार का फैसला किया गया है कि हर छः महीने बाद प्रगति की रिपोर्ट पेश की जाय।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : तीन महीने बाद चाही जाती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग से प्रश्न है मारे राजस्थान की प्रगति पर रिपोर्ट चाही है ।

प्रश्न संख्या ७५६

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल शर्मा ।

(अनुपस्थित)

चटर्जी कमीशन की रिपोर्ट

७५०. **श्री भीमसेन** (लूणकरसर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था एवं उसमें सुधार हेतु चटर्जी कमीशन नियुक्त किया गया था ? अगर हां, तो उक्त कमीशन की क्या क्या सिफारिशें क्रियान्वित की गई हैं ? कृपया रिपोर्ट सदन की मेज पर प्रस्तुत करें ।

उप मंत्री, शिक्षा (श्री निरन्जन नाथ आचार्य) : जी हां । यह सही है कि राज्य सरकार ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था एवं उसमें सुधार हेतु चटर्जी कमीशन की नियुक्ति की थी जिसकी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, उचित कार्यवाही की जा रही है । रिपोर्ट का वह भाग जिसमें कुछ विषय १०वीं कक्षा में सम्मिलित करने की सिफारिश की गई थी कार्यान्वित कर दी गई है ।

श्री भीमसेन : क्या सरकार हायर सैकेन्डरी बिल में जो संशोधन लाने वाली है क्या उसमें चटर्जी कमीशन की सिफारिशों का ध्यान में रखकर बिल पेश करेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय हायर सैकन्डरी अमेन्डमेंट बिल प्रस्तुत हुआ था उस समय मैंने कहा था कि पीस मील में लाने का इरादा नहीं है, अब जो बिल लाया जायेगा उसमें चटर्जी कमीशन व मुदालियर कमीशन दोनों रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए वापिस पेश करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या चटर्जी कमीशन की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जायगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह साधारण सा प्रश्न है । मेरे तक सीमित नहीं है केवल संकेत मात्र दे सकता हूं; इस कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि यह सदन की मेज पर रखी जाय या नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जोधसिंह ।

काश्त के लिये भूमि का अलाँटमेंट

७६१. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील गिरवा, जिला उदयपुर के ग्राम कुन्डाल की सहकारी समिति ने कुछ भूमि जो कि आराजी नं० ५६२ के दक्षिण में ब्लॉक डोडावली जागीर में काश्त के लिये एलोट कराने की दरख्वास्त तहसील में पेश की है ?

(२) क्या सरकार इस भूमि को उन किसानों को एलोट करने का विचार रखती है और वह भूमि जो काबिल काश्त हैं, अगर जंगलात में हैं तो उसको काश्त में दर्ज कराने का भी विचार रखती है ?

Page No.13

(श्री जोधसिंह चौहान)

(३) ग्राम कुन्डाल में कितनी आबादी है और उनके पास कुल कितनी भूमि काबिल काश्त है ?

उप-मंत्री,राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) ग्राम कुन्डाल की जन संख्या २१७ है और भूमि २,२४३ बीघा आराजी काबिल काश्त खातेदारान के नाम होकर कब्जे में है ।

श्री जोधसिंह चौहान : भूमि का अलॉटमेन्ट कब हो जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रेवेन्यू में वह भूमि नहीं है जंगलात विभाग में है । जब जंगलात विभाग से रेवेन्यू विभाग में मुन्तकिल होगी तभी अलॉटमेन्ट का प्रश्न सामने आयेगा ।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या सरकार इसके लिये फोरेस्ट विभाग को आग्रह करेगी कि वह जमीन जो काबिल काश्त है, दे दी जाय ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसके लिये अलग फॉरेस्ट कमेटी बनती है । डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिकमन्ड करके फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट को भेजती है, उसकी स्वीकृति देने में वह हित समझती है तो वह निर्णय फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट का करने का है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह ।

ग्राम पंचायत धोलागढ़ (अलवर)

७६२. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत धोलागढ़, पंचायत समिति कठूमर (अलवर) में हर वर्ष एक मवेशियों का मेला लगता है? अगर हां, तो इस मेले में सन् १९५२ से अब तक कितनी धनराशि टैक्सों से प्राप्ति हुई ? पृथक पृथक वर्ष की बतायी जावे ।

(ख) इस ग्राम पंचायत को सन् ५२ से अब तक कितनी धन–राशि विकास कार्य के लिये पंचायत समिति से व तहसील से मिली तथा यह धन-राशि पोस्ट ऑफिस में जमा है या सरपंच के पास ? अगर सरपंच के पास है, तो क्यों ?

(ग) क्या उक्त पंचायत के सारे विकास कार्य पूरे हो चुके है ? अगर नहीं तो क्यों ?

(घ) क्या उक्त पंचायत के हिसाब का कभी ऑडिट करवाया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों और अब कब तक कराया जायेगा ?

उप-मंत्री,राजस्व(श्री रामप्रसाद लड्ढा): (क) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) पंचायत समिति से ३,५५०)रु० व तहसील से ७,६००) रु० इस कुल ११,१५०)रु० में से २,५००) रु० सेविंग बैंक में जमा हैं । सरपंच के पास २१६.१५ नये पैसे हैं ।

(ग) जी हां । केवल देवीजी के ऊपर टांके का कार्य चालू है ।

(घ) जी हां । बकाया विकास कार्य में खर्च हो गई है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

Page No.14

श्री नत्थीसिंह : पंचायत समिति को कुल मेले से कितनी आमदनी हुई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं इसका उत्तर भाग (ख) में दे चुका हूं ।

श्री नत्थीसिंह : आपने बतलाया है कि पंचायत समिति से ३,५५०) रु० इस तरह से २,५००) रु० उनके पास मौजूद हैं तो बाकी की इनकम कहां गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस सम्बन्ध में पंचायत समिति की इनकम के सम्बन्ध में मैं बतला चुका हूं कि २,५००) रु० सेविंग बैंक में है और ,११६) रु० सरपंच के पास है, बाकी की रकम विकास कार्यों पर खर्च हो गई है ।

श्री नत्थीसिंह : कितने विकास कार्य हुए इसकी इन्क्वायरी करा लीजिये, मेरा कहना है कि एक भी कार्य नहीं हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी सूचना के अनुसार देवीजी के टांके का काम चालू है बाकी के विकास कार्य समाप्त हो चुके हैं उसमें बाकी का रुपया खर्च हो गया ।

श्री नत्थीसिंह : क्या वह रकम लग चुकी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा:—जी हां । जैसी कि मेरे पास विभागीय सूचना है ?

श्री नत्थीसिंह : क्या ४० हजार रुपया सारा लग चुका है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं चालीस हजार की बात नहीं कर रहा हूं । ११,१५०) रुपये में से २,५००) रु० सेविंग बैंक में जमा हैं । और सरपंच के पास २१६,१५ न० पै० हैं; बाकी का विकास कार्य के लिये खर्च हो चुका है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : ४० हजार रुपया जो मेले की आमदनी हुई उसका क्या हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे पास ११, १५०) रु० का टोटल है ।

श्री नत्थीसिंह : ४६ हजार कहां से आया और वह विकास कार्यों में कहां कहां खर्च हुआ ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आप ही जबाब दे रहे हैं, आप ही सवाल कर रहे हैं; अच्छा हो मंत्री महोदय की जगह ये बैठ जांय और उनको इधर बैठने को कह दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कुमारानन्द ।

गर्ल्स स्कूल के लिए नया भवन

७६३. **श्री कुमारानन्द** (ब्यावर) [श्रीयोगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) द्वारा पूछा गया] : Will the Education Minister kindly reply :

Is it a fact that the authorities of the Girls Higher Secondary School, Beawar, have repeatedly complained against the scanty accommodation in the school and requested the Government for providing new buildings for the accommodation of the already over-crowded rooms for the girls students in the school ? Does the

Page No.15

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

Government intend to provide new building for the Beawar Girls Higher Secondary School ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : The Headmistress of the School has not made any complaint in respect of scanty accommodation As the School is already running in a new building constructed in 1958 containing 20 rooms in all the question of providing a new building does not arise.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Are the rooms sufficient to provide the accommodation for all the students ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उप-मन्त्री महोदय से कहा जाय कि वे इसका हिन्दी ट्रांसलेशन कर दें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं । हैड मिस्ट्रेस ने कोई शिकायत नहीं की कि स्कूल में जगह की कमी है । स्कूल अभी जो वर्तमान में है वह सन् १९५८ में बना है और उसमें २० कमरे हैं । इसलिये यह प्रश्न स्थानाभाव का पैदा नहीं होता ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : स्थानाभाव के लिये कम्पलेन्ट नहीं रिक्वेस्ट तो की गई है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रश्न पैदा नहीं होता रिक्वेस्ट का और न कम्पलेन्ट का।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मौजूदा जो लड़कियों की स्ट्रेन्थ है उसको देखते हुए क्या बीस कमरे काफी हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कमरे विशाल हैं, अच्छे हैं और सब को अकोमोडेट करते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किस साईज के हैं ये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अच्छी साइज है जो रिक्वायर्ड होती है, जिसमें ४०, ५० लड़कियां इत्मिनान से बैठ सकती हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: जो कमरे ४०-५० लड़कियों के लिये हैं उनमें साठ-सत्तर लड़कियां बैठायी जाती हैं, इसलिये कन्जेशन हो रहा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : विश्वास के साथ बैठ सकती हैं, कोई कन्जेशन का सवाल नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आप मेरे साथ चलिये मैं आपको बता सकता हूं कि वहां एक कमरे में कितनी लड़कियां बिठाई जाती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं खुद जाकर देखकर आया हूं, आपके साथ जाने से गड़बड़ी हो सकती है, वहां कोई कन्जेशन नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने कन्जेशन की परिभाषा अपनी सुविधा अनुसार की होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई

रेवेन्यू कलेक्शन के अलाउन्स की बकाया

७६४. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सच है कि जिला जालोर में गांव चोधरियान को रेवेन्यू कलेक्शन क

Page No.16

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

अलाउन्स सं० २०१३ से देना तय किया गया था ?

(२) गांव के चोधरियान का वेतन तहसील सांचोर में सं० २०१३ से २०१७ में से किस किस साल का अब तक चुकाया गया है और किन किन सालों का अब तक बकाया है ? अब पूरे वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

(३) क्या यह सच है कि तहसील सांचोर में कुछ चौधरियों की रकम गलत चौधरियों को दी गई ? अगर हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह सच है कि तहसील सांचोर में ऐसे ही चोधरियों के वेतन बिल बनाए गये जो प्राईज बॉण्ड लेना चाहते थे और क्या यह भी सच है कि गांव चोधरियों के वेतन का भुगतान करीब ८००० रु० का उनकी मर्जी के खिलाफ किया गया ? क्या यह सच है कि बिल दूसरे चौधरी के नाम बना और चुकारा किसी और के नाम किया गया ? अगर हां, तो क्यों ? अगर ऐसा किया गया है तो सरकार संबन्धित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी ?

(५) क्या यह सच है कि चौधरियों के वेतन का भुगतान तहसील सांचोर में उनके बारे में बार बार रिपोर्ट करने पर भी नहीं किया जा रहा है ? अगर हां, तो ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(६) तहसील सांचोर में सं० २०१६ तक कुल किन किन चौधरियों की कितनी कितनी रकमें अब तक के वेतन के रूप में अब तक देना बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

उप - मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां ।

(२) सूची संलग्न है । बकाया रकम का भुगतान एक महीने के अन्दर कर दिया जावेगा ।

(३) जी नहीं ।

(४) जी नहीं ।

(५) सभी भुगतान बिल खजाने से पास होकर आगये हैं और भुगतान करने की कार्यवाही जारी है ।

(६) वांछित सूचना उस सूची में उपलब्ध हैं जो प्रश्न के खण्ड एक उत्तर में सदन की मेज पर रखी गई है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सूचना में बताया गया है कि कुछ चौधरी ऐसे हैं जिनकी १३ से लेकर १६ तक की रकम बकाया है; इतने अरसे तक बकाया रहने का क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सेकड़ों चौधरियों की लिस्ट है, किस किस का कौन सी साल का बकाया है, यह मैं नहीं कह सकता । सूची नं० ४ पर जो लिस्ट है उनका ही केवल बाकी है और किसी का बाकी नहीं है । बिल वगैरह पास हो चुके हैं पेमेन्ट के लिये एक महीना कहा है । सूची ४ में जो दर्ज है उन सब को एक महीने के अन्दर अन्दर पेमेन्ट कर दिया जायगा ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कुछ चौधरियों का गलत रजिस्टर बन गया था इसके कारण पेमेन्ट नहीं हुआ ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नोन पेमेन्ट की शिकायत सामने नहीं आयी

श्री रघुनाथ बिश्नोई : किस अधिकारी की गल्ती के कारण ऐसा हुआ, आप जानने की कोशिश करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप यदि जानकारी देंगे कि रोंग रजिस्टर बना है तो जांच की जायगी; रोंग पेमेंट की तो कोई शिकायत नही है।

श्री रामकिशन (वैर) : जिस तारीख तक माननीय सदस्य अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में पहुंचेंगे क्या तब तक पेमेंट हो जायगा ताकि वहां वे कह सकें कि मैंने पेमेंट करवा दया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मजलिसखां।

भरतपुर में ट्यूब वेल्स

७६५. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या कृषि विभाग ने भरतपुर जिले में ट्यूब वेल्स लगाने के लिये कहीं पर पानी का टेस्टिंग किया है ?

(ख) यदि हां, तो कहां पर और उसके क्या परिणाम रहे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार भविस्य में यह परीक्षण करने का विचार रखती है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) सरकार की तरफ से भरतपुर जिले में कोई ट्यूब वेल लगाने के लिये पानी का टेस्टिंग नहीं किया गया है। परन्तु राजाखेड़ा पंचायत समिति की तरफ से ६ ट्यूब वेल्स लगाने की मांग पर कृषि विभाग के अन्डर-ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने ये ट्यूब वेल लगाये।

(ख) (ग) इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(३.०० म० प०)

श्री मजलिसखां : ये कामयाब कहां कहां पर हुए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सालवर गांव, जगमोहनपुरा, देवखेडा इन तीन में जो ट्यूब वेल लगे उनका डिस्चार्ज तो बहुत अच्छा है। इनमें से एक का ३५,४०० गैलन फी घंटे का डिस्चार्ज है, देवखेड़े वाले का २४ हजार गैलन फी घंटे का है और तीस हजार से ऊपर जिसका डिस्चार्ज होता है उसको हम इर्रिगेशन के लिये एक कामयाब ट्यूब वैल मानते हैं। काफी और जगह भी तीन ट्यूब वैल ५। हजार के हैं और एक है ४।। हजार गैलन की डिस्चार्ज कैपेसिटी का फी घंटे। ये कुएं पीने के पानी के फिर भी अच्छे हैं। पर इर्रिगेशन की दृष्टि से इनको कामयाब नहीं कह सकते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : तो क्या ट्यूब वैल लगाने से पहले बोरिंग नहीं किया गया था जिससे ये नाकामयाब साबित हो गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप प्रोसीजर इसका समझते नहीं हैं, मेरे ख्याल से तो।

श्री रामकिशन (वैर) : आपका देवखेडा वैगैर की तरफ ही ध्यान होगा या और भी जगह आपका ध्यान है ? अभी मुख्यमन्त्रीजी ने घोषणा की थी कि भरतपुर में भी लगेंगे तो क्या आपका और भी अधिक क्षेत्रों का इस दृष्टिकोण से सर्वे करने का विचार है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऊपर का जीओलोजिकल सर्वे तो है। नीचे क्या है इसका एक्चुअल जीयोलोजिकल सर्वे से ऊपर की सतह को देखकर गैस ही कर सकते हैं पर इस बारे में इतना तो पता है कि किस इलाके में कितनी अनुकूलता है। पर जो ट्यूब वैल लोग लगवाना चाहते हैं उनके लिये लगाते हैं। और सरकार की तरफ से भी फूड प्रोडक्शन की एमर्जेन्सी को देखकर जिन इलाकों में ट्यूब वैल के बारे में सर्टेन्टी है उन इलाकों में इस तरह के २५० ट्यूब वैल बनाने के दृष्टिकोण से एक योजना हाथ में ली है और उसे भारत सरकार के पास हमने भेजा है। वह योजना अभी विचाराधीन है। सैंक्शन होते ही तीसरी योजना के बाकी के ढाई सालों में ढाई सौ ट्यूब वैल स्टेट की ओर से लगाकर ७०–८० हजार एकड़ जमीन की सिंचाई सरकार की ओर से करने का सरकार का इरादा है।

श्री रामकिशन : इसमें भरतपुर भी शामिल है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, भरतपुर अलवर शामिल हैं।

श्री रामकिशन : प्रति ट्यूब वैल कितना पैसा खर्चा हो जाता है कम से कम ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह इस पर निर्भर करता है कि वहां की जमीन कैसी है, कितना गहरा जाया जाता है, कितने फीट पाइप लगेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने बताया कि तीन ट्यूब वैल में पांच हजार गैलन पानी प्रति घंटे की ही औसत आई और बाकी में ज्यादा आई तो इसको स्पष्ट करने के लिये जब पूछा गया तो उत्तर मिला प्रोसेस समझते नहीं हैं। पर मैं स्पष्ट यह जानना चाहूंगा कि इसमें आपका क्या तात्पर्य है। एक में कम निकला और दूसरे में अधिक तो यह फरक किस कारण से हुआ, सर्वे की खामी के कारण हुआ, या जिओलोजिकल ओब्जर्वेशन्स में खामी से हुआ या किसी और कारण से हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हरेक कुए में से जो ऊपर से जिओलोजिकल सर्वे से जो अन्दाज लगता है उसके अनुसार ही उतना ही पानी निकले यह सम्भव नहीं है। यह इस पर निर्भर करता है अधिक कि नीचे कैसी चट्टान है, इम्पेरिनियल है पानी या कहीं अटक गया है या क्या कारण है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पर कम अधिक निकलना निर्भर करता है। और इन सब फैक्टर्स को देखकर ही ड्रिलिंग की जाती है और इसके बाद ही कामयाबी होती है और फिर उसी हिसाब से उसमें पाइप लगाते हैं और खर्चा करते हैं। अगर ड्रिलिंग करने पर वह होल रिक्विजिट क्वान्टिटी में पानी देने वाला नहीं निकलता है तो उसमें से पाइप भी निकाल लेते हैं और वह होल खराब गिना जाता है। उसे छोड़ दिया जाता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज तो एडवान्स साइन्स के जमाने में ड्रिलिंग किसी भी डेप्थ तक किया जाना पोसिबल है। मोडर्न ड्रिलिंग काफी डेवलप हो गया है। पांच हजार से दस हजार फीट गहराई तक करना पोसिबल हो गया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका पोइन्ट क्या है, मैं नहीं समझा ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप खुद नहीं जानते, तो क्या समझेंगे। आज की एडवान्स्ड

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

ड्रिलिंग की थ्योरी के अनुसार पानी को भी आप किसी भी डेप्थ तक ड्रिल करके निकाल सकते हैं जैसे ऑइल को आज निकाला जा रहा है। तो किस डेप्थ तक वह निकाला जा सकता है इसका एस्टीमेट नहीं लगाया जा रहा है। तो इस कारण मैं तो अर्ज करूंगा कि आप नहीं जानते।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं माननीय सदस्य को कोई जवाब नहीं देना चाहता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्योंकि आप के पास कोई जवाब है नहीं इसका ?

प्रश्न संख्या ७६६

श्री उपाध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी।

(अनुपस्थित)

न्याय पंचायत का स्थानान्तरण

७६७. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि न्याय पंचायतों के गठन के समय पंचायत समिति जसवन्तपुरा (जिला जालोर) में ग्राम पंचायत थूर भरूडी, सोमता एवं तवाब आदि के लिये न्याय पंचायत का केन्द्र एवं कार्यालय ग्राम थूर में रखा गया था ?

(२) यदि हां, तो क्या वह ग्राम थूर से हटाकर ग्राम तवाब में स्थानान्तरित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त ग्राम पंचायतों के लिये थूर ग्राम मध्य में स्थित होने व आवागमन की सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण उक्त न्याय पंचायत का केन्द्र स्थापित किया जाने के लिए उपयुक्त स्थान है ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार पुनः न्याय पंचायत का केन्द्र ग्राम तवाब से हटाकर ग्राम थूर में शीघ्र स्थापित करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री,पंचायत(श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी नहीं। आरम्भ से ही न्याय पंचायत का केन्द्र तवाब में ही रखा गया है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) इसके लिए जिलाधीश से जानकारी की जा रही है।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भगराज चौधरी : माननीय मन्त्री महोदय ने जो जानकारी करने की बात कही, कृपया उसे बताने की कृपा करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रश्नकर्ता ने १३–२–६३ को एक आवेदन–पत्र दिया था इसके बारे में उसके बारे में वस्तु स्थिति क्या है, यह जानने के लिये उसे कलेक्टर को लिखा गया है।

श्री भगराज चौधरी : मैं मन्त्री महोदय को बता देना चाहता हूं कि पहले ग्राम पंचायत थूर, भरूडी, सोमता और तवाब की न्याय पंचायत का केन्द्र थूर में रखा गया था। पर बाद में बदल दिया गया। इसमें आवागमन के साधन भी सुगम हैं। अब जहां बदल दिया है वहां आवागमन के साधन कठिन हैं। बड़ी दिक्कतें वहां होती हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया यह केन्द्र तवाब में ही था शुरू से पर जब आपने आवेदन-पत्र दिया और उसमें लिखा कि यह थूर सेन्टर में पड़ता है और आवागमन की दृष्टि से ज्यादा उपयुक्त है तो आया यह सेन्टर में पड़ता है या नहीं और जो आपने लिखा है वह कहां तक ठीक है इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये हमने कलेक्टर को लिखा है।

श्री भगराज चौधरी : सरकार किन आधारों पर किस स्थान पर न्याय पंचायत का केन्द्र स्थापित करती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कई आधार है। इसके लोकेशन का भी सवाल हो सकता है, डिस्टेन्स का भी हो सकता है, मार्ग का आवागमन का भी हो सकता है। तो इस तरह के कितने ही प्रश्न हैं।

श्री भगराज चौधरी : तो अध्यक्ष महोदय, जो आधार मन्त्री महोदय ने बताये उन आधारों पर अर्ज कर रहा हूं कि न्याय पंचायत का स्थान थूर रखना वाजिब था। कुछ गलती से ही वहां से दूसरी जगह किया गया था और अब आशा है सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता, जब तक जिलाधीश से रिपोर्ट जो मांगी गई है आ नहीं जावे। उसके आने पर ही विचार किया जा सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): क्या कारण, आपकी ही रिपोर्ट नहीं आती।

माइनर मिनरल्स की लीजों का न्यूनतम सीमा निर्धारण

७६८. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): तथा खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि माइनर मिनरल्स लीजेज की न्यूनतम सीमा निर्धारित करने के लिये सरकार द्वारा समय समय पर विज्ञप्तियां जारी की गई हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(२) उक्त विज्ञप्तियां जारी करने के क्या कारण हैं और उनकी पूर्ति वास्तविक रूप में माईनिंग प्रोसेस व मैन्यूफेक्चर प्रोसेस की दृष्टि से किस तरह हुई ?

(३) सरकार ने उक्त सीमा निर्धारण के साथ-साथ इस पत्थर व पत्थर के बने माल के मूल्य नियन्त्रण के बारे में क्या-क्या कदम उठाये ?

(४) क्या यह सच है कि ऐसे खनिज जिनकी लीज ग्रान्ट करने के क्षेत्र का न्यूनतम क्षेत्र निर्धारित किया गया है उनके भावों पर नियन्त्रण न होने से लीज होल्डर्स खुला शोषण करते हैं ?

(५) सीमा निर्धारण से सरकार की नॉन टेक्स रेवेन्यू पर क्या असर पड़ा ?

उप-मन्त्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) माइनर मिनरल्स की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले खनिजों में केवल (चूना पत्थर) की लीजेज की ही न्यूनतम क्षेत्र सीमाएं राज्य में स्थिति भिन्न-भिन्न डिपोजिट्स के लिये विज्ञप्तियों द्वारा राज्य सरकार

Page No.21

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

ने निर्धारित की है। इस सम्बन्ध में प्रकाशित की गई विज्ञप्तियों की प्रतिलिपियां संलग्न हैं।

(२) स्थानीय डिपोजिट की क्षमता, उस पर आधारित स्थापित स्थानीय उद्योग को निरर्थक स्पर्धा से बचाने, भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर किसी विशेष उद्योग के लिये विशेष किस्म का प्रचुर मात्रा में खनिज प्राप्त करने एवं इन डिपाजिटों से डेड रेन्ट के रूप में प्राप्त होने वाली सरकार आय आदि सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इन सीमाओं को निर्धारित करना आवश्यक समझा गया।

(३) चूना पत्थर व इससे बनाये हुए चूने के मूल्य पर किसी रूप में नियन्त्रण करने का अधिकार किसी भी नियम के अन्तर्गत नहीं है लेकिन यह मूल्य (मांग व उसकी पूर्ति) डिमाण्ड और सप्लाई के आधार पर स्वतः ही निर्धारित हो जाती है।

(४) जी नहीं।

(५) लाइम स्टोन पर डेड रेन्ट के रूप में सरकार को उचित मात्रा में आय प्राप्त होती है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री तेजराम गहलोत : मन्त्री महोदय ने प्रश्न नम्बर दो के भाग नम्बर दो का उत्तर नहीं दिया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने बताया न कि स्थानीय डिपोजिट की क्षमता, उस पर आधारित स्थापित स्थानीय उद्योग को निरर्थक स्पर्धा से बचाने आदि।

श्री तेजराम गहलोत : इसकी पूर्ति किस तरह से हुई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक कमेटी बैठी थी सन् १९६० में और उस कमेटी ने निर्णय किया कि इस प्रकार की सीमाओं में ये लीजें दी जावें और इसके आधार जो बताये हैं वे थे इसलिये छोटे–छोटे प्लॉट्स में इसको नहीं देते हैं।

श्री तेजराम गहलोत : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान सरकार के सेंक्शन ऑर्डर की तरफ दिलाऊं जिसमें यह कहा गया है कि with a view to develop the Lime Stone Mining Industry it has been decided by the Government" तो जो कारण अभी बताये हैं उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो डेवलपमेन्ट करने का कारण बताया गया हो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका लाइम स्टोन को डेवलप करने का ही आधार है। अगर हम छोटे–छोटे प्लॉटों में सभी एरिया को लीज कर देते हैं तो इससे अनहैल्दी कॉम्पीटीशन होता है और फिर सारा अच्छी क्वालिटी का लाइम स्टोन एक्सपोर्ट होकर भविष्य में हमारी आवश्यकता के लिये नहीं बचता है और फिर उसका साइन्टिफिक बेसिस पर वर्किंग भी नहीं होता।

श्री तेजाराम गहलोत : जितने भी खनिज पदार्थ हैं उसमें लाइम स्टोन के नीचे कॉम्पीटीशन बचाने के लिए किया और दूसरे यह कि दूसरे डिवीजन में १५० किलोमीटर रखा है जहां जोधपुर में १२५ स्क्वायर किलो मीटर रखा है।

Page No.22

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): जोधपुर का लाइम स्टोन बेस्ट क्वालिटी का है और इण्डिया में उसकी बहुत जरूरत है। ऐसी आवश्यकता वाले स्टोन को हम इस तरह से छोटे प्लाॅट्स देकर एक्स्प्लोइट नहीं करवाना चाहते हैं जिसके कि वहां के खनिज प्रदार्थ ही खत्म हो जायें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (रायसिंह नगर) आप रेट्स भी मुकर्रर नहीं करते और लीज़ होल्डर्स अपने मनमाने ढंग से वसूल करते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसकी शिकायत नहीं है।

श्री रामकिशन (वैर) : आपने यह कैसे कहा कि शिकायत नहीं है। इसके लिए बराबर शिकायतें रही हैं।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): एक ही लीज़ होल्डर नहीं है, कई हैं। इस तरह का सवाल मेरे ख्याल से आना ही नहीं चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : केवल ३ लीज़ होल्डर्स हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : २ हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे दो लीज़ होल्डर्स हैं, वह हम जानते हैं कि कौन हैं। लेकिन प्रश्न यह होता है कि छोटे छोटे प्लाट्स देने या कॉम्पीटीशन हो जाने से क्या एक्सचेकर को लाभ नहीं होता। अगर होता है तो क्या कारण है कि आप एक्सचेकर के लाभ में रोड़े डालते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I strongly object to that.........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्राइस बढ़ती है तो आपके एक्सचेकर को प्रोफिट होता है और दूसरी बात यह है कि छोटे प्लाॅट्स में देते हैं तो उसको लेने मे कॉम्पीटीशन बढ़ता है और उससे भी आपकी लीज़ मनी बढ़ती है, इसलिए क्या आपका जवाब सीधे यह नहीं कहता कि आप हर तरह से सरकार में आते हुए धन को रोकने की कोशिश करते हैं, केवल अपने दो चहेतों को देने के लिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I strongly object to that. हर बात के लिए यह कह देना मैं समझता हूं कि यह कॉमन बात नहीं समझना चाहिए। किसी में अगर हम पॉलिसी के आधार पर कोई चीज तय करें तो किसी बात के ऊपर आक्षेप कर देना मेरे ख्याल से यह ठीक बात नहीं है।

श्री श्योपतापसिंह (हनुमानगढ़) : कुछ हद तक ठीक है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह पूर्ण हद तक ठीक है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यह सही है कि मेजर मिनरल्स के लिए इस बात को रखा गया है कि १० मील का एरिया ही दिया जा सकता है जबकि माइनर मिनरल्स के लिए ऐसे पत्थर और चूने के लिए रख दिया कि १० मील से ज्यादा का नहीं दिया जा सकता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेजर मिनरल्स में ज्यादा भी दिया जा सकता है। यह डिपेण्ड करता है मिनरल्स के नेचर के ऊपर। आज कॉपर है, या जिंक है, माइलों के अन्दर दिया जाता है। यह आवश्यक नहीं है सारा डिपेण्ड करता है फर्दर डेवलपमेन्ट के

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

लिहाज से । जोधपुर के लाइम स्टोन के लिए खास तौर से आज सारे हिन्दुस्तान की केमीकल इन्डीस्ट्रीज़ के लिए यह सप्लाई किया जाता है और लोंग टर्म राजस्थान में एडवान्टेजीयस है और इसको एक कमेटी को बैठाकर एग्ज़ामिन कराया गया और दूसरों को लीज़ देने के बारे में है वह भी विचाराधीन है मामला और हम इसको सिर्फ दो तक ही सीमित रखना चाहते हैं यह बात नहीं है। प्रश्न यह है कि एक निश्चित एरिया है डेड रेन्ट, उसका मांगा है और थोड़े से थोड़े डेड रेन्ट के ऊपर देने से इस प्रकार का कॉम्पीटीशन हो सकता है कि शोर्ट टर्म एड्वान्टेज होकर अल्टीमेटली ज्यादा उससे एड्वान्टेज राजस्थान को होता हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जहां १० स्क्वायर मील का टुकड़ा उपलब्ध नहीं है वहां यह नीति है कि कम एरिया में जहां लाइम स्टोन है वहां दे दिया जाये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कई जगह कम एरिया में भी दिया है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक प्रश्न और है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार ।

कनेरा मिडिल स्कूल की फीसें

७६६. **श्री अब्दुलजब्बार**(नीम्बाहेड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) कनेरा मिडिल स्कूल, तहस निम्बाहेड़ा में कितने प्रकार की फीसें ली जाती हैं ?

(२) क्या शाला शुल्क के नाम से भी कोई फीस चार्ज की जाती है ? यदि हां, तो आज तक कितनी रकम इस मद में एकत्रित हुई है और वह कहां है ?

(३) क्या यह सही है कि जितनी भी फीसें उक्त मिडिल स्कूल में ली जाती हैं उनकी रसीदें कटती हैं ?

(४) क्या यह भी सही है कि उन रसीदों पर नम्बर नहीं है और बुक नम्बर भी नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) माध्यमिक शाला, कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा में गेम्स, परीक्षा व रीडिंग फीस ली जाती है ।

(२) शाला शुल्क के नाम से कोई फीस नहीं ली जाती है ।

(३) जी हां, जो फीस ली जाती है उसकी रसीद दी जाती है ।

(४) यह सही है कि नम्बर मशीन से छपे हुये नहीं हैं । रसीदों पर नम्बर हाथ से लिखे जाते हैं और हर रसीद बुक १०० रसीदों की जिल्द बन्धी होती है ।

श्री अब्दुलजब्बार : यह जो आपने शाला-शुल्क के लिए कहा है कि नहीं, तो क्या आपने इसकी जांच की है कि शाला-शुल्क नाम की कोई फीस नहीं ली जा रही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हम जो कुछ यहां बोलते हैं वह जांच के द्वारा और इत्मिनान से बोलते हैं ।

श्री अब्दुलजब्बार : तो मैं आपको सूचना देता हूं कि शाला शुल्क ली जाती है ।

Page No.24

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अगर गलत बात हो तो आप फरमायें, वह करने के लिए तैयार हूं। लेकिन गलत जवाब नहीं आना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह मानते हैं कि एज्यूकेशन डिपार्टमेंट बदनाम है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि शाला शुल्क ली जाती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपका दावा एक तरफा है।

श्री अब्दुलजब्बार : नहीं, मैं दोतरफा करता हूं। यह भी कह रहा हूं कि आप ठीक नहीं कह रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : फीस जो वहां ली जाती है वह गेम्स फीस ली जाती है, परीक्षा की फीस ली जाती है, रीडिंग के नाम की फीस ली जाती है। इसके अलावा यह शाला शुल्क इस गेम्स फीस का नाम हो या कहां परीक्षा का कोई पर्यायवाची शब्द हो आपके वहां बोलने हैं तो पता नहीं, लेकिन इनके अलावा और कोई फीस नहीं ली जाती है।

श्री अब्दुलजब्बार : (अश्रव्य)

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : मंत्री महोदय जांच करवालें तो उनको इत्मिनान हो जायेगा।

श्री अब्दुल जब्बार : यह सही है कि अकाउन्ट्स के रूल्स के मुताबिक जो रसीदों के ऊपर नम्बर पक्के नहीं हैं वह कानून के खिलाफ है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप सेक्शन पढ़कर बता दीजिए कि कौनसा कानून है ?

श्री अब्दुलजब्बार : सेक्शन १८,

श्री निरंजननाथ आचार्य : तो मैं पुस्तक देखकर बता दूंगा ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : प्रश्न संख्या ७७०,

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry, Hon'ble Member, there is no authority.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : I have already submitted authority on ble sevnth

पंचायत को इन्तकाल दर्ज करने के अधिकार

७७०. **श्रीरामानन्द अग्रवाल** (अलवर) [श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि चिड़ावा तहसील में पंचायतों को इन्तकालात दर्ज करने के अधिकार नहीं है ? यदि हां तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि झुंझुनू और चिड़ावा दोनों तहसीलों में लगभग ६५ प्रतिशत इन्तकालात बिना तस्दीक किए हुए पड़े हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, राजस्व : (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं। चिड़ावा तहसील में पंचायतों को राजस्थान में अन्य पंचायतों की तरह इन्तकाल दर्ज करने के अधिकार हैं पर वह अन्य पंचायतों की तरह इन्तकाल तस्दीक करती है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा)

(२) जी नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आपने अच्छी तरह जानकारी कर ली है कि वहां पर इन्तकाल सही दर्ज हुए हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ११,९७१ इन्तकाल पेश हुए थे और उसमें ११,८४६ तस्दीक हो चुके हैं। केवल १३३ इन्तकाल तस्दीक होने बाकी हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आपको आंकड़ों के ऊपर विश्वास है कि ये आंकड़े सही हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सही हैं और सही सूचना होने पर ही जवाब देते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इसमें कितने इन्तकाल ऐसे हैं जो झूठे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिनको एतराज हो वे अपील कर सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा: अपने अपनी तरफ से कोई जांच नहीं की कि टीनेन्सी लाज़ हैं उनका सही तौर से पालन हुआ है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जांच की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरलाल।

प्रतापगढ़ मल्टी पर्पज़ सेकेन्डरी स्कूल में बायोलोजी कक्षायें

७७१. **श्री हरलाल** (प्रतापगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ मल्टीपर्पज़ हायर सेकेन्डरी स्कूल में बायोलोजी विषय प्रारम्भ करने का आदेश सन् १९६२ में डाइरेक्टर शिक्षा विभाग द्वारा हुआ था ?

(२) क्या यह विषय विद्यालय में चल रहा है ? यदि नहीं, तो किस कारण से बन्द हुआ ? और अब कब यह विषय प्रारम्भ किया जायेगा ?

उप-मंत्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) यह सत्य है कि मल्टीपर्पज़ हायर सेकेन्डरी स्कूल, प्रतापगढ़ में बायलोजी विषय प्रारम्भ करने के आदेश दिये गये थे परन्तु बाद में इकोनोमी कट के अन्तर्गत इस विषय को नहीं खोला गया।

(२) सत्र १९६३–६४ से उक्त स्कूल में बायोलोजी विषय खोल दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

लम्बरदारी व चौधरी सिस्टम

७७२. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने लम्बरदारी व चौधरी सिस्टम समाप्त करने की घोषणा कर दी है परन्तु उसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है ? क्रियान्वित नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(२) क्या यह सही है कि तहसील देवली ग्राम बन्धली में तहसीलदार देवली ने श्री मूलचन्द पुत्र श्योकरण के हक में पटेलाई मन्जूर की है या इसकी सिफारिश की है ? यदि हां, तो कब ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त मूलचन्द के पिता को फौत हुए ३ साल हो चुके हैं ?

(श्री दिग्विजयसिंह)

(४) यदि हां, तो तहसीलदार ने यह पटेलाई का केस तीन साल बाद कैसे तय किया और पटेलाई अब तक क्यों नहीं दी गयी ? सरकार की उपरोक्त घोषणा के बाद यह करना कहां तक उचित था ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) (१) जी हां । उसे क्रियान्वित करने के लिए लैंड रेवेन्यू (अमेन्डमेंट) बिल, १९६३ सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके पारित होने पर आगे उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(२) जी नहीं, ऐसा नहीं किया गया ।

(३) मूलचन्द के पिता का देहान्त हुए डेढ़ साल हुआ है ।

(४) इश्तिहार तामील होकर न आने से मुकदमा अभी तहसील देवली में पेंडिंग है ।

श्री दिग्विजयसिंह : मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है (२) का 'जी नहीं', इसके लिए क्या सरकार को पूरी जानकारी है कि ऐसा नहीं हुआ । मैं स्वयं वहां मौजूद था । आपकी गलत सूचना है कि ऐसा नहीं हुआ । मैं उस समय मौजूद था तहसीलदार के साथ गांव में ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है उसके अनुसार उत्तर दिया है ।

श्री दिग्विजयसिंह : फिर यह गलत सूचना प्राप्त हुई है इसके ऊपर ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आपको गलत सूचना दी हो ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपके कहने से ही थोड़े ही साबित हो गया कि गलत सूचना दी गई है ।

श्री मानसिंह महार: जब वे वहां थे तो उनको सही मानें या आपको सही मानें ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : कई बार ऐसा होता है कि जैसे बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि माइनर इरिगेशन के रुपये पहुंचे ही नहीं, लेकिन बाद में तस्दीक करने से मालूम हुआ कि रुपये पहुंच गये हैं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : Point of order sir, यह जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अभी कहा कि ५०,०००) रु० बनेड़े की पंचायत समिति के पास पहुंच गये हैं तो मैं चेलेन्ज के साथ कहता हूं कि वहां से पी० डी० आर० मंगा कर देख लिया जाय, अगर ५०,०००) रु० जमा हो गये हों तो मैं सदन से इस्तिफा दे दूंगा ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बहुत अच्छा, मैं यहां पर माननीय अध्यक्ष जो वहां पर कागज पंचायत समिति के थे उनको देखकर जो जोइन्ट डी० सी० ने रिपोर्ट दी है मैं उनके समक्ष रखता हूं ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सदन की टेबल पर रख दें ।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! It is irrelevant.

(विराम)

Shri Kedar Nath.

Page No.27

राजनैतिक पीड़ितों को जमीनें

७७३. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि गंगानगर जिले में राजनैतिक पीड़ितों को जमीन दी गई है ? यदि हां, तो उसकी सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : जी हां, यह सही है कि श्री गंगानगर जिले में राजनैतिक पीड़ितों को जमीन दी गई हैउनकी सूची, संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री केदारनाथ : श्री माधोसिंह का नाम इसमें है क्या ?

रामप्रसाद लड्ढा : यह सूची संलग्न है, देख लीजियेगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गंगानगर जिले में जिन लोगों को जमीन दी गई है उनका नाम यहां पर दिया गया है । उनका नाम सूची में देख लीजिये ।

श्री केदारनाथ : मुझे सूची नहीं मिली है, इसीलिए पूछ रहा हूं कि इसमें श्री माधो सिंह का नाम है कि नहीं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें केवल उन्हीं लोगों के नाम हैं जिनको गंगानगर जिले में जमीनें दी गई हैं । इसमें १५ नाम है । इसमें श्री माधो सिंह का नाम नहीं है । इसका अर्थ यह है कि इनको गंगानगर जिले में जमीन एलॉट नहीं हुई है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : क्या माननीय सदस्य का भी नाम है इसमें ।

चीनी कोटा वितरण

७७४. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या खाद्य व कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा व उदयपुर जिलों में चीनी का कितना प्रतिशत कोटा व्यापारियों के मार्फत व कितना प्रतीशत सहकारी संस्थाओं के मार्फत होल सेल में वितरित किया गया है ।

(२) उक्त शहरों में कितने प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार कार्य कर रहे है ? क्या सरकार की यह नीति है कि उक्त शहरों के वार्डों में सहकारी संस्थाओं के बनने के पश्चात् खुदरा चीनी वितरण का कार्य उनके माध्यम से ही किया जाय ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी किये गये विभागीय आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ?

(३) क्या यह सही है कि सरकारी उपभोक्ता भंडारो से भी कलेक्टरों द्वारा चीनी वितरण व्यवस्था दिये जाने के कारण उनसे सिक्योरिटी ली जाती है ? क्या राज्य सरकार इस प्रकार ली जाने वाली सिक्योरिटी को रिफण्ड करने व भविष्य में सिक्योरिटी न लिये जाने के आदेश देने का विचार रखती है ?

कृषि व खाद्य मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) उक्त जिलों में शक्कर का होलसेल का कोटा निम्न प्रकार से व्यापारियों एवं सरकारी संस्थाओं में वितरित किया गया है :—

Page No.28

जिला	सहकारी संस्थाएं प्रतिशत	व्यापारी वर्ग प्रतिशत
जयपुर	४५॥ प्र०	५४॥
कोटा	७ प्र०	९३ प्र०
जोधपुर	४९ प्र०	५१ प्र०
उदयपुर	११.७९ प्र०	८८.२१ प्र०
बीकानेर	४० प्र०	६० प्र०
अजमेर	सूचना अभी उपलब्ध नहीं हुई है।	

(२) उक्त शहरों में निम्नांकित प्राथमिक भंडार कार्य कर रहे हैं—

अजमेर	२० ये सब चीनी वितरण भी करते हैं।
जयपुर	३४ ,, ,,
कोटा	९ में से केवल ३ चीनी का वितरण करते हैं।
जोधपुर	३५ ये सब चीनी का वितरण करते हैं।
उदयपुर	३ भंडार हैं वही चीनी बेचने का काम करते हैं।
बीकानेर	२० इनमें से १८ चीनी वितरण कर रहे हैं व २ अब करने लगेंगे।

सरकार की यह नीति है कि चीनी का खुदरा वितरण करने के लिए सहकारी उपभोक्ता भंडारों व अन्य इसी प्रकार की सहकारी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जावे यदि वे इस कार्य को करना चाहते हैं और साथ ही इस कार्य को करने के योग्य भी हों। जहां पर्याप्त मात्रा में सहकारी संस्थाएं उपलब्ध न हों अथवा इस कार्य के करने की इच्छुक न हों, वहां व्यक्तिगत रूप से दूकानें दी जाती हैं। कम से कम ५० प्रतिशत शक्कर के कोटे का वितरण सहकारी संस्थाओं के माध्यम से होना चाहिए। सहकारी उपभोक्ता भंडारों के बनने के बाद खुदरा चीनी का वितरण केवल उनके माध्यम से ही किया जावे, ऐसी सरकार की नीति नहीं है।

(३) जी हां, राज्य सरकार इस प्रकार ली जाने वाली प्रतिभूति को लौटने अथवा भविष्य में ऐसी प्रतिभूति न लिए जाने के आदेश देने का कोई विचार नहीं रखती है। भारत सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक शक्कर वितरक से प्रतिभूति लेना आवश्यक है।

Page No.29

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह सरकारी भंडारों को अभी तक होलसेल का जो ५० प्रतिशत से कम कोटा किया गया है तो क्या राज्य सरकार कलेक्टर्स को यह आदेश देने का विचार रखती है कि ५० पर्सेन्ट से जितने अनुपात में कोटा कम दिया गया है अगले महीने में उसको कम्पेन्सेट कर दिया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुत से सहकारी भंडार एग्जिस्टेन्स में बहुत ही बाद में आये हैं जब कि होलसेल स्टोर्स बने थे वे बाद में बने हैं। हमने जो सर्क्यूलर भेजा था पोलिसी डाइरेक्शन के तौर पर यह पहले का फैसला है जो उनके पास पहुंचा है और कई प्राइवेट लोग जो कि पहले से काम कर रहे थे उनके साथ में किस प्रकार से जल्दी से जल्दी ५० पर्सेन्ट की बात कही है उसको पूरा करें। उससे भी आगे बढ़ने कहा था।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कलेक्टर्स को डिस्क्रीशन दे दिया है कि पचास पर्सेन्ट से ज्यादा कोटा सहकारी होलसेल भंडारों के मार्फत बांटे तो राज्य सरकार को कोई एतराज नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें हमें तो खुशी होगी कि सहकारी समिति अच्छा काम कर रही है और लोगों को ज्यादा संतोष देती है। उनके मार्फत ज्यादा से ज्यादा काम हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह।

भाखरा क्षेत्र में स्माल लैन्ड-होल्डर्स

७७५. श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) भाखरा क्षेत्र में ऐसे कितने किसान हैं जिनके पास १५ बीघा से कम जमीन है व जो स्माल लैन्ड होल्डर्स की श्रेणी में आते हैं ?

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने कोलोनाइजेशन विभाग को आदेश दिये कि भाखरा क्षेत्र के १५ बीघा से कम जमीन वालों की कमी पूर्ति की जावे ? यदि हां, तो अब तक कितने किसानों को भूमि दी गई है ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) भाखरा क्षेत्र के राजस्थान उपनिवेशन (भाखरा परियोजना राजकीय भूमि के आबंटन तथा बिक्री सम्बन्धी) नियम १९५५, ये स्माल लैन्ड होल्डर्स जैसी कोई श्रेणी नहीं है किन्तु भाखरा क्षेत्र में कुल १ १९ ऐसे किसान अवश्य हैं जिन के पास १५ बीघा से कम जमीन है।

(२) जी नहीं।

श्री श्योपतसिंह : इस तरह का क्या कोई आदेश नहीं दिया गया कि कमी पूर्ति की जाय?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी नहीं।

श्री श्योपतसिंह : मेरे ख्याल से आप थोड़ा और देख लें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका मतलब यह है कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वह सोच समझ कर कह रहा हूं।

श्री श्योपतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि तहसीलदार ने वहां पर कमी पूर्ति के लिए जमीनें दी थीं उसके थोड़े अर्से के बाद में जमीनें नीलाम कर दी गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने सोच-समझकर कहा है कि इस प्रकार का कोई

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
आदेश नहीं दिया गया है कि जिनके पास १५ बीघा है उनको अधिक जमीन दे दी जाय ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : १५ बीघा से कम है तो १५ बीघा जमीन दे दी जाय । क्या यह सही है कि लैन्डलेस टीनेन्ट्स को एक बीघा भी जमीन नहीं है इसको साढ़े बारह बीघा जमीन सरकार की तरफ से एलाट की जा सकती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह नीलाम की बात है । इससे सेपेरेट क्वेश्चन है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वह इससे बहुत सम्बन्धित है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने सवाल पूछा कि भाखरा कोलोनाइजेशन के अन्दर गवर्नमेंट ने ऐसा कोई आदेश दिया है कि जिसके पास १५ बीघा से जमीन कम है उसको १५ बीघा तक पूर्ति करदी जाय । मैंने निवेदन किया कि इस प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया गया है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या सरकार इस बात की ओर ध्यान दे रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ध्यान देने का प्रश्न नही है । यह अलग प्रश्न है । यह सवाल नहीं था । सवाल इतना सा था कि ऐसे आदेश दिये गये या नहीं तो मैंने निवेदन किया कि आदेश नहीं दिये गये ।

श्री श्योपतसिंह : मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार की तरफ से ऐसे आदेश हुए हैं और सैंकड़ों लोगों को जमीनें दी गई हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ऐसे आदेश माननीय सदस्य के ध्यान में हो तो उन आदेशों को मैं देख लूं और उसको मैं समझ कर आपको निवेदन कर दूंगा ।

श्री श्योपतसिंह : कमी पूर्ति की गई है, मगर....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका और कहीं प्रोसीजर होगा । जनरल ऑर्डर हो इस प्रकार का कि कमी हो तो हरेक की पूर्ति कर दी जाय, ऐसा कोई आदेश नहीं है ।

श्री श्योपतसिंह : लोगों को जमीन एलॉट कर दी गई थी ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह १६ (२) के तहत का होगा । कमी पूर्ति की बात नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या मंत्री महोदय को मालूम नहीं कि लैन्डलेस टीनेन्ट के पास एक बीघा जमीन नहीं हो तो उसको साढ़े बारह बीघा जमीन देने के लिए भाखरा प्रोजेक्ट एरिया में घोषणा हुई है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह इस प्रश्न में नहीं पूछा गया है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पूछा गया या नहीं, लेकिन क्या यह आपके ध्यान में है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ध्यान में तो मेरे बहुत सी बातें हैं । उसमें ४० सेक्शन हैं । वे सब ध्यान में है ।

श्री उपाध्यक्ष : उससे इसका सम्बन्ध नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिस लैन्डलेस टीनेन्ट के पास एक बीघा भी जमीन नहीं है उसको साढ़े बारह बीघा और जिसके

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

पास में २ बीघा जमीन हो उसको १० बीघा और जमीन देने में क्या एतराज है सरकार को ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रश्न अलग है। प्रश्न यह पूछा गया है कि क्या ऐसे आदेश दिये गये तो मैंने निवेदन किया कि सरकार ने आदेश नहीं दिया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या सरकार इस तरह के आदेश देने का विचार करती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग प्रश्न है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : प्रश्न बहुत स्पष्ट है। उप मंत्रीजी इस प्रश्न को टाल रहे हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस प्रकार से किसी के पास ३ बीघा जमीन है तो १२ बीघा जमीन देकर उसको १५ बीघा कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए आप दूसरा प्रश्न पूछिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनका प्रश्न स्पष्ट है तो मेरा उत्तर भी स्पष्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

हरिजन मोहल्ले में सरकारी खर्चे से पाइप लाइन

७७६. श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : [श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) द्वारा पूछा गया] क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि नापासर (बीकानेर) में पंचायत के हरिजन मोहल्ले में सरकारी खर्च से पाइप लाइन पिछले आठ साल से लगी पड़ी है, परन्तु क्या यह सही है कि इसमें पानी नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : जी हां। पाइप लाइन तत्कालीन म्युनिसिपल कमेटी, नापासर द्वारा डाली गई थी व अभी तक उसके द्वारा पानी की सप्लाई नहीं की जा सकी है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्यों नहीं की जा सकी जब कि हरिजनों का सवाल है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह बात सही है कि जिस जगह से पानी लेना था वह एक इन्डिविजुअल आदमी का कुआ है और उसकी ही पाइप लाइन है। वह नहीं देना चाहता इसलिए सरकार अलग से पब्लिक वेल है वहां से पाइप लाइन को कनेक्ट करके पानी देने की योजना क्रियान्वित करने का प्रयत्न कर रही है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सरकार के ध्यान में कब आ गया था कि जिस आदमी का प्राइवेट वेल है वह पानी देना नहीं चाहता ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पाइप लाइन म्युनिसिपैलिटी की ओर से डाली गई है, पाइप लाइन बनाने के बाद जब उनको पानी देने के लिये कहा गया तो वह रजामंद नहीं हुआ। इसलिये योजना बनाकर विकास विभाग विचार कर रहा है कि इसको पब्लिक वेल से कनेक्ट कर देंगे और पाइप लाइन काम में आ जायगी।

Page No.32

श्री भैरोंसिंह : आपने बताया कि पाइप लाइन बने हुए ८ वर्ष हो गये। पाइप लाइन बनने में चार महीने, छः महीने या ज्यादा से ज्यादा १ साल लगा होगा तो ६ वर्ष तक सरकार इन्तजार क्यों करती रही ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमारे इन्तजार करने का सवाल नहीं था। वहां की पंचायत और म्युनिसिपैलिटी इसके लिये प्रयत्न कर रही थी। जब वे इसमें विफल हो गये तो सरपंच ने हमें सूचना दी। इन्डिविज्युअल पानी देने के लिये मजबूर नहीं कर सकते, उसको मजबूर कैसे करें तब यह योजना हाथ में लेनी पड़ी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या उन्होंने लिखित में ऐसी चीज दी है कि उस कूए से हरिजनों को पानी भरने देने को तैयार नहीं हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा ; किस लिये नहीं देना चाहते यह मैं नहीं कह सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं यह नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो यह पूछ रहा हूं कि उन्होंने इस बारे में कुछ लिखित में भी दिया है या कोरी मुंहजबानी बात है ?

श्री उपाध्यक्ष ; श्री रामकिशन।

अलवर में प्रेस लगाने के लिये कर्जा

७७७. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या खेरली, जिला अलवर, में प्रेस लगाने के लिये किसी को कर्ज दिया गया है ? यदि हां, तो किसे, कब और कितना रूपया ?

(२) क्या प्रेस लग गया है ? यदि हां, तो सरकार ने इसे कब चैक किया है ?

उप-मंत्री उद्योग, (श्री चंदनमल वैद) : (१) जी हां। श्री प्रकाशचन्द बंसल प्रोप्राइटर शान्ति दूत प्रिन्टिंग प्रेस, खेरली को ५०००) रुपये का ऋण दिनांक २५-१-१९६१ को कटिंग मशीन और टाइप आदि खरीदने को दिया गया।

(२) प्रेस ऋण स्वीकृत होने के पहले ही लगा हुआ था। दिनांक ३०-१२-६० को जिला उद्योग अधिकारी ने इस प्रेस का निरीक्षण किया था।

श्री रामकिशन : जिस काम के लिये ऋण दिया गया था वह कटिंग मशीन आई या नहीं ?

श्री चंदनमल वैद : जिस काम के लिये ऋण दिया गया था उसी काम में खर्च हुआ।

श्री रामकिशन : किस काम में खर्च हुआ ?

श्री चंदनमल वैद : जिस काम के लिये ऋण दिया गया था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : आपने कहा कि २०-५-६१ को ऋण दिया था उससे पहले कटिंग मशीन आ गई थी ?

श्री चन्दनमल वैद : मैंने यह जवाब दिया था। प्रेस ऋण देने से पहले ही लगा हुआ था और दिनांक ३०-१२-६० को जिला उद्योग अधिकारी ने उस प्रेस का निरीक्षण किया था।

Page No.33

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : आपने ऋण दिया उससे पहले यह मशीन लगी हुई थी ?

श्री चन्दनमल वैद : मुझे दुःख है कि आपने मेरा जवाब सुना ही नहीं।

श्री नत्थीसिंह : नाराज क्यों होते हैं ?

श्री चंदनमल वैद : नाराज तो आप हो रहे हैं। उत्तर फिर से सुन लीजिये।

(१) जी हां, श्री प्रकाशचन्द बंसल प्रो. शान्ती दूत प्रिन्टिंग प्रेस रेवरली को ५,०००) रुपये का ऋण दिनांक २५–१–६१ को कटिंग मशीन और टाइट आदि खरीदने को दिया गया।

(२) प्रेस ऋण स्वीकृत होने के पहले ही लगा हुआ था। दिनांक २०–१२–६० को जिला उद्योग अधिकारी ने इस प्रेस का निरीक्षण किया।

श्री नत्थीसिंह : यह कटिंग मशीन कब आई है ?

श्री चंदनमल वैद : वह आ चुकी है।

श्री नत्थीसिंह : कब आई ?

श्री चंदनमल वैद : यह इम्मेटीरियल है।

श्री नत्थीसिंह : प्रशन तो यही है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि लोन ग्रान्ट होने से पहले यह कटिंग मशीन लग चुकी थी ?

श्री चंदनमल वैद : यह सही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

गंगानगर शुगर मिल

७७८. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंह नगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गंगानगर शुगर मिल की क्रशिंग केपेसिटी कितनी है ?

(२) इसे बढ़ाने के लिये १९६१–६२ में कितना रुपया खर्च किया गया है ?

(३) क्या मिल की क्रशिंग केपेसिटी बढ़ी है ?

(४) क्या मिल को चलाने के लिये बेगस का उपयोग किया जाता है ? यदि हां, तो कितना बेगस बचता है और कितना बेचा जाता है ? क्या बेगस के अलावा कोयला भी उपयोग में लिया जाता है ? यदि हां, तो कितना ? क्या यह कोयला बेचा भी गया है ?

(५) १९६१–६२ में एमर्जेंसी परचेज में कितने रुपये के स्पेयर पार्ट्स खरीदे गये ? इनकी खरीद फरोख्त के सिलसिले में शिफ्ट इंजीनियर कितने दिन दिल्ली रहे तथा उन्होंने किस फर्म से सामान खरीदा ? क्या इस संबंध में और फर्मों से भी कोटेशन्स लिये गये ? ये स्पेयर पार्ट्स देशी खरीदे गये या विदेशी ?

(६) मिल में ड्रेनेज तथा मोलेसेज टैंक कब बनाये गये ? इन पर क्या लागत आई, क्या ये क्रेक हो गये हैं ?

(७) मिल द्वारा १९६१–६२ में जो गन्ना इलाके के किसान का गया था, क्या उसके सारे पैसे किसानों को चुकती कर दिये गये हैं ?

Page No.34

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(८) क्या सरकार के पास सूचना पहुंची है कि मिल में भारी गबन है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने जांच करवाई है ? यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं ? किन किन अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है ? दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) गंगानगर शुगर मिल की क्रशिंग केपेसिटी एक हजार टन प्रति दिन है।

(२) इसे बढ़ाने के लिए १९६१–६२ में रू. २,५७,९९९. २५ न० पै० खर्च किये गये हैं।

(३) जी हां।

(४) जी हां, बेगस बचता नहीं है। अतः बेचे जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी हां, बेगस के अतिरिक्त कोयला भी उपायोग में लिया जाता है। १९६१–६२ में २३९९.७४ मीट्रिक टन कोयला उपयोग में आया। कोयला मिल द्वारा बेचा नहीं गया है।

(५)१९६१-६२में एमर्जेंसीपर्चेजके अन्तर्गत रु० ४४,६१९.७० नये पैसे के स्पेयर पार्ट्स खरीदे गये ? इनकी खरीद फरोख्त के सिलसिले में शिफ्ट इन्जीनियर ३६ दिन दिल्ली रहे। जिन फर्मों से सामान खरीदा गया उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। जी हां, इस संबंध में अन्य फर्मों से भी कोटेशन्स लिये गये थे ? ये स्पेयर पार्ट्स देशी थे तथा कुछ विदेशी।

(६) मिल में ड्रेनेज नहीं बनाया गया। मोलेजेस टैंक जनवरी, मार्च, १९६१ में बनाया गया। इस पर रुपये १९,५६८.०९ नये पैसे की लागत आई। जी नहीं। मोलेसेज टैंक क्रैक नहीं हुआ है।

(७) जी हां। लगभग सम्पूर्ण चुकारा हो चुका है। केवल उन किसानों को रकम शेष है जो अभी तक पेमेंट लेने नहीं आए।

(८) जी हां। मामला पुलिस के अधिकार में है जो न्यायालय में आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

श्री योगेंद्रनाथ हांडा : एक तो प्रश्न यह पैदा होता है कि आप कहते हैं कि सारा का सारा बेगस जल जाता है उसके बाद २३९९ मैट्रिक टन कोयला और यूज होता है। क्या भारत की और मिलें भी इस प्रकार बेगस यूज़ करने के बाद कोयला यूज करती हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : दूसरी जगह अच्छी मशीनें हैं नयी आई हैं इसलिये उनका पूरा काम बेगस से चल जाता है। हमारे यहां मशीन पुरानी है। उसकी हालत खस्ता थी। इधर उधर से जोड़ तोड़ करके उसे तैयार किया आप लोगों की भलाई के लिये। स्पेयर पार्ट्स भी पूरे उपलब्ध नहीं होने से पुराने पार्ट्स को ठीक करके काम चलाया गया है इसलिये दूसरी जगह की नयी मशीनों के मुकाबले में बेगस और कोयले की अधिक खपत होती है।

श्री योगेंद्रनाथ हांडा : २ लाख ९९ हजार रुपये खर्च करने के बाद मिल की क्रशिंग केपेसिटी कितनी बढ़ गई ?

Page No.35

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले ६०० टन करीब थी अब करीब १००० टन है। पिछले चार सालों में जो गन्ना क्रश किया है उसके आंकड़े बता देता हूं :–

५८–५९ में १७,२८१ टन क्रश किया,

५९–६० में २०,२२२ टन...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a point of order, Sir.........

श्री नाथूराम मिर्धा : आप ही सवाल पूछते हैं और आप ही पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मंत्री महोदय उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जो मैं नहीं पूछ रहा हूं।

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : It cannot be a point of Order. It can be a point of clarification

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : You cannot stand in between my point of Order and the Chair.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : It is no point of order.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Let it be a point of clarification २लाख ९९हजार रुपया खर्च करने के बाद मैंने पूछा है कि क्रशिंग केपेसिटी कितनी बढ़ी। मैंने यह नहीं पूछा कि चार साल में कितनी बढ़ी।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने बताया कि १६,००० मन एक दिन में पड़ती है। चार साल में...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इनके पोइन्ट ऑफ ऑर्डर का उत्तर आप देंगे या चेयर ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसकी तो सफाई उन्होंने खुद ने करदी। मैं यह बता रहा था कि चार साल में क्रशिंग केपेसिटी एक दिन की १६ हजार मण से शुरू हुई थी, २४ हजार मण तक गई। पहले ६०० टन थी अब हो गई करीब १,००० टन ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा प्रश्न यह था कि क्रशिंग केपेसिटी कितनी है उसके उत्तर में कहा १,००० टन है। शुगर की केपेसिटी एक हजार टन है। मुझे जो लिखित में उत्तर मिला है उसमें लिखा है गंगानगर शुगर मिल की क्रशिंग केपेसिटी एक हजार टन प्रतिदिन है। मेरा प्रश्न था ६१–६२ में कितनी थी। उसका जवाब दिया गया मिल की केपेसिटी बढ़ी है। मेरा प्रश्न था, इतने रुपये खर्च करने के बाद ६२–६३ में कितनी केपेसिटी बढ़ी थी तो उत्तर दिया एक हजार टन। चार साल से पहले कितनी थी, आपका उत्तर आया १ हजार टन....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने यह कहा कि रुपये खर्च किये उससे पहले ६०० टन थी और बाद में १,००० टन हुई आपको गलतफहमी कैसे हो गई ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इतना रुपया खर्च करने के बाद केवल ४०० टन की केपेसिटी बढ़ी ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

नम्बरदार की हैसियत से रकम की वसूली

७७९. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भीमसेन)

(१) पिछले तीन वर्षों से तहसील बीकानेर के छत्तरगढ़, सत्तासार, मोतीगढ़ एवं लाखासर आदि गांव में किन किन व्यक्तियों ने नम्बरदार की हैसियत से रकम वसूल की तथा उनमें से किन किन को पिचोतरा दिया गया ? अगर पिचोतरा नहीं दिया जा सका तो किन कारणों से तथा इसके लिये कौन जिम्मेवार है ?

(२) क्या सरकार इतने विलम्ब को वाजिब समझती है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। सं० २०१७ तक पिचोतरा वितरण करने में अवशेष नहीं है। सं० २०१८ के पिचोतरा की रकम छतरगढ़ के तीन ग्रामों में बांटी जा चुकी है। छतरगढ़ गांव की रकम के वितरण की कार्यवाही जारी है। छतरगढ़ के नम्बरदारों के पिचोतरा की रकम का हिसाब होकर आने पर उनको भुगताया गया। जो अभी तक रकम लेने के लिये।

(श्री योगेंद्रनाथ हांडा पिछले प्रश्न पर सप्लीमेंट्री साथ ही पूछते रहे)।

तहसील में नहीं आये फिर भी उनको रकम का भुगतान ग्राम छत्तरगढ़ में ही करने की कार्यवाही कर ली गई है। इन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं उठता।

(२) क्योंकि अब सब लम्बरदारों के पिचोतरा का भुगतान करने की कार्यवाही की जा चुकी है, यह प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मेरे प्रश्न के ८ आइटम हैं, उन पर मुझे सप्लीमेंट्री करने है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a point of Order, I protest, sir. I will protest on this point. There are eight items of my question and I have asked only one supplementary.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Next question had been called.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : In most of the items of the question wrong information has been given.

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि लम्बरदारों ......

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : For example here is a reply.........

(श्री भीमसेन का प्रश्न और उप-मन्त्री, राजस्व) श्री रामप्रसाद लड्ढा का उत्तर-अश्रव्य)

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) :On a point of order, Sir, प्रश्न यह है कि जो सवाल आपने मांगा उसका उत्तर दे दिया गया और अब सप्लीमेंट्री उपर से पूछे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में रूल्स ऑफ प्रोसीजर के माफिक पूर्व प्रश्न के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय जब ....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! आपके प्रश्न के ऊपर जितने सप्लीमेंट्री आपने

Page No.37

(श्री उपाध्यक्ष)

पूछे उनका उत्तर दिया जा चुका है। उस प्रश्न में फिर कोई गलतफहमी रहती है तो अगर आप चाहें तो रूल्स आफ प्रोसीजर के अन्दर दूसरे तरीके हैं जिससे डिस्कशन रेज़ कर सकते हैं और सब बातें कर सकते हैं। जब दूसरा प्रश्न आ चुका है तो मेरी समझ में आप उस प्रश्न के सम्बन्ध में चाहें तो डिस्कशन रेज़ कर सकते हैं या दूसरे तरीके से उनका स्पष्टीकरण करा सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरी प्रोटेस्ट यह है कि जब सप्लीमेंट्री मैंने पूछा था········

श्री उपाध्यक्ष : There was sufficient time allowed on your question. How can I imagine that supplementaries have finished or not. After sufficient time, next puestion was called. If anything is to be clarified,there are other procedures to get clarifications. Next question.

श्री भीमसेन : I had also asked a question. . .

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो मेरा सप्लीमेंट्री है वह अनरिप्लाइड है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Shri Bhimsen !

श्री भीमसेन : मेरे प्रश्न का जवाब दे दिया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : प्रश्न और सप्लीमेंट्री दोनों का जवाब दिया जा चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध गबन की शिकायत

७८०. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि तहसील भादरा (जिला गंगानगर) की शेरडा ग्राम पंचायत के भूतपूर्व सरपंच श्री बहादुर के विरुद्ध ग्राम पंचायत के लगभग ३०,०००) रुपये गबन करने की शिकायत सरकार के समक्ष प्रस्तुत हुई थी जिस पर भूतपूर्व मन्त्री महोदय ने कानूनी कार्यवाही करने की आज्ञा दी थी ?

(ख) क्या यह सही है कि मन्त्री महोदय की इस आज्ञा का पालन नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों और नहीं तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(ग) क्या यह सही है कि सन् १९५८ में ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव हार जाने पर उक्त सरपंच ने चार्ज नहीं दिया जिस पर पुलिस की सहायता से चार्ज दिलवाया गया ?

(घ) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच ने पंचायत का रेकॉर्ड गायब कर दिया ? यदि हां, तो क्या क्या रेकॉर्ड गायब मिला ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। सरपंच के विरुद्ध ४०९ आई० पी० सी० का मामला दर्ज किया गया था जो अदम वकुबे में खारिज हो गया।

(ग) जी हां। पुलिस को भी लिखा गया था, किन्तु बाद में उन्होंने चार्ज दे दिया था।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(घ) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी ।

श्री भैरोंसिंह : पहले प्रश्न के सम्बन्ध में आप कहते हैं; 'हां' कहा तो अदम वकुवा में कैसे चला गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा है, इस प्रकार का मुकदमा दर्ज हुआ था लेकिन पुलिस ने कार्यवाही करके नक्शा अदम वकुवा में दे दिया और अदम वकुवा में यह खारिज हो गया ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह मान लिया जाय कि गबन नहीं हुआ है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इससे यही माना जायगा कि गबन नहीं हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह : यदि कोई गबन नहीं हुआ है तो क्या यह समझा जाय कि बीस हजार का कोई बेड अकाउन्ट तहसील में नहीं है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी सूचना है कि रुपये का गबन नहीं हुआ, लेकिन वह पैसा अपने पास नहीं रख सकता था और बैंक में उसे जमा कराना चाहिए था । इस प्रकार की बात थी, इसके ऊपर मुकदमा चला और नक्शा अदम वकुवा में दे दिया और अदम वकुवा में खारिज हो गया । इसमें गबन या मिस एप्रोप्रियेशन की या कोई और बात मालूम नहीं होती ।

श्री भैरोंसिंह ; क्या यह सही है कि जिस तारीख को केस रजिस्टर किया गया उस तारीख को नियमानुसार जो पैसा रहना चाहिए वह नहीं पाया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ये डिटेल्स मैं नहीं बता सकता कि जिस तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ उस तारीख को पैसा कहां था, लेकिन कन्क्लूजन जो निकला है वह यह है कि जो नक्शा दिया गया वह अदम वकुवा माना गया और उसके आधार पर मैं कहता हूं कि गबन नहीं हुआ ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि केस रजिस्टर होने के बाद रुपया जमा कराया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप इसकी जानकारी करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जानकारी प्राप्त करली जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगासिंह ।

जागीरदारों को म्यूटेशन फीस की वापसी

७८१. **श्री गंगासिंह** (जायल) : Will the Revenue Minister be pleased to state :—

(a) Is it a fact that the Revenue Board has passed orders to realise mutation fees from the Ex-Jagirdars for the conversion of their Khudkasht Land in the Khatedari Land ?

(b) If not, is it a fact that the Patwaris have forcefully realised this mutation fee from the Ex-Jagirdars in Nagaur District ?

(श्री गंगासिंह)

(c) How much amount of the said mutation fees has been realised from the Ex-jagirdars in Nagaur District ?

(d) Will the Government refund the mutation fees realised from the Ex-Jagirdars who were retaining their land as khudkast land land since long ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (a) Yes.

(b) No. Realisation has been done according to rules.

(c) A sum of Rs. 76,406/- has been realised as mutation fees both in khalsa and Jagir villages of Nagaur District. Separate figures in respect of the mutation fees realised from ex-jagirdars only are being collected.

(d) No.

श्री गंगासिंह राठोड़ (जायल) : क्या यह सही है कि जागीरदारों के सम्बन्ध में स्टे ऑर्डर दिया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : स्टे ऑर्डर दिया गया था।

श्री गंगासिंह राठोड़ : स्टेऑर्डर जारी होने के बाद जो वसूली की गई है वह क्या रिफण्ड की जायगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वसूली मामले के ढंग से खत्म होने के बाद हुई है।

During the subsistance order no realisation have been made.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या यह सही है कि जागीरदार रिजम्शन एक्ट के अनुसार ज्यों ही जागीर का रिजम्शन हुआ वह खातेदार टीनेन्ट हो जायगा। फिर किस नियम के अन्तर्गत यह फीस वसूल की ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा है, म्यूटेशन फीस का क्लॉज़ है, उसके अन्दर है in whatever manner they are acquired is taxable with mutation fee.

इस तरह से इनको चाहे कानून की वजह से मिले, चाहे और किसी वजह से मिले खातेदारी राइट्स मिले हैं। म्यूटेशन फीस का मतलब यह है कि रेकॉर्ड्स के अन्दर बहैसियत खातेदार दर्ज करना है, उसको फीस है, उस फीस से यहां मतलब है। यह फीस कानूनन ली जा सकती है। और बात की, कानूनी तरीके से अच्छी तरह छान-बीन करके मालूम कर रही है।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या यह सही है कि लेंड रेवेन्यू एक्ट की धारा १३२ और १५१ के अनुसार जिन्हें नया नया पजेशन मिलता है, उनका म्यूटेशन करना जरूरी है और उनसे फीस ले सकते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उन सब के लिये जरूरी है जो शिड्यूल में बताये हुए हैं। जिन्हें शिड्यूल में माना है उनसे लिया जा सकता है। इसके रिवीजन के सम्बन्ध में मामला सरकार के सामने विचाराधीन है।

श्री तेजाराम गहलोत : मैंने जो धारा १३२ और १५१ बताई उनके अन्दर देखें....

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : धारा १३ हे उसके अनुसार खुदकाश्त लैंड जागीरदार की है और जिस पर उसका कब्जा है उसके लिए जागीरदार ऑटोमेटिकली खातेदार मान लिया जायगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वही निवेदन कर रहा हूं कि ऑटोमेटिकली खातेदार मान लिया जायगा। लेकिन रेकॉर्ड्स के अन्दर उसका नाम लिखने का प्रश्न आता है और नाम लिखाने की, उसमें इन्द्राज कराने की फीस ली जाती है जो रूल्स में प्रेस्क्राइब कर रखी है, उसके हिसाब से ली जा रही थी। सरकार के सामने कुछ रिप्रजेंटेशन्स आये। हमने इस मामले पर पूर्ण जानकारी करके, छानबीन करके निर्णय लिया। फिर भी अभी मैंने बताया कि यह सारा मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत। Postponed Question.

स्थगित प्रश्न

(९—९—६३)

सर्फेस रेन्ट की वसूली

५५६. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि नीचे लिखी जों से उस एरिया का लोसर्फेस रेंट जहां पर कि खानों की खुदाई हुई है वसूल नहीं किया गया :

"(क) गोठन लाइम सिन्डीकेट;

(ख) मेसर्स केशरसिंह शिवसिंह सोजत मंडल क्षेत्र व अटवड़ा क्षेत्र,

(ग) मूंडवा क्षेत्र।

(२) क्या यह सच है कि लीज एग्रीमेंट की शर्तों व माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स के अनुसार सर्फेस रेंट देना लीज होल्डर के लिए लाजमी है ?

(३) उक्त अर्से में, यानी १९५५ से १९६२ तक उक्त लीज होल्डर्स का सर्फेस रेंट कितना होता है व कितना वसूल किया गया है व बकाया वसूल न करने का क्या कारण है ?

(४) क्या लीज एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार लीज होल्डर्स को खान खोदने के पहिले कलेक्टर व इन्सपेक्टर ऑफ माइन्स को इत्तला देना जरूरी है ? यदि हां, तो उपरोक्त लीज होल्डर्स ने कब कब कितने क्षेत्र की खाने खोदने की मांग की और नहीं की, तो क्या राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कानून की अवहेलना करने पर उन उपरोक्त लीज होल्डर्स पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मन्त्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जहां पर खानों की खुदाई हुई है सर्फेस रेंट वसूल किया गया है।

(क) गोठन लाइम सिन्डीकेट से ५५ से ५७ को कोई मतालबा नहीं बना वहीं जांच जारी है। दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी। सन् ५८ से ६३ तक के रु० ८४. ५० वसूल हुए हैं।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(ख) अटबड़ा क्षेत्र का सर्फेस रेन्ट संवत् २०१६ में रु० २४.२३ नये पैसे वसूल किये गये। मंडला क्षेत्र का सन् १९५५ से ६२ तक का सर्फेस रेन्ट रु० ११५.१२ नये पैसे फी साल के हिसाब से ७साल का ८७८.६४ नये पैसे होता है जो जमा हो चुका है।

(ग) केमीकल लाइम्स मूंडवा से सन् ५५ से ५९–६० तक सर्फेस रेंट के मतालबे नहीं बने, इनकी जांच जारी है। सन् ६०–६१ से रु० २०३.६२ वसूल हो चुके हैं। ६१–६२ के रु० १,३७५.२१ में से रु० ७०३.१२ वसूल हो चुके हैं। बाकी की वसूली के लिये कार्यवाही जारी है। ६२–६३ के ५००) रु० वसूल हो चुके हैं।

(२) जी हां।

(३) इसका उत्तर आइटम नं० १ में दिया जा चुका है। कोई रकम बकाया नहीं रहती है।

(४) जी हां। खान खोदने के पहले लीज़ होल्डर्स ने कलेक्टर पाली को कोई इत्तला नहीं दी। लीज़ होल्डर्स के खिलाफ राजस्थान लैंड रेवेन्यू के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब लीज़ होल्डर्स को रेवेन्यू एक्ट के तहत कानून की अवहेलना करने पर नोटिस दिया जा रहा है।

श्री तेजाराम गहलोत : आपने प्रश्न ३ के उत्तर में कहा है कि इसका उत्तर आइटम नं० १ में दिया गया है। उसमें नहीं बताया कि किन किन लीज़ होल्डर्स में कितना कितना पैसा बकाया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसको आप ध्यान से पढ़ें, उसमें बताया हैं। और इसमें कोई आइटम रह गया हो तो उसके लिए मालूम कर लिया जायगा। वास्तव में इसका जवाब टेलीफोन से प्राप्त करके दिया है, जिससे एडजोर्नमेंट के लिए नहीं कहना पड़े इस वजह से कोई कमी रह गई हो ...

श्री योगेंद्रनाथ हांडा : (रायसिंहनगर) इसका जवाब पूरा नहीं आया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जवाब पूर्ण है। मैंने बताया कि किसी आइटम के संबन्ध में जवाब अधूरा रह गया हो।

श्री तेजाराम गहलोत : जवाब में कमी है। प्रश्न (४) में केवल मंडल क्षेत्र का बताया है। गोठन, अटबड़ा, मूंडवा क्षेत्र का क्या है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि इन्होंने कलेक्टर को कोई इत्तला नहीं दी, इसलिए लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कानून की अवहेलना करने पर नोटिस दिया जा रहा हैं।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या यह सही है कि लीज़ एग्रीमेंट के हिसाब से लेसी को काम शुरू करने से पहले कलेक्टर को इत्तला देना जरूरी है। और इसका वायोलेशन किया जाय तो एग्रीमेंट की धारा १० के अनुसार सिक्योरिटी फॉर्फीट होती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा प्रावधान नहीं है। ऐसा प्रावधान है कि कलेक्टर को सूचना देनी पड़ेगी।

Page No.42

श्री रामकिशन (वैर) : सूचना नहीं दी गई, इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी चाहिए ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैने कहा कि लेन्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कानून की अवहेलना करने पर नोटिस दिया जा रहा है।

श्री रामकिशन : अब दिया जा रहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं यही कह रहा हूं। मैंने कब कहा कि पहले कार्यवाही कर चुके हैं ?

श्री योगेंद्रनाथ हांडा : क्या माननीय मन्त्री महोदय को मालूम है कि लीज़ एग्रीमेंट की धारा १० के अनुसार लीज़ होल्डर्स को कलेक्टर व इन्सपेक्टर को इत्तला देना जरूरी होता है, अगर नहीं देता हैं तो लीज़ केन्सल कर दिया जाये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लीज़ की धारा १० में क्या लिखा है, यह मैं नहीं कहसकता।

श्री योगेंद्रनाथ हांडा : सरकार के लीज़ एग्रीमेंट की धारा १० में क्या लिखा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मुझे जुबानी याद नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (श्री कोलायत) : लीज़ एग्रीमेंट की शर्तों व माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स के अनुसार सर्फेस रेंट देना लाजमी होता है। अगर वह नहीं देता है तो उसका लीज़ कैंसलकिया जा सकता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि इससे उसका लीज़ कैंसल कर दिया जाए।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ये गवर्नमेंट को पॉवर्स तो हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गवर्नमेंट को पॉवर्स तो है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या सरकार ने कभी लीज़ होल्डर का लीज़ इस बिनाह पर कैंसल किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सर्फेस रेन्टकी वसूली करने के सम्बन्ध में आप बहुत दिलचस्प है। अगर किसी ने नहीं दिया तो बाद में वसूल किया जा सकता है। हमारी रॉयल्टी से वसूल कर सकते हैं। हमको पावर्स है और हमआसानी से ले सकते हैं। जहां वसूली नहीं होती है तो तहसीलदार को जाना पड़ता है और उसका नक्शा बना कर देना पड़ता है। इस वजह से देरी होती है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या माइनर लीज के लिये रूल्स बने हुए हैं...

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! प्रश्न समाप्त हुए।

(३.५३ म० प्र०)

प्री–यूनिवर्सिटी की सन् १९६४ की परीक्षा में जनरल इग्लिश के पार्ट 'ए' में ८० प्रतिशत अङ्क लाने सम्बन्धी स्थगन—प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला, श्री रामकिशन व श्री भैरोंसिंह, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान विश्व विद्यालय द्वारा प्री-यूनिवर्सिटी सन् १९६४ की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए जनरल इंग्लिश के पार्ट 'ए' में

(श्री उपाध्यक्ष)

८० प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य करने, पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को कॉलेज में प्रवेश न मिलने, परीक्षा तथा शिक्षा शुल्क में वृद्धि किए जाने आदि के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल एवं प्रदर्शन करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में स्थगन-प्रस्तावों की सूचनाएं दी हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : सदस्य राजस्थान विधान सभा ने भी कोटा में चल रही विद्यार्थियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है।

ये मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित् कार्यवाही को स्थगित किया जाकर आज इन पर विचार किया जाय। अत: मैं इन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी इन विषयों पर स्थिति को स्पष्ट करते हुए आज या कल शीघ्रातिशीघ्र वक्तव्य दें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट तो आज ही होना चाहिये। अगर यहां पर अभी स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हैं तो बाहर विद्यार्थी खड़े हैं उनसे मिल कर उनको स्टेटमेंट दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : यदि माननीय मन्त्री चाहें तो आज भी स्टेटमेंट दे सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि उनको आज ही स्टेटमेंट देने के लिये फोर्स किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : उनको फोर्स करना उचित नहीं होगा क्योंकि उनको पूरी बातों की जानकारी हासिल होनी चाहिये।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी बिल पर बहस हुई थी उस समय इस पाइन्ट को सदन के सामने उठाया गया था। उस दिन की बहस से उनको सारी बातें मालूम हो गई थीं और उस दिन की बहस से आज वे तैयार होकर आये हैं। इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि विद्यार्थियों ने इस सम्बन्ध में मेमोरेन्डम दिये व हड़ताल हुई, इससे सारी स्थिति का उनको पता हो गया और सारी स्थिति उनके सामने रखी हुई है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ८० परसेंट मार्क्स। यह घोर अन्याय है।

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : बैठे बैठे नहीं बोलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! order !

श्री निरंजननाथ आचार्य ; उपाध्यक्ष महोदय, दो मुद्दे उठाये गये हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आप उत्तर दे रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं। मैं अपनी पोजीशन क्लीयर कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी एड्जोर्नमेंट मोशन में जो मुद्दे उठाये गये हैं उनके सम्बन्ध में वक्तव्य दे रहे हैं या यह कह कर कि युनिवर्सिटी एक आटोनोमस बॉडी है, उसके मातहत बच कर निकलने की कोशिश करते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो आप फरमाते हैं। जहां तक एडजोर्नमेंट मोशन के बारे में स्टेटमेंट देने का प्रश्न है, इसके लिये यह कहा गया है कि जल्दी से जल्दी इसके सम्बन्ध में स्टेटमेंट दिया जावे। अब प्रश्न यह है कि आया आज दिया जावे या अभी दिया जावे या इसके बारे में कल कहा जाए इसके बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं।

माननीय सदस्यों ने कहा कि सदन के सामने यह प्रश्न कुछ रोज पहले आया था इसलिये शिक्षा मन्त्री को इसका ज्ञान करना चाहिये था। लेकिन यह बातें जो राजस्थान एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी बिल प्रस्तुत हुआ था उसके सम्बन्ध में बोलते हुए कही गई थी जो उसकी सीमा से बाहर थी और कई बातें कई गई जो यूनिवर्सिटी से सम्बन्ध नहीं रखती थी इसलिये उनका उत्तर देना हमारे लिये कोई आवश्यक नहीं था उनको कही इसलिये आप हमारे लिये वे बातें ज्ञात मानी जावे या उनसे नोटिस लिया हो ऐसा माना जावे यह उचित नहीं है।

दूसरी बात यह प्रश्न उठाया गया कि अभी इसका उत्तर दे दिया जावे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई ऐसी कालेज की बात होती जिससे हमारा सीधा सम्पर्क होता तो आपकी बात ठीक थी। लेकिन जैसा आपने स्वयं ने कहा है कि मैं बचने की कोशिश करूंगा यह कह कर कि यूनिवर्सिटी एक आटोनोमस बॉडी है।

श्री भैरोंसिंह : आपका जो स्टन्ट है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं अगर कोई स्टेटमेंट आज देना चाहूं तो नहीं दे सकता क्योंकि इस सम्बन्ध में जब तक मैं वाइस चान्सलर से मिल कर सारी बातों का ज्ञान प्राप्त न कर लूं तब तक कुछ नहीं कह सकता क्योंकि युनिवर्सिटी एक आटोनोमस बाडी है। इसलिये अब तक मैं सारे तथ्या-तथ्य युनिवर्सिटी से प्राप्त न करलूं तब तक बहरहाल मजबूरी जैसा स्टेटमेंट आप दिलवाना चाहते हैं तो नहीं दे सकता। मैं सदन का विश्वास प्राप्त करना चाहता हूं और सदन के सामने तथ्यों को रखना चाहता हूं। यों तो सदन से मुझे अधिकार मिला है लेकिन सदन की भावना का आदर करते हुए विश्वास प्राप्त करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि एग्रीकल्चरल युनिवर्सिटी के बिल पर बोलते हुए यह बात कही गई उसका नोटिस नहीं दिया क्योंकि वह एक इरिलेवेन्ट बात थी। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जयपुर शहर में कल और परसों से वाइस चान्सलर, चीफ मिनिस्टर के पास, शिक्षा मन्त्री डाइरेक्टर, कालेज शिक्षा विभाग के पास लड़के बराबर जा रहे हैं। गवर्नमेंट के सामने यह मसला तीन चार दिन से है। आज यह सदन में आया है। इस पर आप यह कह रहे हैं। मैं माननीय उप-मन्त्री से पूछना चाहूंगा कि आपने चार पांच दिन तक क्या किया। जिससे हजारों स्टुडन्टों को मजबूर होकर स्ट्राइक करना पड़ी। सरकार चार दिन तक सो रही है और आज भी कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं बना सकी कि इसके बारे में क्या जबाब देना है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हमारे भी लड़के हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : ८० परसेन्ट का सवाल है। यह आज से नहीं तीन दिन से बराबर चल रहा है।

Page No.45

श्री निरंजननाथ आचार्य : On point of order, Sir एडजोर्नमेंट मोशन आसन के समक्ष प्रस्तुत हुआ। आसन ने आज्ञा दी है कि मैं इसके बारे में अपना उत्तर आज या कल दूं अगर कोई ...

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री भैरोंसिंह : बिलकुल नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Under what rule?

किस रूल के अन्तर्गत आप कहते हैं।

(श्री निरंजननाथ आचार्य भी बोलते गये)

That is not the point of order at all.

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

इस विषय में मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सम्बन्धित मन्त्री आज अथवा कल शीघ्रातिशीघ्र तथ्यों को प्राप्त करके पूर्णतया उत्तर दें। यह अलग बात है कि उन्होंने आज तक तैयारी नहीं कि, यह खेद का विषय है चीयर्स यदि उनके पास तथ्यातथ्य नहीं हैं तो सारे तथ्यों की जानकारी के हेतु मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इतना उनको अवसर दिया जाना चाहिये कि वे सारे तथ्यों को एकत्रित करके सदन के सामने अपना उत्तर प्रस्तुत कर सकें।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह है उपाध्यक्ष महोदय, कि उपमन्त्री जी को तथ्यातथ्य मालूम नहीं हैं और यह माना जा सकता हैं कि उनको पूरे तथ्यातथ्य मालूम नहीं हो क्योंकि वे उप-मन्त्री हैं, पर शिक्षा मन्त्री जी भी यहां उपस्थित थे, जब उनको पता चला कि एड्जर्नमेंट मोशन हाउस में आ रहा है तो वे बाहर निकल गये। डिप्टी मिनिस्टर ने तथ्यातथ्य जानने के लिये कष्ट नहीं किया, इसका एक्स्क्यूज लेकर सदन में कहा कि उनको तथ्यातथ्य की जानकारी नहीं है। इनको जानकारी नहीं है, पर शिक्षा मन्त्री जी चीफ व्हिप साहब के कमरे में बैठे हैं, उनको बुलाया जाय और उनसे मालूम किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : The Dy. Minister is representing at the present moment and for all he can reperesent the Minister.

श्री भैरोंसिंह : वह तो आपने कह दिया और खेद प्रकट कर दिया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जैसा माननीय सदस्य, जयपुर से आने वाले कभी कभी शीघ्रता में कुछ कह जाते हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह : आप उस बात का जवाब दीजिये जो चेअर ने आपके विषय में कही है....

श्री निरंजननाथ आचार्य : शिक्षा मन्त्रीजी इसी प्रश्न पर व्यस्त हैं, आपको यह जानकर प्रसन्नता होनी चाहिए कि शिक्षा मन्त्री जी इस मामले को निपटाने में ही व्यस्त हैं, इसलिये यह कहना कि शिक्षा मन्त्री जी यहां नहीं हैं, यह उचित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसे आसन ने अभी ऑब्जर्वेशन्स

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)

दिये उस सम्बन्ध में मैं नम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, जिसमें वाइस चांस्लर....

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, आपके ऑब्ज़र्वेशन्स, आपके रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता ....

श्री उपाध्यक्ष : I will request the Hon'ble members to close this because observations have already been given. The Hon'ble Minister is getting prepared and consulting the autonomous body concerned & when he has prepared himself, he can give the reply.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अर्ज करना चाहूंगा, उप-मन्त्री महोदय ने अपना जवाब देने के सम्बन्ध में तैयारी कर ली है, उन्होंने यह बात कही है कि यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस बॉडी है। मैं उनसे यह स्पष्टीकरण चाहूंगा ....

श्री उपाध्यक्ष : इसके स्पष्टीकरण की जरुरत नहीं पड़ती, जिस समय उत्तर दें, स्पष्टीकरण मांग लें।

श्री भैरोंसिंह : कम से कम यह व्यवस्था करदी जाय कि हजारों की संख्या में बाहर विद्यार्थी खड़े हैं, तो बाहर जाकर अपना स्टेटमेंट दे दें, यहां सदन में अभी स्टेटमेंट न देकर शाम को या कल स्टेटमेंट दे दें, ताकि उनमें कन्फ्यूज़न पैदा न हो और लड़कों को किसी प्रकार का संतोष प्राप्त हो। उप मन्त्री द्वारा जानकारी प्राप्त न करने पर आपने खेद प्रकट किया। यहां सदन में अभी स्टेटमेंट भले ही न दें पर स्टुडेन्ट्स को तो बाहर जाकर आश्वासन दे दें और यदि उनको मार्गदर्शन देने की हिम्मत रखते हों तो उस हिम्मत का भी परिचय बाहर जाकर दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : This question can not be raised. Call attention motion.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (धौलपुर): One minute, Mr. Deputy Speaker, Sir, the Deputy Education Minister is very dexterously evading the issue. Will all know that he is gifted with a fertile mind. We want to take out an assurance from him as to whether he will or he will not come with a comprehensive reply on the subject tomorrow.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : With all due respects to the Hon'ble Leader of the Opposition, I may submit that even if he had not mentioned this fact, then too...

श्री रामकिशन (वैर) : अंग्रेजी हटाने के लिये ही तो यह सब गड़बड़ हो रही है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : It is the bounden duty, solemn duty of the Education Minister or the Deputy Minister to place all facts before the House and to bring the House into confidence. It does not need any motion.

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी को हटाने के लिये ही तो यह गड़बड़ हो रही है...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : The answer is not specific. The House expects a comprehensive answer by tomorrow.

श्री रामकिशन : श्री उपाध्यक्ष महोदय··

श्री उपाध्यक्ष: The Hon'ble Minister is in possession of the House.

श्री निरंजननाथ आचार्य : I am expected to reply in the language in which the Leader of the Opposition has spoken.

श्री रामकिशन : अंग्रेजी हटाने के लिये तो यह गड़बड़ हो रही है। और विरोधी दल के नेता और उप-मन्त्री जी दोनों अंग्रेजी में बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री निरन्जननाथ आचार्य : I do not want to comment.

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, उप-मन्त्री जी अंग्रेजी भी गलत बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Next item.

कुंवर महेंद्रसिंह।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): On a point of order, Sir, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी माननीय उप-मन्त्री जी ने फरमाया कि यूनिवर्सिटी बिल पर जब बहस हो रही थी और उसके दौरान में जो कुछ बातें राजस्थान यूनिवर्सिटी के ८०प्रतिश प्री-यूनिवर्सिटी में मार्क्स लाने के निर्णय के संबंध में बातें कहीं उनका उन्होंने कोई नोट नहीं लिया। मैं आपसे, उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था चाहूंगा कि कोई उप-मन्त्री या मन्त्री सदन में किसी भी संबंध में बातें कहीं गई बहुत फोर्सफुली, एक्स्प्लीसिटली कहीं गई विभिन्न दलों द्वारा कही गई, तो क्या वे यह कहने का अधिकार रखते हैं कि उन बातों का हमने कोई नोट नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, यदि उप-मन्त्री को यह छूट दी गई तो वह सदन की प्रतिष्ठा के खिलाफ होगा, स्वस्थ परम्परा और जनतन्त्र की परम्परा के खिलाफ होगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : It can not be a point of order.

श्री मानिकचन्द सुराणा : तो मैं आपसे व्यवस्था चाहूंगा, जैसा विरोधी दल के माननीय सदस्य भैरोंसिहजी ने कहा कि वे होशियारी से यह कह कर बचना चाहते हैं कि वे रिलेवेन्ट नहीं थीं, मैं कहता हूं कि वे बातें रिलेवेन्ट थीं। इसलिये मैं जानना चाहूंगा कि··

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of parliamentary enquiry. It is not a point of order. It is not recognised by the Rules of Procedure.

श्री मानिकचन्द सुराणा : तो मै जानना चाहता हूं कि क्या वे यह कहने का अधिकार रखते हैं कि जो बातें सदन में कहीं, उनका उन्होंने नोट नहीं किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : I may be permitted to explain the position.

श्री उपाध्यक्ष : Will you please allow him to clear the position ?

श्री योगेंद्रनाथ हांडा : No Sir, we want a ruling.

श्री रामकिशन : फिर अंग्रेजी में ही बोल रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं हिन्दी में बोलता हूं।

मेरा यह निवेदन है कि माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि जो बिल यहां पर प्रस्तुत किया गया था वह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल था और दूसरे मिनिस्टर ही उसको पायलेट कर रहे थे। हमारे लिये यह आवश्यक नहीं था कि उस बिल के लिये यहां बैठें पर क्योंकि माननीय सदस्य जानते हैं, एक एकेडेमिक क्वेश्चन था इसलिये बैठे रहे। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल चल रहा था, उसके अन्तर्गत कोई स्थिति आती हो, चाहे वह यहां की हो या दूसरी यूनिवर्सिटी की हो पर कॉम्पीटेन्सी के आधार पर आप मेरे विचारों से सहमत होंगे कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ही उत्तर दे सकते थे।

ऐसी स्थिति में जब मैंने कहा कि मैंने नोट नहीं लिया, इसका संबंध इससे है कि उससे एग्रीकल्चर मिनिस्टर का संबंध था, उसका नोट वे ले सकते थे। वह उनके पर्व्यू में था। मैंने कहा कि मैंने कोई नोट नहीं लिया तो मेरा मतलब यह था कि मुझे उत्तर देने का अधिकार नहीं था इसलिये मैंने नोट नहीं लिया। उत्तर देने के लिये खड़ा होता तो नोट लेता। तो खामोख्वाह उस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एमेंडमेंट बिल के संबंध में एतराज पेश करते हैं तो वह इर्रेलेवेन्ट है। एड्जर्नमेंट मोशन रखा गया है तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी स्टेटमेंट दूं।

मैं समझता हूं कि स्पष्टीकरण हो चुका है, और इस पर बोलना विषयांतर भी है।

अनेक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय,....

Point of order, Sir,...

श्री योगेंद्रनाथ हांडा : On a point of order, Sir...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): On a point of order, Sir...

क्या यह प्रथा उचित है इस सदन में, उपाध्यक्ष महोदय, एक एडजोर्नमेंट मोशन पर डिस्कशन से ज्यादा हो जाय जब कि सदन के इधर के सब माननीय सदस्य भी उसको मानते हैं जो बात उठायी गयी है, वे भी वही राय रखते हैं कि ८० प्रतिशत १०० में से प्राप्त करना विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी संकटपूर्ण स्थिति है। यह संकटपूर्ण स्थिति स्टूडेन्ट्स के लिए पैदा करदी है। हम इधर वाले और उधर वाले इनको मान लेते हैं। पोइन्ट ऑफ ऑर्डर दूसरी प्रथाओं से उठाये जाते हैं और ऐसा दिखाया जाता है कि इधर वालों की सिम्पेथी नहीं है, यह गलत है। इस प्रथा को अलाऊ नहीं करना चाहिए। सरकार की ओर से स्टेटमेंट देना चाहिये या हमको कहने दिया जाय हम उनसे ज्यादा जोश रखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आब्जर्वेशन इस विषय में दे चुका हूं और इस विषय में डिस्कशन की आवश्यकता नहीं समझता।

श्री मानिकचन्द सुराणा : डिस्कशन का सवाल नहीं है, बात कहनी है....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! मैं ऑलरेडी आब्जर्वेशन दे चुका हूं।

(श्री उपाध्यक्ष)

I have already observed that the Minister concerned will reply either today or tomorrow.

श्री रामकिशन : मुझे तो इस संबंध में सूचना देनी थी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : The observation does not include today, 'कल या शीघ्रातिशीघ्र'

श्री रामकिसन ; 'कल या शीघ्राति-शिघ्र' ये शब्द हटा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

(शोरगुल एवं व्यवधान)

These observations are already there on the record.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : The reply of the Deputy Education Minister is most unsatisfactory. He is evading the issue. He must give a satisfactory reply.

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री निरंजननाथ आचार्य : No, Sir.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : It is an insult of the House and of the Opposition members We shall be left to no alternative but to stage a walk-out if he does not come forward with a specific reply. The reply must come tomorrow.

(शोरगुल और व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! order !!

श्री निरंजननाथ आचार्य : I object to these observations. I am obeying the observations of the Chair. I disagree with the impression that the Leader of the Opposition has given. I am a competent member of this House and I will put up a statement tomorrow. His forceful language cannot be permitted.

(व्यवधान)

श्री योगेंद्रनाथ हांडा : आप काफी कह चुके हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : (अश्रव्य)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री योगेंदनाथ हांडा : ऐसा प्रश्न नहीं है...

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री योगेंद्रनाथ हांडा : हमें मजबूर होकर हाउस क्विट करना पड़ेगा।

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री भैरोंसिंह : On a point of privilege, Sir...

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री योगेंद्रनाथ हांडा: बड़ा गम्भीर प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय। कॉलेज का प्रश्न है। बड़ा अहम सवाल है....

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री भैरोंसिंह : On a point of Privilege, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर माननीय उप-मन्त्री शिक्षा यह भाषण दे रहे हैं कि गवर्नमेंट इसके लिये तैयार नहीं है और सदन के बाहर स्टुडेन्ट्स खड़े हैं, माननीय शिक्षा मन्त्री और माननीय मुख्य मन्त्री आश्वासन उन लोगों को दे रहे हैं दोनों में क्या स्थिति है, वे उप-मन्त्री, शिक्षा यहां सदन में बताने के लिये तैयार नहीं है और मुख्य मन्त्री जी और शिक्षा मन्त्री जी जो सदन में उनको कहना चाहिये था वह सदन की इन्सल्ट करके बाहर जाकर उनको कुछ कहना चाहते हैं । यह कहां तक वाजिब है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह का जो वतीरा माननीय शिक्षा मन्त्रीजी ने और मुख्य मन्त्री जी ने अपनाया है यह सदन का अपमान है और मैं इसलिए प्रिविलेज का मोशन मूव करता हूं । इसको प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द किया जाय ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक्स्प्लेन करने का मौका दिया जाय ।

(व्यवधान एवं शोरगुल)

मुझे दुख है कि एक तरफ तो माननीय सदस्य ने यह चाहा है कि मन्त्री महोदय वहां जाकर बात करें जब इस प्रकार के एडजोर्नमेंट मोशन रखे जाते हैं तो अमूनन यही एतराज होता है कि माननीय मन्त्री वहां जाकर बात चीत करें । दूसरी तरफ यह जानते हैं कि यहां स्टेटमेंट दिया जाय । स्टेटमेंट और बात कहने में बड़ा भेद है ।

श्री भैरोंसिंह : एडजोर्नमेंट मोशन सदन में दिया हुवा है, बाहर जाकर स्टेटमेंट नहीं दे सकते ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I am in possession of the floor of the House. I seek your protection, Sir.

यहां स्टेटमेंट देने में और बाहर बात कहने में बड़ा भेद है । दोनों में बड़ा फर्क है । मुख्य मन्त्री बाहर गये हैं या शिक्षा मन्त्री बाहर गये हैं, उसका मतलब कभी स्टेटमेंट से नहीं हो सकता । बाहर गये हैं जैसा आपने कहा, मुमकिन है आपकी इच्छाओं का ज्ञान पहले हो गया हो । उनकी चिंताओं के ज्ञान पर वे बाहर गये हैं विद्यार्थियों के कष्टों को समझने के लिए । इसका मतलब यह नहीं होता कि कोई स्टेटमेंट देने गये हैं । आप दोनों बातों को मिलाकर यह प्रिविलेज का मोशन उठाना चाहते हैं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अच्छी तरह से इसका अनुभव है कि एक प्रिविलेज क्या होता है । शिक्षा मन्त्री और मुख्य मन्त्री बाहर चले गये इसलिये प्रिविलेज हो गया, यह कोई प्रिविलेज का प्रश्न नहीं रहता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रिविलेज है ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : I am in possession of the floor, Sir.

इसलिए मेरा निवेदन है कि एक बात आप कह रहे थे कि हम बाहर जाकर मिलें और बाहर कोई यदि चले भी गये, मैं नहीं जानता कि बाहर गये हैं, मैं समझता हूं कि आप आयन्दा इस प्रकार की बात नहीं रखेंगे सदन में कि बाहर जाकर उनसे मिला जाय क्योंकि आपके कथनानुसार वह प्रिविलेज का प्रश्न खड़ा हो जाता है इसलिये यहां जो आपने एतराज प्रिविलेज का उठाया है, उसमें कोई तथ्य नहीं है और उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a Point of Privilege, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : (अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a Point of Privilege, Sir....

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! माननीय सदस्य ने जो पहले पॉइन्ट ग्रॉफ प्रिविलेज उठाया है उसका निर्णय ले लिया जाय।

इसके विषय में जो एडजोर्नमेन्ट मोशन ग्राया उस विषय में ग्रासन ने पहले ही एक व्यवस्था देदी थी ग्रौर उसके ग्रनुसार माननीय मंत्री के लिये सदन को इस बात के लिए ग्रवगत कराने के एक सीमा निर्धारित कर दी थी कि ग्राज कल या शीघ्रातिशीघ्र जानकारी करके सदन को ग्रवगत कराये। इस भूमिका में कोई बाहर गया है, ग्रन्दर गया है, किस मंशा से गया है यह कहना भी बिलकुल ग्रनुचित हो जाता है।

श्री भैरोंसिंह : उनसे पूछ लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : क्यों कि मंशा का कयास नहीं लगाया जा सकता। इस बिषय में ग्रासन से एक व्यवस्था हो चुकी है तो उस व्यवस्था के ग्रलावा दूसरी व्यवस्था बताना उचित नहीं है इसलिये केवल इस प्रश्न को यहीं छोड़ कर ग्रागे की कार्यवाही पर चलना ही मुनासिब है।

श्री रामकिशन (वैर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस पर नहीं बोलरहा हूं। मैं एक जानकारी ले रहा हूं। मैने जिस दिन उत्तर मांगा उस दिन माननीय उप शिक्षा मंत्री जी ने कहा था तो उन्होंने उत्तर में कहा था कि मैंने युनिवर्सिटी से कागजात मांग लिये हैं, तथ्य लेकर नहीं ग्राया हूं, मैंने मजाक में कहा कि इस्तीफा दे दीजिये, जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो मंत्रीजी ने उनको नहीं बताया या उन्होंने जानने की चेष्टा नहीं की।

श्रीनिरंजननाथ ग्राचार्य : यह तो ग्राप हम कर लेंगे।

श्री रामकिशन : मंत्रीजी ने खुद ने मुझसे कहा था। तथ्यों को नहीं छिपाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : संभव है माननीय मंत्री महोदय ने कुछ कहा होगा उस समय। इस समय ग्रासन से कोई उसका मतलब नहीं है। ग्रासन ने इस पर व्यवस्था दे दी है ग्रौर ग्रब सहयोग की प्रार्थना है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय उप मंत्री ग्राज जवाब नहीं दे रहे हैं

श्री उपाध्यक्ष : Now I skall not allow any further discussion on this subject.

श्री मानिकचन्द सुराणा : चूंकि हमको इससे संतोष नहीं है, इसके लिए हम सदन से वॉक ग्राउट करते हैं।

(सदन से बहिर्गमन)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को उप-मंत्रीजी ने हर तरह से टालते हुए एक बहाना बनाया है ग्रौर प्रोटेक्शन इस तरह से लिया है....

(राज्य-पक्ष द्वारा मेजें थपथपाना)

ये तबले तो रोज सुनते हैं।

(शोरगुल एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमारी प्रिविलेज का हनन होता है।

श्री उपाध्यक्ष : Next item !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसलिये हम वॉक आउट करते हैं।

(सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस सदन की जबर्दस्त तोहीन की है। सदन में जब यह मोशन रखा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी, या शिक्षा मंत्री जी को एक स्टेटमेन्ट सदन में देना चाहिये था और बाद में स्टुडेन्ट को स्टेटमेन्ट देना चाहिये था। यह हमारी प्रिविलेज का सवाल है। पहले यह कह दिया जाता कि बाद में यहां स्टेटमैन्ट दिया जायगा, पहले स्टुडेन्ट्स से बात कर लें। हमें कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन बिना सदन को कॉन्फिडेन्स में लिये, उप-शिक्षा मंत्रीजी यह कहें कि वे सदन में कोई स्टेटमेन्ट देने के लिये तैयार नहीं है, यह सदन की जबरदस्त तोहीन है। माननीय मुख्य मंत्री जी सदन से बाहर जाकर स्टेटमेन्ट दें और सदन की तोहीन करें, अतः मैं मेरी पार्टी सहित, चूंकि सदन की मानहानि की है इसलिए सदन से वॉक आउट करता हूं।

(सदन से बहिर्गमन)

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे दिमाग में इस प्रकार की किसी तरह की बात नहीं थी। मानहानि मान कर इतना करने की बात नहीं थी और यह एक गलत बात होगी। यह हमारी कल्पना में नहीं थी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : प्रश्न उत्तर देने का है। बाहर जायें, अन्दर जांय, हमें कोई एतराज नहीं। उत्तर के लिए इस प्रकार की बात करना यह एक प्रिविलेज का प्रश्न होता है इसलिए मेरी पार्टी भी सदन त्याग करती है।

स्वतन्त्र पार्टी के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)।

(४·२० म० प०)

कोटा में हो रही विद्यार्थियों की हड़ताल सम्बन्धी स्थगन–प्रस्ताव विषयक

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने चार-पांच रोज पहले एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। कोटा में हो रही विद्यार्थियों की हड़ताल जिसमें लाठी चार्ज किया गया था उस ओर माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए नोटिस दिया था, उसके बारे में शिक्षा मंत्री महोदय सदन को जानकारी देने की कोशिश करें।

उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे चुका हूं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : वहां पर लाठी चार्ज हो गया है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे चुका हूं। श्री महेन्द्र सिंह

आलनिया डेम (जिला कोटा) के निर्माण द्वारा से में आये कतिपय ग्राम सम्बन्धी विषय पर ध्यान आकर्षित करना।

श्री महेन्द्रसिंह गांवडी (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचा-

(श्री महेन्द्रसिंह गांवड़ी)

लन संबन्धी नियम १३१ के अन्तर्गत आलनिया डेम (तहसील लाडपुरा, जिला कोटा) के निर्माण से कतिपय ग्राम डूब में आ जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

उप-मंत्री सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी):- उपाध्यक्ष महोदय, आलनियां बांध का काम शुरू होते ही लोगों को मुआवजा देने की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी, और बांध में आने वाली जमीनों का स्टेटमेन्ट दिनांक २५।७।५९ को अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई बिभाग, बूंदी द्वारा कलेक्टर, कोटा को भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए भेज दिया गया था। इन कागजों को कलेक्टर ने एल० ए० ओ० कोटा के पास भेज दिये। एल० ए० ओ० ने भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की और जिनके अवार्ड उन्होंने भेजे उनके चेक अधिशाषी अभियन्ता आलनियां द्वारा शीघ्र ही पेमेन्ट के लिये भेज दिये।

आलनियां बांध तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के अन्दर डूब में आने वाली जमीन, मकान, कुएं आदि हैं हनोतिया, दमदमा, चेनपुरिया, रानक खेड़ी पचपहाड़, और सारंगपुर आदि ग्रामों से संवन्धित हैं। अधिकांश जमीन मकानों, कुओं आदि का मुआवजा दिया जा चुका है। जो इस प्रकार हैं :—

कुओं और पेड़ों का मुआवजा जो चुका दिया है २९७६४) रु०

कुओं व पेड़ों का जो मुआवजा देना शेष है ११३५) रु०

डूब में आने वाली जमीन जिनका मुआवजा चुका दिया गया है।

जमीन बीघा १९२५. रकम १,५७,१४७)

डूब में आने वाली जमीन जिनका मुआवजा देना शेष है

जमीन बीघा ६५० रकम-४७,६५३) रु०

उपरोक्त डूब में आने वाली जमीन के एवार्ड भूमि अवाप्ति अधिकारी कोटा से प्राप्त होने पर एवार्ड की रकम का चुकारा चैक के द्वारा मार्फत तहसीलदार से कर दिया जाता है। अभी शेष कुछ अवार्ड प्राप्त नहीं हुए हैं अतः चुकारा नहीं दिया गया।

मकानों का मुआवजा

मकानों का मुआवजा जो चुका दिया गया-१,४४,१०३)

मकानों का मुआवजा जो चुका है— २२,२५८) रु०

उपरोक्त मुआवजा जो चुका देना शेष है उसके लिये कुछ काश्तकारों ने मुआवजा लेने से इन्कार कर दिया क्योंकि उस समय उनकी भूमि डूब में नहीं आई थी उनमें से अब कुछ काश्तकारों ने पुनः मुआवजा लेने की प्रार्थना की है अतः उनका चुकारा शीघ्र ही बाद तस्दीक के दिया जावेगा। कुछ ने मुआवजे के रु० चैक लेकर वापस कर दिये वे अब पैसा वापस मांग रहे हैं। अब जो जो रु० क्लीयर हैं व मुआवजे लेने को तैयार हैं उनको अक्टूबर नवम्बर तक पेमेन्ट कर दिये जाने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मुआवजा मिल गया, फिर भी वे और दूसरी जमीन मुफ्त में गिट रहे हैं जो एक पर्टीकुलर लैंड है जो कि देना संभव नहीं है।

श्री महेन्द्रसिंह गांवड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, यह अलानिया डेम सन् १९६१ में

(श्री महेन्द्रसिंह गांवडी)

बन गया था इसकी डूब में सात-आठ गांव आगये थे । लेकिन जब से लेकर आज तक ३ साल गुजर जाने के बाद भी बहुत कम लोगों को मुआवजा दिया गया है । बाकी लोगों का करीब पचास साठ हजार रुपया मुवाबजे के रूप में लेना बाकी रह गया है । इसके अलावा जो जमीन डूब में आई है जो आबादी की जमीन डूब में आयी है उसकी अर्जियें तहसील लाडपुरा में दे रखी हैं । उनकी नई जमीनों का अलॉटमेंट करना है लेकिन आज तक कोई जमीन अलॉट नहीं हुई है । जंगलात विभाग में अर्जियां दे रखी हैं जो गत तीन वर्षों से पड़ी हुई हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट में ।

श्री उपाध्यक्ष : आप जिस विषय का स्पष्टीकरण चाहते हैं उसी पर आ जाइये ।

श्री महेन्द्रसिंह गांवड़ी : वही बात मैं कह रहा हूं । उन लोगों को जिनके गांव डूब में आये हैं उनको न जमीन मिली है बसने के लिये, न काश्त करने के लिये अलोट हुई है, न उनको मुआवजा मिला है उसकी ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री दिनेशराय डांगी : वैसे मैंने स्टेटमेन्ट में काफी स्पष्ट कर दिया है । फिर भी उपाध्यक्ष महोदय, सदन की जानकारी के लिये बता दूं कुछ को तो मुआवजा दिया जा चुका है उसके बारे में किसी प्रकार का झगड़ा पैदा नहीं होता । कुछ के मुआवजे हो चुके हैं लेकिन उन्होंने किसी कारण से लेने से इन्कार कर दिया जिन्होंने इन्कार कर दिया उनको फिर से तस्दीक कराके दे दिये जावेंगे ।

इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो फ्री जमीन लेना चाहते हैं । कुछ लोग ऐसे हैं जो काश्त की लेन्ड चाहते हैं, उनकी अर्जियें फॉरेस्ट विभाग में पड़ी हैं लेकिन फॉरेस्ट विभाग जब तक रेवेन्यू विभाग को जमीन नहीं दे देता तब तक रेवेन्यू विभाग अलोट नहीं कर सकता ।

इसके अलावा जिनका मुआवजा बच गया है उसके लिये आश्वासन दे चुका हूं जल्दी ही चुका दिया जायगा ।

श्री महेन्द्रसिंह गांवड़ी : फॉरेस्ट डिपाटमेन्ट में जो अर्जियां दे रखी हैं उस पर डी० एफ० ओ० न 'हां' कहते हैं न 'ना' कहते हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : यह प्रश्न इरिगेशन से संवन्धित नहीं है । फॉरेस्ट से रेवेन्यू में जमीन आती है, इरिगेशन डिपार्टमेन्ट तो केवल पानी देता है ।

श्री महेन्द्रसिंह गांवड़ी : जिन लोगों की जमीनें डूब में आयी हैं उनको बसाने के लिये तो कुछ व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री दिनेशराय डांगी : इरिगेशन विभाग की ड्यूटी है कि जो मुआवजा कलेक्टर अवार्ड के माफिक हो वह चुका दें । जिनको बसाना है वे प्रार्थना पत्र कलेक्टर को देते हैं वे उस पर निर्णय करते हैं ।

श्री महेन्द्रसिंह गांवडी : आखिर वह भी तो गवर्नमेंन्ट के तत्वावधान में है ?

श्री दिनेशराय डांगी : इरिगेशन विभाग का काम उन लोगों को जमीन मिल जाय तो सिंचाई के लिये पानी देने का है ।

श्री महेन्द्रसिंह गांवड़ी : उसके लिये दरख्वास्त दे रखी है और वहां के तहसीलदार ने आबादी में कन्वर्ट करने के लिये रिकमन्ड भी कर दिया है लेकिन गवर्नमेन्ट कोई एक्शन नहीं ले रही है ? आपने फरमाया कि क्या तजवीज की जाय मेरा निवेदन यह है कि

[श्री महेन्द्रसिंह गांवडी]

लोगों ने जमीन के लिये मांग कर रखी है और तहसील लाडपुरा ने रिकमन्ड भी कर रखा है लेकिन गवर्नमेन्ट से मन्जूरी नहीं मिल रही है ?

श्री दिनेशराय डांगी : कौन सी जमीन किसे दी जाय, यह अलग सवाल है। जो लेन्ड़लैस हो जाते हैं वे अपना प्रार्थना-पत्र कलेक्टर को देते हैं। वास्तव में वह जमीन का अधिकारी है तो कलेक्टर उसको अवश्य देगा।

श्री उपाध्यक्ष : रिजोल्यूशन।

(४·२७ म० प०)

राजस्थान कोटन ट्रान्सपोर्ट नियम, १६६३ के प्रारूप सम्बन्धी प्रस्ताव पर सदन द्वारा अनुमोदित

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं "काटन ट्रान्सपोर्ट एक्ट, १६६३ (केन्द्रीय एक्ट ३, १६२३) की धारा ८ के अनुसरण में दिनांक १६ अगस्त, १६६३ को सदन की मेज पर रखा गया राजस्थान कॉटन ट्रान्सपोर्ट नियम, १६६३ काप्रारूप अनुमोदित किया जाय"।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये इसका थोड़ा सा खुलासा करना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्यों को इसकी बैकग्राउन्ड मालूम हो जाय। वैसे हमारी योजनाओं में और खास तौर से तीसरी योजना में जो देश का कॉटन उत्पादन का लक्ष्य सामने रखा गया है उसके दृष्टिकोण से राजस्थान में ३॥ लाख गांठों के उत्पादन का लक्ष्य हमने तीसरी पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत रखा है। अब तक हमारे यहां का कपास का उत्पादन लगभग दो लाख गांठों के करीब पहुंचा है। इतनी बड़ी तादाद में जहां हमने लक्ष्य रखा हैं उसको पूरा करने के लिये कपास के उत्पादन के सिलसिले में ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न और सही दिशा में कोशिश करनी होगी। ये सारी बातें ज्यादातर किसान के ऊपर निर्भर रहती है। पर फिर भी हमें किसान को जिन बातों की सहूलियत देने की आवश्यकता है सहूलियत नहीं दे पाते हैं इसमें कई प्रकार की अड़चनें हमारे सामने आती हैं। इतने ऊंचे लक्ष्य को ध्यान में रख-कर हमने निश्चय किया है कि रुई के इतने बड़े उत्पादन को बढ़ाने के सिलसिले में चार सिद्धान्त मुख्य हैं उनमें से बीज भी एक बहुत जरूरी चीज है कि अमुक प्रकार का बीज हमारे किसानों के पास पहुंचे।

जिस समय कॉटन पेकिंग के बाद जिनिंग में जाता है और उस समय जो कॉटन का सीड सेपरेट किया जाता है तो उस सीड का दूसरे सीड के साथ में मिश्रण किया जावे और सही प्रकार से जिनिंग होकर सही प्रकार का बीज किसान को मिल सके, इसके लिए यह एक प्रयास किया गया है।

१६२३ का कॉटन कानून जो बना हुआ हैं और वह कानून के नीचे ट्रांसपोर्ट का जो कानून बना हुआ है वह सारे देश के लिए है इसलिए राजस्थान में भी वह लागू है। अब इसके नीचे नियम बनाने की बात है, उसके सिलसिले में मेन एक्ट की धारा ८में यह है कि इस प्रकार के कानून के नीचे जो नियम बनाये जावेंगे वे तभी सही तरीके से लागू समझे जावेंगे जब कि उस राज्य की धारा सभा इस प्रकार के नियमों को अनुमोदन कर दे। इस नीयत से ये नियम हैं।

Page No.56

(श्री नाथूराम मिर्धा)

तो हमारे यहां भिन्न-भिन्न जगहों की जो वैराइटीज हैं काटन की, उनको बढ़ावा दिया जा सकेगा इससे। जैसे गंगानगर में कॉटन की वैराइटी जो लम्बे रेशे की होती हैं उसका नाम ३२० एफ है। इसी तरह से भीलवाड़े में और चित्तौड़ में सी इन्दौर १ कहलाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के इलाके में १३४ सी. ओ. टू. एम. और दिग्विजय दो प्रकार की हैं। झालावाड़ में जो खास तौर से वैराइटी चलती है वह अलग है जिसे गिरनार कहते हैं।

तो अलग-अलग इलाकों में परीक्षण कर के यह तय किया गया है कि किस प्रकार का बीज किस इलाके की जमीन मानती है उसी तरह का बीज उस इलाके में भेजा जाय। इससे निश्चित रूप से वहां का उत्पादन बढ़ेगा, इस दृष्टिकोण से सही प्रकार का बीज का आवागमन उन-उन इलाकों में हो इसके लिए ये कानून के अन्तर्गत नियम सदन में रखे गये हैं। अब वे चाहे किसी साधन से आवें हवाई जहाज से; मोटर से रेल से तो ट्रांसपोर्ट के नियम बनाने जरूरी हैं ताकि उन उन इलाको में सही प्रकार का बीज जा सके, खराब या मिश्रित प्रकार का बीज उन इलाकों में नहीं जा सकें इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर इन नियमों को सदन की मेज पर रखा गया था। तो इस मामले की अहमियत को देखते हुए आप इनका अनुमोदन करेंगे और पास करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प माननीय नाथूराम जी मिर्धा ने रखा है उसे पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

संकल्प पारित हुआ।

(विराम)

Legislative Business.

(४.३३ म. प.)

राजस्थान साहूकार विधेयक. १९६२

(विचार-विमर्श)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री) : मैं प्रस्ताव रखता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान मनीलेंडर्स बिल, १९६३ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कानून सम्भवतः इस भावना के साथ राज्य सरकार की ओर से रखा गया है कि देवाली-लेवाली के मामले में गरीब जनता के साथ जो जुल्म होता है, अनाप-शनाप सूद लिया जाता है....

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

मैं सदन को सूचित कर दूं कि, क्योंकि इस बिल के लिए तीन दिन निर्धारित किये हैं और इसमें काफी संशोधन हैं इसलिये प्रत्येक संशोधन प्रस्तुतकर्त्ता महोदय इस विषय में बिलकुल रिलेवेन्ट और संक्षेप से विवाद करें तो सारा काम यथा-समय समाप्त हो सकेगा। इस दृष्टि से निवेदन करूंगा कि किसी सदस्य द्वारा १५-२० मिनिट से अधिक न लिये जावें तो उत्तम है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : तीन दिन हैं, साहब।

Page No.57

(श्री मानसिंह महार)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : तो इसके स्थान पर सहूलियत के साथ रुपया उसको मिल जावे, वाजिब सूद पर मिल जावे इसकी व्यवस्था करना है ।

इस दृष्टि से इस कानून के प्रावधानों में कुछ ऐसी परिभाषाए मिलेंगी जिनके द्वारा यह बताया गया है कि रुपया कर्ज देने वाला कौन होगा, उसका किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कराया जावेगा । किस प्रकार लाइसेंस प्राप्त करना होगा किस प्रकार किन सूरतों में वह लाइसेंस सरकार रद्द कर सकेगी । तो ये पाबन्दियां एक प्रकार से राज्य सरकार उन व्यक्तियों पर लगाना चाहती हैं जिन व्यक्तियों को आगे जाकर एक क्लास के नाम से पुकारा जावेगा । जिसे मनीलेंडर के नाम से मनीलेंडर की क्लास के नाम से पुकारा जावेगा ।

एक तरफ सरकार (मनीलेंडर्स) क्लास खत्म करने जा रही है, ऊंच नीच का भेद मिटाने जा रही है, समानता लाने का प्रयास कर रही है, क्लासवाइज डिविजन समाज में, जनता में उत्पन्न करना नहीं चाहती । पर मैं सबसे पहले इसी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि इस कानून की मंशा क्लास समाप्त करने की नहीं है, बल्कि सरकार की इस मंशा के विपरीत क्लास को कायम रखने की है। लाइसेन्स लेकर यह काम करने वालों के प्रति हम दुर्भावना प्रारम्भ से ही उत्पन्न करना चाहते हैं । जैसे यूरोपियन कन्ट्रीज़ में जूज की एक क्लास है वैसी क्लास यहां बना देना चाहती है ।

श्री मानसिंह महार (अजमेर) : On a point of order, sir सदन में कोरम नहीं है ।

श्री विजयसिंह भाला (नाथद्वारा) : ये खुद महार साहब सदस्यों को भगाते हैं और कोरम की समस्या खड़ी करते हैं ।

श्री मानसिंह महार : उधर के बैलों को कहा जावे कि वे ज्यादा बैठें साहब ।

(गण-पूरक घंटी)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार ; तो मेरे कहने का आशय यह था, उपाध्यक्ष महोदय, कि जहां हम क्लास डिविज़न को दूर करना चाहते हैं वहां इस कानून से उसे पैदा करने जा रहे हैं उसको स्थायी बनाने जा रहे हैं ।

फिर इसमें बहुत सी खामियां भी हैं ।

जैसे इस कानून में लोन की परिभाषा को डिफाइन किया हैं । "loan' means an advance at interest, whether of money or in kind, but does not include so many things". तो जहां तक डिफाइन का प्रश्न है कोई भी रुपया जो दिया जावेगा, करजे के रुप में दिया जावेगा, इन्ट्रेस्ट पर दिया जावेगा वह लोन की परिभाषा में आ जावेगा । केवल कुछ एग्ज़ेम्पशन दिये हैं जैसे लाइफ इन्श्योरेन्स कार्पोरेशन का ऋण, ऋण की इस परिभाषा में नहीं आवेगा या कुछ ऐसी सरकारी संस्थाए हैं जो इस परिभाषा में नहीं आवेंगी ।

पर मै समझता हूं कि कानून बनाने वालों के दिमाग में यह बात उस समय नहीं आई होगी कि बहुत से ऐसे भी ट्रान्ज़ेक्शन्स हैं जो आपस में किये जाते हैं जैसे जायदाद के सौदे हैं, आपस के डीलिंग्ज हैं तो उनमें भी लोन एडवांस किया जाता है, उनमें भी रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट तय किया जाता है तो ये

Page No.58

(श्री दुर्गा लाल बाढ़दार)

ट्रान्जेक्शन्स भी क्या जिनके पास मनीलेंडिंग का लाइसेन्स है वही कर सकेगा।

मैं माननीय सदस्यों के सामने यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन्दगी में ऐसे कारोबार करने के मौके हर इन्सान के सामने आते हैं। जायदाद की इच्छा होती है, प्रोपर्टी की इच्छा होती है और इस सिलसिले में वे सबसे पहले तो पेमेन्ट एडवांस भी करते हैं, एडवान्स के रूप में पैसे देते हैं, उसके बारे में एग्रीमेन्ट लिखाया जाता है और एग्रीमेन्ट लिखानेके बाद में रेट ऑफ इन्टरेस्ट भी सेटल की जाती है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रेक्ट के ऊपर स्पेसिफिक पर्फोमेन्स आफ कान्ट्रेक्ट के लिए भी नालिश कर सकते है। लेकिन कुछ खामियों के कारण, कुछ दिक्कतों के कारण यदि उसको रुपया वापिस लेने का प्रश्न पैदा होता है तो अपने रुपयों को वापिस लेने के लिए भी वह दावा दायर करना चाहता है और उसके लिये रेट ऑफ इन्टरेस्ट भी मिलेगा लेकिन आपके कानून की धाराओं को लोन की तारीफ में लिया जाये तो यह समझ लें कि यह कानून जिसके ऊपर लागू किया जायेगा और जिस दिन आप कानून को पास कर देते हैं उसके पश्चात् कोई भी रुपया दिया जाता है तो वह कानून के अन्तर्गत लोन की तारीफ में आयेगा। आपने अपनी प्रोपर्टी के सिलसिले में कोई ट्रान्जेक्शन किया, कोई रुपया एडवान्स किया और अदालत में आप जब नालिश दायर करने के लिए जाते हैं तो वह अदालत आपसे पूछेगी कि आप अपना लाइसेन्स लाइये और जब आप लाइसेन्स उन्हें नहीं दिखा सकेंगे तो मजबूर होकर, हो सकता है, आपके क्लेम को खारिज करदे और इससे आपके कानून बनाने की मंशा फ्रस्ट्रेट हो जायेगी। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके द्वारा इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के कानून बनाने से क्या लाभ होगा कि जिसमें जनता को सिवाय कष्ट के और कोई आराम नहीं मिलेगा।

दूसरी आश्चर्यजनक बात जो प्रतीत होती है वह मैं आपको यहां निवेदन करना चाहूंगा कि जहां :

'Suit' to which this Act applies means any Suit or proceeding—

(a) For the recovery of a loan after the date on which this Act comes in to force; or

(b) For the enforcement of any security taken, or any agreement made, after the date on which this Act comes into force in respect of any loan made either before or after the said date......

"For the enforcement of any security taken or any agreement made."यदि इन्ही शब्दोकी व्याख्याकी जाय तो आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि रात-दिन अदालतों के अन्दर जमानतें पेश की जाती हैं। फौजदारी मामलों में भी जमानतें पेश की जाती हैं, दूसरे मामलों में भी जमानतें दी जाती हैं, जमानतें जब्त होने का सवाल आता है और उसमें ऐसी भी दिक्कतें आती हैं कि सिक्योरिटी को एडवान्स करने का सवाल पैदा होता है। जरा गौर से विचार कीजिए, यह कितना बड़ा कॉम्पलीकेशन है। जनता के सामने जिस कानून को लेकर आया जा रहा है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आयेगी और उस सिक्योरिटी को एनफोर्स करने का सवाल आयेगा तो उस समय कौन सी व्यवस्था ली

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

जायगी ? कहां से लाइसेन्स का सवाल होगा ? और लाइसेन्स को हासिल करके नालिश करने का सवाल होगा यह तो टेक्नीकल बात हुई। यदि आप सहूलियत के दृष्टिकोण से विचार करें और उस लिहाज से सोचें तो मैं यह कहूंगा कि यह कानून जो सहूलियतें प्रदान करने की गर्ज से बनाया जा रहा है सबसे ज्यादा मुश्किलें और दिक्कतें उत्पन्न करेगा। मैं आपको निवेदन करूं कि यह सब हम सभी जानते हैं कि ऐसी क्लास मनीलेन्डर्स की बहुत कम है जिनमें बहुत क्वालीफाइड आदमी हों।

हमारा देश कोई अमेरिका नहीं है कि जहां इस प्रकार की सोसाइटीज़ हों, जहां इस प्रकार के लोग हों कि जो बराबर काम करते रहें और लेजर और अकाउन्ट्स बुक प्रोपर्ली मेन्टेन करते हों। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि ग्रामों में आज जनता गरीब है और किसी के पास १००) इकट्टे हो जाते हैं और कोई बेवा है, विधवा है, जिसके पास सौ या पचास रुपये इकट्ठे हो जाते हैं तो अपने पड़ोसी को नातेदार को केवल जमा करने की गरज से सौ–पचास रुपयों का एडवान्स कर देती हैं और आपस का सूद तय हो जाता है और एक समस्या यह भी पैदा होती है कि मामूली जेवर रखकर भी पैसा एडवान्स कर दिया जाता है, सोने के ऊपर तो आपने कंट्रोल कर दिया इसलिये सोने के जेवरों का तो प्रश्न ही नहीं रहा लेकिन चांदी का जेवर हुआ, गाड़ी, जूड़ा बैल हुए; वे गिर्वी के ऊपर रख लिए जाते हैं और वक्त पर जब रकम अदा की जाती है तो वे वापिस ले लिए जाते हैं। लेकिन जब आपका कानून बन जायेगा तो समझ लीजिए कि ऐसा कोई व्यक्ति आज के जमाने में, मैं आप को सही निवेदन करना चाहता हूं कि आज बेरोजगारी सबसे ज्यादा फैल रही है, लोगों को रोज़गार नहीं मिलते, खाने को रोटी नहीं मिलती, समय पर कपड़ा नहीं मिलता और यदि आवश्यकता उसको पड़ जाती तो अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए यदि वह गरीब आदमी अपने रिश्तेदार से, अपने नातेदार से या गांव के किसी मौजू आदमी से कर्ज लेकर अपना काम निकालता है तो वह सहूलियत जो उसको मिलती थी आपके इस कानून के पास हो जाने से वह सहूलियत बिल्कुल बन्द हो जायेगी। उसको कोई कर्ज देने वाला नहीं मिलेगा और आपके इस कानून के मुताबिक जो लाइसेन्सशुदा आदमी होंगे वही कर्ज दे सकेंगे और बगैर लाइसेन्स वाले आदमी को कर्ज देने का अधिकार न होगा। तो मैं, माननीय उपाध्यक्षमहोदय, यह निवेदन करना चाहता था कि जो सहूलियत के साथ आपस के एक दूसरे के काम चलाने की गर्ज से जो गरीब आदमी वाकई में मनीलेंडर नहीं हैं और केवल अपने रिश्तेदार को ओब्लाइज करने के लिए कहीं सूद पर अपना रुपया एडवान्स करता है तो वह रुपया एडवांस करने की जो सहूलियत है वह बिलकुल खत्म हो जायेगी।

दूसरी क्लास जो रुपया एडवान्स करने का कारोबार करती है उस क्लास के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों के अन्दर महाजन जो लेन-देन का कारोबार करते हैं उनको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम और न इतने पढ़े-लिखे हैं कि जो लेजर या एकाउन्ट्स प्रोपर्ली मेन्टेन कर सकें। वहां की स्थिति मैं आपको बताऊं कि बोहरगत करने वाले ये लोग हिन्दी तक अच्छी तरह पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन हिसाब करना अच्छा जानते हैं। लेकिन इस कानून के मुताविक जो

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

कोई भी आदमी रुपया देना चाहेगा या मनी-लैंडर का कारोबार करना चाहेगा तो उसको प्रोपर अकाउन्ट्स मेन्टेन करने पड़ेंगे और आपके नियमोंके अन्तर्गत यदि कोई अकाउन्ट्स मेन्टेन नहीं करता है तो उसको लाइसेंन्स नहीं दिया जायेगा। इस बात को भी जाने दीजिये, लेकिन यदि कोई रुपया एडवांन्स कर दिया जाता है या कोई ऐसी व्यवस्था होती है तो उसकी कोई भी सुविधा नहीं होगी और ऐसी हालत में दावे दायर करने का प्रश्न पैदा नहीं होगा और यह कारोबार बिल्कुल बन्द हो जायेगा। इस कानून के मुताबिक कारोबार वही करेगा जो इसमें एक्सपर्ट हो।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

और जो अपने एक्सपर्ट होने के नाते अपने पास दो-चार आदमी भी रखता है और उनके खर्च को मीट-आउट करने के लिए और फिर लाइसेन्स की फीस देखिये। यह राजस्थान इतना बड़ा इलाका है और इतने बड़े इलाके में यह सूद का और लेन-देन का कारोबार ऐसा कोई गांव, मोहल्ला नहीं हो सकता कोई बस्ती नहीं हो सकती बल्कि यहां तक मैं कहूंगा कि इस सदन के माननीय सदस्यों में हो सकता है कुछ मालदार हों और अपने साथियों को भी रुपया देते हों लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो रुपया लेते हैं। तो आप देखिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : Cases of casual money-lending are not covered.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : That is not the position here. I am explaining just now.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आप किसी के कॉज की वकालत कर रहे हैं बोहरों की या कर्जदारों की ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : I am talking on the Bill as a whole, not clause wise. There is no amendment of any particular clause.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): Not clause, but cause.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : It is for your appreciation.

मैं यह निवेदन कर रहा था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जो व्यवस्था इस कानून के द्वारा सहूलियत के दृष्टिकोण से हम लाना चाहते हैं वह हमको उपलब्ध नहीं होती है। मेरा एक नम्र निवेदन करना यह था कि जहां यह गांव और एक क्लास के बारे में वर्णन किया और उसके प्रति जो भावना और प्रेम चला आ रहा है उसके हटाने के बाद से लोगों के अन्दर इस प्रकार की भावना पैदा हो जायेगी कि आप पर्टीकुलर टाइप ऑफ क्लास रखना चाहते हैं जो कि इस कारोबार को कर सकेगी और वह कारोबार एक लिमिटेड एरिया में कर सकता है। राजस्थान इतना बड़ा इलाका है जिसमें लाइसेन्स देने की बात के लिए एक निश्चित अवधि मुकर्रर की है और वह अवधि एक वर्ष की मुकर्रर की है। जिन लोगों ने लाइसेन्स लिये हैं वे एक साल के बाद रिन्यू करायेंगे। एक पर्टीक्यूलर एरिया में कारोबार करेगा तो एक साधारण सी दिक्कत को मुलाहिजा फर्मावें कि जयपुर में कुछ गांवों के लिये एक विशेष व्यक्ति को मुकर्रर किया है कि वह काम करेगा। उसको लाइसेन्स दिया गया है। उसको रुपया देने का अधिकार है और एक आदमी उससे रुपया

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

ले लेता है उसी दूकान से जहां कि उसको कारोबार करने का लाइसेन्स मिला हुआ है और उस जुरिस्डिक्शन में रहता है और लेने के बाद में वह वहां से बूदोबास छोड़ देता है, चला जाता है और दूसरी जगह अपना कारोबार करने लगता है। अब देखिये जहां अदालत में दावा करने का जुरिस्डिक्शन का सवाल आयेगा तो उसमें दिक्कत आयेगी। एक जगह से कर्जा लेने के बाद दूसरे साहूकार के पास दूसरी चीज का लाइसेन्स है उससे दूसरे प्रकार का कर्जा लेने की चेष्टा करेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ईमानदारी की भावना जो प्रारम्भ से जनता में चली आ रही है लेकिन जितनी बारीकी से आप कानून निकालें उतना ही जनता में बेईमानी को जागृत करने का मौका देते हैं इस प्रकार के कानून बनाकर। जो जनता की भावनायें हैं उनमें बेईमानी की भावनायें उत्पन्न करने वाले आपके इस प्रकार के कानून होते हैं, कठिनाई पैदा करने वाले कानून होते हैं।

एक छोटी सी बात में आपको निवेदन करना चाहता हूं। आपने कुछ कोआॅपरेटिव सोसायटी का रखा है। जनता को कोआॅपरेटिव सोसायटी के द्वारा रुपया देने में सहूलियत होगी, उनसे रुपया लोगों को मिल सकेगा। एक तरफ राज्य सरकार अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करती है, घोषणा करती हैं कि जितनी कोआॅपरेटिव सोसायटी है उनको प्रोत्साहन देंगे और जितनाभी कारोबार होगा चाहे बिजनैस को लेलें, रुपया एडवांस करने की ले लीजिये, और कारोबार को ले लीजिये, दूकान चलाने को ले लीजिए आप सबको प्रोत्साहन देने का विश्वास देते हैं, लेकिन जहां तक असलियत का प्रश्न है कोआॅपरेटिव सोसाइटीज की कोई सुनने वाला नहीं है। मैं अपना निजी अनुभव माननीय मंत्री महोदय से अर्ज करना चाहता हूं। पहले भी अर्ज कर चुका हूं; लेकिन चूंकि रिलेवेन्ट बात आ गई है इसलिए कहूंगा। हमने यहां पर एक कोआॅपरेटिव सोसाइटी पुरानी बस्ती में कायम की बड़ी मुश्किल से जनता के सामने रिक्वेस्ट की और उनसे रुपया लिया और रुपया लेने के बाद एक कोआॅपरेटिव सोसाइटी का फार्म किया और शुगर बेचने की इजाजत दिलवाई, बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि १०० आदमी इकट्ठे किये और १०००)रु० इकठ्ठा किया, लेकिन परमिट ज्यादा बोरी का दिया जाता है। वह २५ बोरी से कम का नहीं देते हैं। सोसाइटी की कुल जमा पूंजी १०००)रु० है और राज्य सरकार को३०००) रु० देने चाहिए थे; वह आज तक नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि कलेक्टर महोदय ने आपकी उस सोसाइटी को खांड का कोटा देना बन्द कर दिया और १५ दिन से कम से कम ३–४ हजार जनता को खांड के लिए परेशानी हो रही है। वह इस लिए परेशानी हो रही है कि उनकी बदकिस्मती थी कि उन्होंने इस राज्य सरकार का विश्वास किया। बदकिस्मती उनकी यह थी कि उन्होंने कोआॅपरेटिव सोसायटी द्वारा खोली गई दूकान पर अपने नाम को रजिस्टर करवाया। यदि वे किसी प्राइवेट आदमी की दूकान पर रजिस्टर्ड हुए होते तो आज वह नौबत नहीं आती। वे आज कम से कम खांड का कोटा प्राप्त कर सकते थे। हो सकता है जवाब इसका मंत्री महोदय की तरफ से यह दिया जायगा कि मनीलेन्डर्स बिल पर बोलने वाले मेम्बर इर्रिलेवेन्ट बात कहदी, इसका गवर्नमेन्ट कोई नोटिस नहीं लेती है। यह तो गवर्नमेन्ट की आदत है कि नोटिस ले या न ले और हमारी भी यही

Page No.62

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

आदत हैं कि अपनी तकलीफात को आपके सामने रखकर सुनाना चाहतेहैं,चाहे इर्रिलेवेन्ट समझकर उसे अब आप या रिलेवेन्ट समझ कर सुनें आप अपने विश्वास को याद रखिये । जहां एक तरफ सोसाइटीज की प्रोत्साहन देने का विश्वास दिलाते है वहां दूसरी तरफ सोसा इटी के प्रति इसप्रकार का व्यवहार रहता है । इस व्यवहार से जनता कितनी क्षुब्ध होती है, कितनी परेशानी उसको उठानी पड़ती है । इस विषय पर विचार करना चाहिए ।

यही की यही स्थिति यह जो राजस्थान मनी लेन्डर्स बिल आप बनाने जा रहे है । उसकी है । इस बिल के द्वारा सारी दिक्कतें जनता के सामने आती हैं । मैं इसका विरोध करता हूं, माननीय उपाध्यक्ष, समयाभाव के कारण केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस भावना को लेकर हम यह कानून बनाने जा रहे हैं उस भावना का पूर्णरूपेण इस बिल में कोई समर्थन नहीं होता है । यह एक ऐसा बिल हैं जो जनता के प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करने वाला है, जिससे एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होगा, क्योंकि आज के जमाने में कोई आदमी ऐसा नजर नहीं आता हैं जो कि बगैर रुपये लिये-दिये चलता हो ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : On a point of Order, Sir. The Minister in charge of the Bill is not present in the house.

श्री परसराम मदेरणा (उपमंत्री सिंचाई) I am representing him

श्री रामप्रसाद लड्ढा : i am here

श्री विजयसिंह झाला : वहां से आप नहीं बोल सकते हैं । अपनी सीट पर आकर बोलें ।

श्री उपाध्यक्ष -It is collective responsibility-

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा नम्र निवेदन यह था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

With in two minutes

जिस भावना को लेकर इस बिल को पास करने जा रहे हैं उस भावना का पूरा पालन इस बिल के द्वारा नहीं होता है ।

सबसे बड़ी बात जो इस बिल के द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह एक बड़ी ताकत राज्यसरकार ने अपने अधिकार में इस कानून के द्वारा ली है । किसी भी व्यक्ति को लाइसेन्स देने के लिए, मनीलेन्डिग के लाइसेन्स को देने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन्स निर्धारित की है जो कि इस कानून में बताई गई हैं, लेकिन उन क्वालिफिकेशन्स के अन्दर यह भी साथ ही साथ बताया गया है कि गवर्नमेंट यदि कोई लाइसेन्स प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तो भी उसको लाइसेन्स दे सकती है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि २–३ क्लॉजेज उन्होंने दी हैं, लेकिन इस क्लाज की क्या आवश्यकता होती थी ? यह एम्बीगुअस क्लॉज है, यह आर्बीट्रेरी डिस्क्रीशन गवर्नमेंट या रजिस्ट्रार को देते हैं कि जिसको चाहे अपनी मर्जी से लाइसेन्स दे; यदि चाहे तो लाइसेन्स देगा और यदि नहीं चाहेगा तो लाइसेन्स नही देगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जरा गौर के साथ इस क्लॉज को मुलाहिजा फर्माइये :

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

"That the applicant or any person responsible is disqualified from holding a licence."

यह जो 'डिस्क्वालिफिकेशन फोर होल्डिंग ए लाइसेन्स' है, तो ग्राखिर डिस्क्वालिफिकेशन की परिभाषा क्या है ? वह गोरा होगा, वह काला होगा इसलिए लाइसेन्स नहीं मिलेगा, वह चोरी करेगा इसलिए लाइसेन्स नहीं मिलेगा, वह जेब काटेगा इसलिए लाइसेन्स नहीं मिलेगा ? इस डिस्क्वालिफिकेशन की परिभाषा क्या है ? मेरी समझ में यह नहीं ग्राता है कि रजिस्ट्रार महोदय जिसको चाहेंगे उसको लाइसेन्स दे देंगे ग्रौर जिसको नहीं चाहेंगे उसके लिए कहेंगे you are disqualified from holding a licence. जिनको देना चाहेंगे उनको रजिस्ट्रार साहब देंगे । इस प्रकार की ताकत राज्य सरकार को दे दी है ।

दूसरा नियम मुलाहिजा फर्माइये ।

एक जगह ग्राप कहते हैं कि इस प्रकार से लाइसेन्स दे दिये जाते हैं तो लाइसेन्स कैंसिल कर दिये जायं । इसमें दिया गया है कि ताजीरात हिन्द में जो दफा दी गई है उनमें से कोई ग्राफेन्स कमिट कर देता है तो ग्राफेन्स से यह समझा जाय कि वह जाली दस्तावेज हों या ग्रौर किसी जाली गवाह की बात हो या फोर्जरी ग्रादि के मेटर्स हों तो ऐसे ग्रादमी को जो इस प्रकार से सजायाफ्ता हो जाता है उस ग्रादमी का लाइसेन्स कैन्सिल कर दिया जाय । उनको इस बात के लिए उपयुक्त नहीं समझा जायगा कि मनी लेंन्डिग का व्यापार कर सकते हैं, सूद पर रुपया दे सकते हैं । लेकिन बड़े खेद के साथ ग्रौर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक कॉम्पीटेन्ट ग्रदालत, एक तरफ न्यायालय इस तरह का निर्णय देते हैं कि ग्रमुक व्यक्ति ग्रपराधी है, उसको सजा होती है, जेल होती है, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार ग्रपने हाथ में यह ताकत रखना चाहती है कि यदि राज्य सरकार चाहेगी तो ऐसे ग्रादमियों को भी इसके बाद भी इस प्रकार का कारोबार करने के लिए लाइसेन्स दे सकेगी । ग्राप ग्रन्दाजा लगा लीजिये कि ग्राप क्या चाहते हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल (ग्रलवर) : चवन्नी का मेम्बर बनाकर दे सकेंगे ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : वह किसी भी तरह से चार ग्राने या कार्यशील सदस्य बन जाय, यह मैं नहीं कहना चाहता कि क्या कारण हो सकता है । राज्य सरकार जब कि ग्रदालत निर्णय देती है कि ग्रमुक ग्रादमी चोर है, ग्रमुक ग्रादमी बेईमान है, ग्रमुक ग्रादमी को सजा हो चुकी है, एक कॉम्पीटेन्ट कोर्ट से इस प्रकार का निर्णय हो जाता है तो एक ग्रदालत के निर्णय के बाद भी राज्य सरकार ग्रपने ग्रापको खुदा समझती है, ग्रौर यह कह कर कि जो निर्णय ग्रदालत ने दिया है उस निर्णय को हम मान्य नहीं मानते, बल्कि जो निर्णय राज्य सरकार देगी उस निर्णय को मान्य माना जाय, तो मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार से डेमोक्रेसी में जो जुडीशियरी के द्वारा निर्णय होता है, जो जजमेंट होता है उनका एक प्रकार से मखौल उड़ाना होगा इस कानून के द्वारा । न्यायालय जिन्हें हम प्रतिष्ठा में ऊंचा समझते हैं, जिनकी मान्यता को प्रतिष्ठा देना चाहते हैं, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम ग्रॉफ गवर्नमेंट में इस प्रकार का कानून बना कर इस प्रतिष्ठा के प्रति ग्रपघात करते हैं, उसके ऊपर ग्राघात

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

पहुंचाना चाहते हैं। राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार की ताकत को अपने हाथ में रिजर्व रखना, यह प्रजातन्त्रात्मक शासन-प्रणाली के सिद्धान्तों के बिल्कुल प्रतिकूल है। इस प्रकार मैं यह निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष

(५. प.)

कि जिस रूप में यह कानून सदन के सामने आ रहा है वह बिल्कुल पास नहीं किया जाना चाहिये, मैं इसका घोर विरोध करता हूं और प्रतिपक्ष से यह निवेदन करता हूं कि सदन को यह विचार करना चाहिये। यदि आप इसको पास करेंगे तो समझ लीजिये कि राज्य सरकार तो अ मानित होगी या नहीं, यह तो रोज ही अपमानि [illegible] ही रहती है, लेकिन विधान सभा के माननीय सदस्य जो कानून बनाते हैं, मै उनसे निवेदन करूंगा कि वे ऐसे कानून को कभी पास नहीं होने देंगे।

(५.०० म० प०)

(श्री केसरीसिंह, सभापति,पदासीन)

श्री सभापति : श्री विजयसिंह झाला।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, यह बिल ही ऐसा था और मेरी समझ में सदन के इतिहास में एक पहली घटना हुई जबकि माननीय अध्यक्ष को कुछ सदस्यों के लिए यह रिमार्क लगाना पड़ा कि इस बिल पर विचार करते समय प्रवर समिति के बारे में डिसेन्ट नोट देते समय उन्होने अपने दिमाग का संतुलन खो दिया था। मेरी समझ में (१९५२) के बाद इस सदन में प्रथम घटना थी। इसके साथ ही साथ जिस प्रकार डिसेन्ट नोट जितने लोगों ने दिये हैं, मेरी समझ में पहले कभी भी इतनी बड़ी तादाद में डिसेन्ट नोट नहीं दिये गये थे।

सभापति महोदय, २१ में से ११ सदस्यों ने नोट ऑफ डिसेन्ट दिये थे। हमारे माननीय उप-मंत्रीजी बड़े व्यवहार कुशल हैं, इसलिये उन्होने अपनी व्यवहार कुशलता दिखला कर, कुछ लोगों को डांट-फटकार देकर मुख्यमंत्रीजी के पास लेजाकर उनसे सिग्नेचर करवाये सिग्नेचर करवाकर यह कहलवाया माननीय सदस्यों से सदन के अन्दर कि जिस समय उन्होने दस्तखत किये थे उस समय बगैर सोचे-समझे किये थे। सभापति महोदय,बड़े खेद का विषय है कि जिन लोगों ने ड्राफ्ट बनाया डिसेन्ट नोट का उन्होने ऐसी भाषा बना दी माननीय सेठ साहब ने कहा कि उन्होने बिना सोचे-समझे कर दिया, इसलिये अध्यक्ष महोदय को यह निर्णय देना पड़ा कि माननीय सदस्य का दिमाग ठीक नहीं है। इसलिये आज हम जब इसे पारित करने जा रहे हैं, जनता यह नहीं कह दे कि जिस उप-मंत्रीजी ने यह बिल सदन में रखा उनके दिमाग का संतुलन ठीक नहीं था। सभापति महोदय, जब हम यह महसूस करते हैं कि यह ठीक ढंग से नहीं बना है तो मै प्रस्ताव करूंगा कि इसे जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

सभापति महोदय, भारतवर्ष में २७ करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी प्रति दिन की आय ३ आने हैं। राजस्थान मे १ एकड़ ४० लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दैनिक आय ३। आना रोज हैं। ऐसी स्थिति में जब कि सारे भारतवर्ष में ८३ परसेन्ट लोगों पर कर्जा है तो कम से कम राजस्थान के ९० परसेन्ट लोगों पर कर्जाहोगा क्योंकि जो लोग सवा तीन आने रोज कमाते हैं उनका भोजन ही पूरता नहीं होता होगा और भोजन के अलावा जो बहुत सी आवश्यक

Page No.65

(श्री विजयसिंह झाला)

वस्तुएं हैं उन्हें तो कर्ज पर ही लाना पड़ता है। तब देखना यह है कि जिस उद्देश्य से यह बिल आ रहा है उससे कर्जदारों को ज्यादा सहूलियत मिले, ऋण लेने में सहायता मिले, इसकी पूर्ति आपका यह बिल नहीं करता। जनसंघ दल की ओर से जहां तक इस बिल को लाने का उद्देश्य है वहां तक मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं उद्देश्य की पूर्ति यह बिल नहीं करेगा। इसके डिटेल्स आगे बताऊंगा।

यह करीबन ३८ या ४२ धाराओं का बिल है। इसमें कुल २ धाराएं ऐसी हैं जो कर्जदारों को सहायता के लिए कुछ कहती हैं। बाकी सारी की सारी धाराएं ऐसी हैं जो प्रोसीजर के बारे में हैं, लाइसेन्स लेने के बारे में हैं या पेनल्टी के बारे में हैं। मैं समझता हूं इस बड़े विधेयक में केवल दो बातें इन्ट्रेस्ट के लिए हैं कि इन्ट्रेस्ट सीमित लिया जायगा। लेकिन उसे भी डिक्लेयर नहीं किया है कि कितना लिया जायगा। उसके लिए भविष्य में नियम बनेंगे और जो नियम बनेंगे उससे ज्यादा व्याज साहूकार नहीं ले सकते। इससे और ज्यादा कोई रियायत कर्जदार को नहीं दी है। मैं समझता हूं, जिस उद्देश्य से आप इसे ला रहे हैं उसकी पूर्ति आपका यह छोटा सा बिल नहीं करता। किस तरह से नहीं करता, इसका विवरण बाद में दूंगा। लेकिन मैं यह सोचता हूं कि इस बिल को राजनैतिक स्टंट के कारण से लाया गया है। जो साहूकार लोग उस दल से निकल कर बाहर जाने लगे थे उन पर नियंत्रण रखना चाहते हैं इसलिये यह लाया गया है। नियंत्रण किस तरह से रखना चाहते हैं, यह इससे देखिये कि रजिस्टार कौन होगा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आप उनको बचाना चाहते हैं ?

श्री विजयसिंह झाला : जब सेठों का नाम लिया जाता है तो हमारे काम्युनिस्ट भाई चिढ़ते हैं, हालांकि वे भी साहूकार हैं, सेठों से ज्यादा धनवान हैं लेकिन उनको चिढ़ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : आप सेठों की बात कहने के बारे में सिफारिश करते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : मैंने पहले ही अर्ज किया था कि सिलेक्ट कमेटी के समय कुछ लोगों के दिमाग का संतुलन बिगड़ गया था। आज विवाद हो रहा है तब हमारे कॉम्यूनिस्ट भाइयों के दिमाग का संतुलन बिगड़ रहा है, यह कहूं तो अनुचित नहीं होगा। जैसी कि उनकी आदत है केवल चिड़ दिखाकर अपने आपको प्रोग्रेसिव बताना चाहते हैं। जनता आज आपका विश्वास नहीं कर सकती, चाहे बंडल के रूप में लोक सभा में...

श्री सभापति : (अश्रव्य)

श्री विजयसिंह झाला : अब मैं बिल पर आता हूं। यह बिल एक राजनैतिक स्टंट के आधार पर लाया गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उपमंत्री राजस्व) : आपका विरोध पोलिटिकल स्टंट लगता है।

श्री विजयसह झाला : मेरा विरोध पोलिटिकल स्टंट नहीं है। यह मैं साबित करता हूं कि किस तरह से यह बिल राजनैतिक स्टंट है। इसमें रजिस्ट्रार कौन होगा, इस बारे में आपने क्लॉज बनाया है ३। चाहिए तो यह

(श्री विजयसिंह झाला)

था कि पब्लिक सर्वेन्ट्स में से कोई रजिस्ट्रार होता, लेकिन आपने इसमें दूसरे व्यक्ति का प्रावधान रखा है। इसका मतलब यह है कि दामोदरलालजी व्यास, रामकिशोर जी या जितने दूसरे भूतपूर्व मिनिस्टर हैं उनमें से किसी को रजिस्ट्रार जनरल बनाना चाहते है। क्यों नहीं आपने रखा कि पब्लिक सर्वेन्ट्स ही रजिस्ट्रार जनरल होगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एम्स एन्ड ओब्जेक्ट्स को तो पढ़ें।

श्री विजयसिंह झाला : मैंने उसे पढ़ लिया। आप क्लॉज़ ३ को तो पढ़ें। उसमें आपने किसी प्रकार से रास्ता रखा है तो मैं इसका आब्जेक्शन करूंगा कि आपने दूसरे व्यक्ति को क्यों रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त करने का प्रावधान रखा है? इसके पास होने के बाद आप जब ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देंगे तब कहेंगे कि यह तो विधान में था। आप लम्बा रास्ता लेना चाहते हैं। एक छोटे से शब्द के द्वारा प्रावधान करना चाहते हैं। मैं इसका अपने दल की ओर से विरोध करता हूं।

उसके बाद आपने रजिस्ट्रार को अधिकार दिये हैं, अपनी इच्छानुसार लाइसेन्स कैन्सिल कर सकता है, पेनल्टी लगा सकता है। मैं समझता हूं कि सारा का सारा काम राजनैतिक स्टंट पर लिया जायेगा और वह रजिस्ट्रार जो कांग्रेस का कोई नेता होगा वह जनता का हित नहीं देखेगा और अपनी सारी शक्ति को आपके हित में काम में लायेगा।

इसके साथ ही साथ यह विधेयक व्यवहारिक भी नहीं है। बहुत सी बातें इनमें ऐसी हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो सकतीं। मैं आपके सामने एक-दो उदाहरण रखता हूं। आपने उधार की परिभाषा की है। क्लाज २ (६) में जो व्यक्ति मूल रुपये ब्याज पर देता है उसे माना है। किसी बोहरे ने मूलधन में ब्याज जोड़ दिया तो क्या होगा ? बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मजबूरी के कारण कर्जा लेने जाते हैं और उनके सामने साहूकार जो कन्डीशन रखता है वे उनको माननी पड़ती हैं। मान लीजिए कि इन्ट्रेस्ट मूलधन में जोड़ कर लिख दिया 'कि मैंने बगैर ब्याज़ के रुपये उधार दिये हैं तो आपका विधेयक उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। भविष्य में जिन पर आप बंधन लगाना चाहते है वे यह करेंगे कि मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे, उसके बाद आप कैसे कुछ करेंगे ? इसके साथ ही साथ मैं यह कहता हूं कि रात-दिन मामूली जरूरतों के लिये रिश्तेदारों से और दूसरों से उधार रुपये लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब तक उसके पास लाइसेन्स नहीं होगा तब तक वह रुपया नहीं दे सकता। आज बहुत से व्यक्ति हैं, जो उधार लेते हैं, उनके लिए कोई खत नही लिखे जाते। हो सकता है कि वे उस रकम पर मामूली ब्याज ले लें। इस प्रावधान से इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए भी अड़चन पैदा हो जायेगी। इस तरह जो व्यवहारिक रूप में बातें नहीं होनी चाहिए वे बातें इस विधेयक के अन्दर हैं, इसलिए यह विधेयक सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। साथ ही मैं समझता हूं कि इससे बहुत सी काम्प्लीकेसीज़ पैदा हो जायेंगी और कठोर नियमों को देख कर जो उधार देने वाले व्यक्ति हैं, वे उधार देना बन्द कर देंगे। इसके अलावा जो छोटे२ व्यक्ति हैं, जो उधार रुपया देते हैं; सौ, दो सौ रुपये तक उधार देते हैं लेकिन वे साहूकार नहीं होते हैं। वे उस रुपये पर एक रुपया ब्याज ले लें, लेकिन उन पर भी दस हजार का कर्ज हो सकता है। इस

(श्री विजयसिंह झाला)

तरह जिन बातों को इस विधेयक में नहीं लेना चाहिए उनको आपने ले लिया है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा भाग हो सकता है, जो साहूकार होंगे, लेकिन उन पर इस विधेयक के प्रोवीजन्स लागू नहीं होंगे। इस तरह आपने एक बहुत बड़ा हिस्सा छोड़ दिया है। जिन पर यह लागू नहीं होगा और जिन पर यह लागू नहीं होना चाहिए उन पर यह लागू कर दिया जायगा। इस तरह की बहुत सी अव्यवहारिक बातें हैं जो इसमें नहीं होनी चाहिए।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस विधेयक से कुछ साहूकारों की ही मोनोपोली हो जायगी, एक क्षेत्र में एक ही साहूकार जम जायगा और जितने छोटे-छोटे पैसे वाले व्यक्ति हैं, जो उधार देते हैं, चाहे वे स्वयं कर्जदार हों, उनको अपना यह धन्धा बन्द करना पड़ेगा। इस प्रकार एक क्षेत्र में एक साहूकार हो जायगा। उस सहूकार से जो कर्ज लेना चाहेगा, तो उसकी जो भी शर्तें होंगी, चाहे वे शर्तें डॉक्यूमेन्ट में नहीं लिखी जायं, लेकिन वे शर्तें उधार लेने वाले को पूरी करनी होंगी, तब ही वह पैसा देगा। वह ऐसी कठोर शर्त भी लगाये कि जब तक उसके पास सोना या कोई दूसरी रकम नहीं रखी जायगी तब तक वह पैसा नहीं देगा और क्योंकि एक साहूकार की एक क्षेत्र में मोनोपोली होगी इसलिए कर्जदार को सब शर्तें पूरी करनी पड़ेगी।

इसके साथ ही साथ, माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक के अन्दर कहां कहां दोष है, उनकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो जैसा कि साहूकार की परिभाषा के अन्दर कहा गया है कि जो मूलधन में ब्याज को जोड़ कर कर्ज देता है, तो उस पर विधेयक लागू नहीं होगा। यह सबसे बड़ी कमी है। साथ ही साथ क्लॉज ३ के अन्दर रखा है कि रजिस्ट्रार के पद के ऊपर पब्लिक सर्वेन्ट्स या दूसरे किसी आदमी को रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकते हैं, यह उचित नहीं है। क्लॉज ६के अन्दर आपने लाइसेन्स के नवीनीकरण के लिए प्रोवीजन रखा है कि हर साल साहूकार को नवीनीकरण कराना होगा और इसलिए उसे फीस देनी होगी। मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनको फीस जमा कराने के लिए शहर में जाना पड़ेगा और उसको खर्च करना पड़ेगा। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि क्या यह फीस पंचायत के मारफत जमा नहीं हो सकती? इसके साथ ही क्या यह लाइसेन्स तीन साल के लिए नहीं हो सकता जिस तरह कि बन्दूक वगैरह के लिए आप देते हैं? साहूकार तीन साल की फीस पंचायत के पास जमा करा दे, या पांच साल की जमा करा दे। इसके बाद में रजिस्ट्रार को अधिकार दिया गया है कि वह चाहे तो लाइसेन्स को कैंसल कर सकता है, यह भी उचित नहीं है। इस प्रकार बहुत सी बातें इस कानून में हैं, जिनके बजाय, मैं समझता हूं कि कुछ सहूलियतें साहूकारों को मिलनी चाहिये थीं। मेरी इस बात पर मैं जानता हूं कि हमारे कम्यूनिस्ट भाई कुछ चिढ़ेंगे कि जनसंघ साहूकार को सहूलियत देने की सिफारिश करता है। लेकिन मैं कहता हूं कि बहुत से साहूकार ऐसे हैं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): वोट लेने हैं।

श्री विजयसिंह झाला: बहुत से साहूकार ऐसे हैं जो सौ रुपया उधार देते हैं लेकिन उन साहूकारों के ऊपर दस हजार का कर्ज हो। ये लोग फिजूल सरकार के पास

(श्री विजयसिंह झाला)

रुपये जमा करायें, इससे आप उन्हें बचा सकें तो अच्छा रहेगा। साथ ही पांच साल के लिए लाइसेन्स के नवीनीकरण के लिए फीस इकट्ठी लें। इसमें जो नवीनीकरण का प्रोवीज़न है उसमें इस प्रकार की सहूलियत देनी चाहिए और पंचायत या न्याय पंचायत की मारफत नवीनीकरण हो सके इसके लिए आपको प्रोवीजन बनाना चाहिए।

सभापति महोदय, सबसे मजेदार बात यह है कि रजिस्ट्रार को इतने अधिकार दिये हैं कि उनके फैसले की अपील कहीं नहीं हो सकती है....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : सभापति महोदय, ट्रेज़री बैंचेज खाली हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) I am in the House.

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : ट्रेज़री बैंचेज़ ने वाक आउट कर दिया है।

श्री मानसिंह महार : सभापति महोदय, यह बहुत ही अनपार्लियामेन्ट्री है कि मंत्री महोदय हाउस में बात करें। अगर वे किसी से बात करना चाहें तो उन्हें लॉबी में बात करनी चाहिए न कि सदन में।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I did not talk to any body.

श्री मानसिंह महार : I am glad. I think, in future, he will note it down.

श्री विजयसिंह झाला : सभापति महोदय, रजिस्ट्रार को जो अधिकार दिये गये हैं उनमें यह है कि रजिस्ट्रार के फैसले की अपील कहीं नहीं होगी। मैं समझता हूं कि आज जब हमारे देश के अन्दर, प्रान्त के अन्दर जुडिशियरी को ज्यादा महत्व देते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आज यह प्रावधान रखें कि रजिस्ट्रार के फैसले की अपील नहीं होगी तो बहुत अनुचित होगा। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। विरोध इसलिए करता हूं कि हाई कोर्ट में इन्हें क्यों न जाने दिया जाय यदि रजिस्ट्रार कोई ऐसी वैसी बात करे। विशेष कर ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रार के पद पर आप ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो आपकी पार्टी का होगा। ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेंगे, ऐसा आपने प्रावधान रखा तो ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि हाई कोर्ट में उसके फैसले की अपील हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वह जाय ताकि उचित निर्णय उस पर ले सके।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : बहुत बोल लिये हैं।

श्री विजयसिंह झाला : ये सारा का सारा टाइम खा गये।

श्री सभापति : उपाध्यक्ष महोदय ने पन्द्रह-बीस मिनट का समय रखा है। आप बीस मिनट बोल लिये हैं।

श्री विजयसिंह झाला : जल्दी समाप्त कर दूंगा।

श्री सभापति : पन्द्रह मिनट पर आपकी सूचना के लिए घंटी बजाऊंगा।

श्री विजयसिंह झाला : सभापति महोदय, इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि साहूकार कर्जदार से ज्यादा से ज्यादा फीस वसूल कर सकता है। इसमें जो प्रोवीजन है

(श्री विजयसिंह झाला)

वह एक जगह नहीं तीन जगह आया है। जो व्यक्ति इस एक्ट के लागू होने से पूर्व के कर्जदार हैं वे बगैर फीस दिये हिसाब दे सकते थे। लेकिन यह बिल आने के बाद वे कर्जदार बगैर फीस दिये हुए हिसाब नहीं दे सकते हैं। इसके बारे में एक जगह नही तीन जगह प्रावधान आया है। इसके क्लॉज़ २० के अन्दर है कि ऋण देने के तीन माह के बाद में स्टेटमेंट देगा आपका साहूकार, उसके बाद छः महीने के बाद स्टेटमेंट देगा। और एक स्टेटमेंट के लिए दो रुपया साहूकार कर्जदार से वसूल कर सकता है। आप देखिये, कई कर्जदार ऐसे हैं जो दस रुपया कर्ज लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में छोटे-छोटे कर्जदार होंगे, जो किसी से दस रुपया लेते हैं, किसी से पचास रुपया लेते हैं और किसी से सौ रुपया लेते हैं तो यह स्पष्ट बात है कि एक कर्जदार को दस-दस जगह रुपया देना पड़ेगा और साल में बीस-पच्चीस रुपये इस प्रकार के स्टेटमेंट के लिए फीस के रूप में साहूकार को देने पड़ेंगे। मेरी समझ में आप इसमें यह प्रावधान रखते कि कम से कम दो हजार रुपये किसी कर्जदार में हों तो उसको दो रुपये देने पड़ेंगे। यह नहीं कि दस रुपये के कर्ज के स्टेटमेंट की कॉपी दी तो दो रुपये और एक हजार रुपये के कर्ज के स्टेटमेंट की कॉपी दी तो दो रुपये। इसके अलावा आप यह मान लो कि कर्जदार साहूकार के पास खाता देखने जाय तो क्लॉज़ २० के अनुसार उसको फीस देनी पड़ेगी। अगर वह डॉक्युमेंट देखेगा तो उसे फीस देनी पड़ेगी। इस प्रकार कम से कम एक कर्जदार की साहूकार को चार-पांच दफा फीस देनी पड़ेगी। वह साहूकार मालिक हो जायगा ऑटोमेटिकली जिसके बीस कर्जदार हैं और उसको एक हजार रुपये की फीस से आमदनी हो जायेगी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो कर्जदार से फीस लेने का प्रावधान है उसका हमारा दल घोर विरोध करता है। इस चीज़ को हम कभी सहन नहीं करेंगे जो आपने इस प्रकार का प्रावधान कर्जदार से फीस लेने का रखा है।

सभापति महोदय, आपने क्लॉज़ ४८ के अन्दर सबसे बड़ी सहूलियत दे दी है वह यह है कि डिक्रीदार, जिसके खिलाफ डिक्री हो गई, की यदि पन्द्रह सौ रुपये से कम आमदनी है तो वह डिग्री के एग्ज़ीक्यूशन में गिरफ्तार नहीं किया जायगा। मैं समझता हूं कि यह बड़ी शर्म की बात है, शर्म की बात इसलिए है कि आखिर किसी के सामने कोई मजबूरी होती है, किसी के पास पैसा नहीं होता है तब ही वह जेल में जाता है। यदि किसी के पास पैसा है और मजबूरी नहीं है तो वह जेल में जाना स्वीकार क्यों करेगा? मैं हमारे दल की तरफ से कहता हूं कि डिक्री के एग्ज़ीक्यूशन के लिए किसी को जेल नहीं होनी चाहिये। आज के युग में कम से कम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते। अगर किसी के पास पैसा नहीं होता है तो इस मजबूरी के कारण ही पैसा लेता है। उस पर डिक्री के एग्ज़ीक्यूशन के लिए जेल का प्रावधान रखें तो यह आपके लिए, सरकार के लिए और प्रजातंत्र के लिए शर्म की बात है और हम इसका घोर विरोध करते हैं।

सभापति महोदय, इस विधेयक के खण्ड ४०, २०, ३८ और ५ के अन्तर्गत जो प्रावधान हैं, उससे साफ है कि किस प्रकार से साहूकारों को कांग्रेस के कब्जे में रखा जाय या रजिस्ट्रार के कब्जे में रखा जाय? ये जो प्रावधान बनाये हैं, इनका जिस समय चुनाव होंगे, आप जरूर प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार

(श्री विजयसिंह झाला)

जो प्रावधान है सजा का, उसमें आपको इतनी सजा नहीं रखनी चाहिए। आपने यह प्रावधान रखा है कि जो बगैर लाइसेन्स के उधार देता है, उसके लिए आपने पांच सौ रुपये या तीन महीने की सजा का प्रावधान रखा है। मैं समझता हूं कि जो बगैर लाइसेन्स के उधार देता है उसके लिए आप इस प्रकार का प्रावधान रख दें कि वह जिसको उधार देगा उससे वापिस लेने का उसको अधिकार नहीं होगा। अगर यह प्रावधान कर देते हैं तो वह काफी है क्योंकि इससे कर्जदार को भी सहूलियत मिल जायगी और उसके बाद उसका लाइसेन्स कैंसिल हो जायगा और कैंसिल होने के बाद जब रजिस्ट्रार के यहां से लाइसेन्स मंगवायेगा और लाइसेन्स मंगाने में देरी करेगा तो प्रति दिन पांच सौ रुपये का जुर्माना होगा। मेरी समझ में इसमें देरी का रीजनेबल समय कितना होगा, यह नहीं बताया गया है।

किसी रजिस्ट्रार और साहूकार के नहीं बनी। उसने एक घन्टा दिया, यदि एक घन्टे के बाद देरी की तो प्रतिदिन ५००) रु० के हिसाब से उस पर जुर्माना होगा और फिर एक बहुत मजेदार बात यह कि उसके बाद में अपील कहीं नहीं होगी। उसकी अपील वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं कर सकता। यह चीज, मैं समझता हूं, कि आज के युग में न्याय प्राप्त करने के संबन्ध में रखी गई है इसको न्यायोचित नहीं कहा जा सकता।

सभापति महोदय, इसके साथ साथ एक लीगल डिफीकल्टी आने वाली है। जो साहूकार दावा करेगा जिस कोर्ट में, और कोर्ट को मालूम होगा कि इस साहूकार के पास लाइसेन्स नहीं है तो उसको अदालत समय देगी। अदालत को उसे समय देने का अधिकार दिया गया है कि वह उस पर ५००) रु० जुर्माना करके समय दे सकती है कि वह लाइसेन्स प्राप्त कर सके। मगर मैं यह कहूंगा कि ज्यादातर दावे २५०)रु० या २५०)रु० से नीचे के होते हैं और ये दावे ज्यादातर पंचायतों में होंगे। क्या आप पंचायतों को यह अधिकार देना चाहते हैं कि वे ५००)रु०जुर्माना करें। आपके पंचायत एक्ट में उनको ५०) रु० तक जुर्माना करने का अधिकार दिया है और वे लोग ५०)रु० तक जुर्माना कर सकते हैं। तो यह भी एक लीगल डिफिकल्टी खड़ी होगी। यह भी आपको साफ करनी होगी। मैं समझता हूं कि ...

श्री रामप्रसाद लड्ढा :(उप-मंत्री राजस्व) Which clause you are referring ?

श्री विजयसिंह झाला : क्लॉज २१ है।

(ढूंढते हैं)

मैं आपको बाद में बता दूंगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हाउस के बाद में बतावेंगे ?

श्री विजयसिंह झाला : यदि आप देखना ही चाहते हैं तो अभी बता देता हूं। एक मिनिट लगेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : १६ दफा देख लीजिए।

श्री विजयसिंह झाला : १६ दफा है। कहें तो पढ़ दूं। हो गया संतोष।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जवाब देने के लिये जानकारी चाही।

Page No.71

श्री सभापति : Order ! Order !!

श्री विजयसिंह झाला : सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ व्यापार के अन्दर कुछ शिल्पकारी से हस्तकला, चित्रकारी, इस प्रकार के व्यापार करने वाले व्यक्तियों को व्यापारी नहीं माना है जो शिल्प का धन्धा करते हैं और उन पर यह विधेयक लागू नहीं होगा, जो १० आदमी अपना कार्य के लिए पैसा लगाते हैं। मैं समझता हूं कि शिल्पकला के साथ साथ हस्तकला, चित्रकारी आदि हैं इनको भी एग्जेम्प्शन देते तो बहुत अच्छी बात होती और एज्युकेशन के लिये अपना यह प्रावधान रखना चाहिए कि शिक्षा में किसी की जेल नहीं होगी।

अब मेरी तरफ से इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव हैं। आप जो विधेयक ला रहे हैं उसमें कर्जदारों को सहूलियत नहीं होने वाली है, बल्कि इससे लोगों को गांवों में ज्यादा परेशानी होगी और इसके लिये आपको गांवों में ज्यादा एजेन्सीज कायम करनी पड़ेंगी और आज दिन तक आपने जितनी एजेन्सीज, कोआॅपरेटिव सोसाइटीज, लैन्ड मोर्टगेज बैंक, कोआॅपरेटिव बैंक आदि शुरू किये हैं वे आपके सारे के सारे फेल हुए हैं।

आपकी कोआॅपरेटिव सोसाइटीज के १९५२ में बताये गये आंकड़ों के अनुसार जो किसानों को रुपयों की आवश्यकता थी उसका तीन प्रतिशत कर्जा मिला। उनकी आवश्यकता की आप ३ प्रतिशत पूर्ति कर सकें। बाद में यह २० परसेन्ट हो गया। जितनी किसानों को गांवों में रुपये की आवश्यकता होती है उससे २० परसेन्ट तक उनकी पूर्ति या उनको कर्जा दिया जाता है। इससे उनकी जरूरत पूरी नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने लैंड मोर्टगेज बैंक उदयपुर में चालू किया है, मगर आप देखेंगे कि कितने किसानों ने वहां से कर्जा लिया? मैं समझता हूं कि एक भी किसान को वहां से कर्जा नहीं मिला है। कर्जा लिया है, दिया जाता है तो नेताओं को ही दिया जाता है और नेताओं ने ही लिया है। कर्जे के लिए जो रुपया दिया जाता है नेताओं के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी प्रकार पंचायत समितियों में हैं। आपकी जो एजेन्सीज हैं, जो रुपया उधार देती हैं उनमें तीन-चार खामियें हैं। आपको उन खामियों को निकालना होगा। किसानों के लिए जितने कर्जे की आवश्यकता होती है अनाज लेने की, किसान को बच्चे की शादी करने की आवश्यकता है और उसके लिए कर्जा लेने की आवश्यकता है या किसान पर जो कर्जा है उसे बेबाक करने की और बचने की, मगर आप उनको पैसा देते हैं कुओं को खुदाने के लिए। जो लोग भूखे हैं और अनाज नहीं ले सकते हैं उनको अनाज लेने के लिए रुपयों की जरूरत है उनको आप रुपया नहीं देते हैं। इसलिये उसको रुपया उधार लेना पड़ता है। इसके साथ ही साथ ब्याज लिया जाता है वह बहुत ज्यादा है। पंचायत समिति पहले ४ परसेन्ट ब्याज लेती थी। अब १० परसेन्ट ब्याज हो गया है। इसके अलावा लैंड मोर्टगेज और कोआॅपरेटिव सोसाइटीज से रुपया लेने का प्रोसीजर है। वह इतना खराब है कि गरीब लोग कर्जा नहीं ले सकते हैं। उनको कार्यवाही करने में इतना पैसा खर्च करना पड़ता है कि उनको २ परसेन्ट ब्याज पड़ जाता है। आपने इतने फॉर्म्स बनाये हैं कि उनको वे फॉर्म्स पटवारियों से भराने पड़ते हैं। उदयपुर जिले में आपने दूर दूर बैंक के ओफिस रखे थे और जितना वहां पैसा लोगों का लगता है उसको देखें और खर्च को जोड़ा

(श्री विजयसिंह झाला)

जाए तो २ प्रतिशत ब्याज पड़ जाता है। तो मै समझता हूं·········

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

···कि आपकी एजेन्सीज़ हैं उसमें भी जो प्रोमीजर है, गांवों में किसानों को कर्जा देने का उसमें सुधार करना पड़ेगा । यह मेरा पहला सुझाव है ।

दूसरी बात यह है कि कोऑपरेटिव बैंक पंचायत हैड क्वार्टर पर कायम करना होगा और फॉर्म को तस्दीक कराने का है वह तहसीलदार और पटवारियों को अधिकार दिया है वह उनसे लेकर पंचायतो को देना होगा । यदि आप ऐसा करेंगे तो जिन लोगों पर कर्जा है उनको सहूलियतें मिल सकती हैं अन्यथा नहीं । इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि कहीं राजस्थान की जनता आपको यह न कह दे कि एक न्याय कुशल और कर्मठ उप-मन्त्री ने विधेयक रखा और उसे पारित कराया, उसमें बहुत कमियें रह गईं, उनको सुधारने की आवश्यकता थी । इसलिए मैं आपके सामने यह प्रस्ताव करता हूं कि आपको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय ।

श्री जयलाल (डग) : सभापति महोदय, यह जो राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६३ आज सदन में रखा गया है, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि वह एक प्रकार से जनता की आजादी पर बड़ा भारी सुधार कर रहे हैं। लेकिन एक कहावत है, "लंगड़ी बहू बुआरी निकाले और ६ जने मिल कर पकड़े।" आखिर हमारी सरकार विकास की योजनायें बनाती है, जनता को हर प्रकार की सहूलियतें देती है, मगर उसमे जनता को कोई न्याय नहीं मिलता है तो मैं यह कहूंगा कि इस सरकार को इस प्रजातंत्र के युग में राजनीति को छोड़ कर अलग हो जाना चाहिए ।

सभापति महोदय, जो इस बिल में ऐसा प्रावधान रखा गया है कि जो कोई पैसे का लेन-देन करेगा उसको लाइसेन्स लेना पड़ेगा और लाइसेन्स द्वारा ही पैसे का लेन-देन कर सकेगा । सभापति महोदय, इसका मैं स्वागत करता हूं कि लाइसेंस द्वारा ही लेन-देन कर सकता है, पैसा दे सकता है, पर इससे गरीब जनता को कैसे फायदा मिलेगा, गरीब जनता की आवश्यकता कैसे पूरी होगी, गरीब जनता के सारे कार्य कैसे चलेंगे ? किसी बोहरे से जो कर्ज मिलता था, जो पैसा मिलता था और गरीब उन बोहरों से पैसा लेकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर पाते, पर सरकार ने इस पर भी कंट्रोल कर लिया ।

सभापति महोदय, इसमें ऐसा प्रावधान रखा गया है कि जो कोई पैसा लेगा और जो साहूकार पैसा देगा वह पैसा देने वाला साहूकार ६ महीने या १२ महीने में एक हिसाब की कॉपी कर्ज लेने वाले के सामने पेश करेगा और उस कॉपी की फीस भी सरकार ने लगाई होगी । जनता इस प्रकार के कानूनों से, न्याय से, कर्ज से मुक्त नहीं हो सकती क्योंकि आज देश के अन्दर बहुत सी योजनायें लागू हैं,सहकारी समितियों के द्वारा जनता को पैसा मिलता है, कोओपरेटिव सोसाइटियों के द्वारा जनता को पैसा मिलता है, भूमि बैंकों द्वारा पैसा मिलता है ; पर सभापति महोदय, यह पैसा देने की व्यवस्था लोगों के लिए लाभ देने वाली नहीं है । सहकारी समितियां पैसा देती हैं जो जमीन की नकल, नम्बर मंगाकर नंबरों को दर्ज करके उस जमीन के अनुसार पैसा देती हैं, जमीन वालों को पैसा देती हैं । सभा-

(श्री जयलाल)

पति महोदय मैं आपसे अर्ज करूंगा कि उस गरीब जनता को,उस भुखमरी जनता को, जो देश मे भूखी नंगी जनता है, वह सरकार से प्रार्थना करती है, सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखती हैं कि देश की भुखमरी, गरीबी देश से बाहर हो, पर सरकार उसकी आवाज न सुन कर उन पर ऐसे नियंत्रण लागू करना चाहती है, ऐसे कानून लागू करना चाहती है कि जिससे कानूनों की हथकड़ियों-बेड़ियों में जनता को जकड़ दिया जाय ।

सभापति महोदय, इस बिल में ऐसा प्रावधान रखा गया है कि साहूकार लोग जो पैसा देंगे,पैसा देकर हर तीसरे महीने या छठे महीने में हिसाब की कॉपी बनाकर कर्जदार को देंगे;लेकिन सभापति महोदय,जो देहात की अनपढ़ जनता होती है वह कभी भी पढ़ाई लिखाई को नहीं जानती, कोई अक्षर तक नही जानती, हिसाब का नाम नहीं जानती, उसके लिए हिसाब करना कैसा होता है, यह नहीं जानती,इसलिए इन पैसों के लेन-देन का हिसाब-किताब पंचायत के हैड क्वार्टर पर होना चाहिये, सरपंच या न्याय सरपंच के समक्ष होगा तो उसमें गरीबों को सहूलियत मिल सकती है, वरना गरीबों को किसी प्रकार का फायदा इस कानून के द्वारा नहीं मिल सकता । सभापति महोदय, इसमें जो पैसा देने के नियम बनाये गये हैं, पर गरीब जनता के लिए नहीं बनाये गये हैं । जो गरीब जनता मेहनत मजदूरी करती है किस प्रकार वह गुजर करेगी और अपने कुटुम्ब का पालन-पोषण करेगी, उस गरीब जनता के लिए प्रावधान होना चाहिए जिसके पास जमीन,घर, बैल और सोने चांदी के जेवर नही हैं, उस गरीब जनता के लिये इस–जिसके कारण जमीन घर, बैल और सोने-चांदी के जेवर नहीं हैं, उस गरीब जनता के लिये इस बिल में प्रावधान होना चाहिए जिससे कि उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो, उनको समय पर पैसा मिल सके, सहकारी समितियों द्वारा, भूमि बैंकों के द्वारा मिले, कोआपरेटिव सोसाइटियों के द्वारा मिले, किसी प्रकार मिले, पर उनको समय पर पैसा मिल कर उन गरीबों का काम अच्छी तरह से चलना चाहिए ।

मैं सदन का ज्यादा समय न लेकर यही निवेदन करूंगा कि इनके हिसाब का कार्यक्रम पंचायत के हैड क्वार्टर पर हो तभी गरीबों के साथ न्याय हो सकता है, गरीबों को राहत मिल सकती है वर्ना पंचायत हैड क्वार्टर के अलावा और जगह हिसाब-किताब होगा तो अनपढ़ लोग उस हिसाब किताब में कुछ भी समझने वाले नहीं हैं ।

बस मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री सभापति : श्री दयाचन्द ।

(अनुपस्थिति)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) : माननीय सभापति महोदय, आज जो साहूकार विधेयक सिलेक्ट कमेटी के द्वारा पेश हुआ है उसमें मेरी पहली आपत्ति यह है कि जो साहूकार या कोई लेन-देन करने वाला व्यक्ति लेन-देन करेगा वह पहले लाइसेंस लेकर लेन-देन करेगा । सभापति महोदय, लाइसेंस लेने में बड़ी-बड़ी आपत्तियां पेश होंगी । सहायक रजिस्ट्रार लाइसेंस के लिए मुकर्रर किया है वहां लोगों को जाना पड़ेगा, इस बिल में जो फीस रखी गई है वह तो ठीक है पर उस

(श्री लक्ष्मीचन्द)

फीस के अलावा आपके कर्मचारी और भी फीस लेते हैं और वे फीस लेकर लाइसेंस देते हैं। इसलिए लाइसेंस से मुझे आपत्ति है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और लोगों को वहां पड़े रहना पड़ेगा और जब तक वे दूसरी फीस नहीं चुका देंगे तब तक उनको लाइसेंस नहीं देंगे।

दूसरी बात यह है कि लाइसेंस से छोटे लेन-देन करने वाले हैं वे इससे रुक जायेंगे क्योंकि आज-कल ८० परसेंट लोग साहूकारों से लैन-दैन करते हैं, छोटे साहूकारों से कर्ज लेते हैं, छोटे साहूकारों से कर्ज लेकर काम चलाते हैं, वे लाग लाइसेंस लेने जायेंगे तो बड़ी दिक्कत पड़ेगी। लाइसेंस में जो पैसा लगता है वह पैसा भी वे लोग जो उनसे ऋण लेने वाले हैं, उनसे ही वसूल करेंगे।

और भी बहुत सी बातें रखी गई हैं। साहूकार ऋण देगा और ऋण लेने वाले के हस्ताक्षर करायेगा। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि महाजन न मालूम कितना पैसा लिखेगा और गरीब अनपढ़ से उस पर दस्तखत करा लेगा, क्योंकि वह पढ़ा-लिखा तो होता नहीं है।

इसलिए इन सब बातों को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

श्री सभापति : श्री जोधसिंह।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : सभापति महोदय, जो मनी-लैंडिंग बिल की रिपोर्ट सिलेक्ट कमेटी ने यहां भेजी है और इसके लिए नियम बनाये हैं उनका विरोध करता हूं। पर जो बिल यहां सरकार ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं क्योंकि आज तक जनता इन बड़े-बड़े आदमियों से पिसती चली आ रही है, गरीब आदमी इन लोगों से कर्जा लेते हैं इसके लिए सरकार ने बिल बनाया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। पर बिल में कई खामियां हैं जिनसे हमारे नित्य प्रति के कार्य हैं जो कर्ज के द्वारा पूरे किये जाते हैं, किसानों के प्रतिदिन के कार्य चलते हैं, उनमें बाधा पड़ेगी। अगर गांव में किसी व्यक्ति को ५) रुपये की आवश्यकता पड़े, गांव में किसी के बच्चा पैदा हुआ, किसी के घर से विद्यार्थी पढ़ने जाता है तो कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए पड़ोसी की, मित्र की सहायता लेनी पड़ती है। पर जब जनता ने सुना कि सरकार ने इस प्रकार का कानून पास कर दिया है तो जनता का विश्वास एक दूसरे के ऊपर से उठ जायगा। वह सोचेगा कि क्या मैं इस व्यक्ति को पहले दूंगा तो वापिस वह मुझे देगा या नहीं देगा ? नहीं देगा तो मैं दावा कर सकूंगा या नहीं ? मेरे पास लाइसेन्स है या नहीं ? इसमें इसका प्रावधान नहीं किया गया है। इस प्रकार के छोटे-छोटे प्रावधान इसमें रखना चाहिये।

गांव में विडोज होती है, मिलीटरी का कोई रिटायर्ड आदमी है, या कोई वृद्ध आदमी है, सौ-पचास रुपया देकर वह अपना जीवन-निर्वाह करना चाहता है, बिना लाइसेन्स के पांच सौ रुपया तक वह देकर अपना जीवन-निर्वाह कर सके, इस प्रकार की इसमें छूट होनी चाहिये जिससे वे लोग इस व्यापार से अपना पेट भर सकें।

मैं ऐसे इलाके से आया हूं जहां कि भील लोग रहते हैं, पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं। उनके जीवन उपार्जन की बड़ी समस्या है। सुबह का यदि उनके पास खाने को है तो

(श्री जोधसिंह चौहान)

शाम को उनके पास खाने को कुछ नहीं है। वहां के लोगों को सौ-सौ रुपये, पांच-पांच सौ रुपये और एक-एक रुपये तक के लिए गांव के साहूकार पर निर्भर रहना पड़ता है और वे ही लोग उन लोगों की मदद करते है। जिनके पास पैसा होता है, बड़े भाई है अपने छोटे भाई को या दूसरों को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए सरकार को चाहिये कि इन छोटी-छोटी बातों के लिए लाइसेन्स नहीं रखना चाहिये। लाइसेन्स दिया जावेगा तो भी खास क्षेत्र में दिया जायेगा, ऐसा इसमें प्रावधान है। मेरा निवेदन है कि सारे राजस्थान में लाइसेन्स दिये जायं। साथ ही साल भर के लिए दिये जायेंगे, इसके स्थान पर उनको लाइसेन्स लम्बे अर्से के लिए दिये जायं। सरकारी रकम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। सरकार ने जो प्रावधान रखा है लाइसेन्स का उससे यह पता चलता है कि सरकार कब्जा रखना चाहती है। जो बड़े आदमी होंगे, पैसे वाले होंगे, वे लाइसेन्स ले लेंगे। जैसे उदयपुर डिविजन में दो-चार आदमी होंगे उनसे कांग्रेस को आसानी से चन्दा मिल जावेगा और वे हम कहेंगे वैसा ही करेंगे, इस प्रकार की मनोवृत्ति इसमें रखना उचित नहीं है। इस प्रकार का इस दृष्टि से प्रावधान रखना उचित नहीं है। रजिस्ट्रार जो जुर्माना करेगा उसकी सुनवाई आगे नहीं होगी। मेरा सुझाव है कि रजिस्ट्रार जो भी निर्णय दे उसकी सुनवाई हाई-कोर्ट में होनी चाहिए।

साथ ही मैं सरकार से निवेदन करूंगा। कि सरकार ने जिस प्रकार जुर्माना रखा है इसकी आवश्यकता नहीं है। मान लीजिये कोई मनी लैन्डर आया और सरकार ने कागज मंगाये, वह पेश नहीं करता है तो ५००) रु० जुर्माना कर सकते हैं, यदि एक दिन भी न लाये। इस प्रकार का प्रावधान रखना शोभा नहीं देता। मान लीजिये लाइसेन्स नहीं बन पाया तो उतनी बड़ी रकम रखने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिये कोई पाप करता है, उसको इस प्रकार को सजा मिलती है, उसके बाद उसको लाइसेन्स नही दिया जावेगा। जिस प्रकार दूसरे को, मिनिस्टर को अपना जीवन–निर्वाह करने का हक है उसको भी हक होना चाहिये। वह मनी लैंडर के बिल के अन्तर्गत लाइसेन्स लेकर व्यापार करे। इस प्रकार का प्रावधान करना चाहिए। एक साहूकार बहुत बेईमानी करता है तो उसको सजा मिल जाती है उसके पाप की, मान लीजिए बदमाश आदमी है तो उसको सजा मिलनी चाहिये। लेकिन जो वास्तविक छूट होनी चाहिये वह इसमें रखिये।

गांव के लिए कोई प्रोवीजन नहीं है। खेत के लिए पैसों की जरूरत होती हैं तो कोआॅपरेटिव सोसाइटी देती है और जो देती है उससे किसान का विशेष लाभ नहीं होता है। सरकार ने इस बिल में बाहर के देशों की नकल की है। उन देशों की स्थिति यह है कि वहां पर हर गांव के अन्दर पोस्ट ऑफिस हैं, वहां जाकर लोग जमा करा सकते हैं, जरूरत पड़े तब ले सकते हैं। वहां पर बैंकिंग सिस्टम इतना अच्छा है कि उनसे उनको पैसा मिल सकता है और हर एक आदमी काम चला सकता है। इसलिये इस बिल को जल्दी में पास नहीं करना चाहिये। जनता की आवाज सुननी चाहिये।

आज भी कई माननीय सदस्यों ने वैसे ही दस्तखत किये हैं, इससे पता चलता है कि वे खुद संतुष्ट नहीं है। इसमें ११ माननीय सदस्य थे जिन्होंने नोट ऑफ डिसेन्ट दिया था लेकिन उनको वापिस करवा लिया। इस प्रकार

(श्री जोधसिंह चौहान)

जल्दी में बिल पास कर देने में हमारे ग्रामीणों का काफी नुकसान हो जायगा। खास तौर से उनको राय प्रकट करने का मौका देना चाहिए। हम उनके नुमाइन्दे हैं। हम भी इसके विरोध में हैं। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित करना चाहिए जिससे जनता की वास्तविक राय मिल सके और वह राय दे सके।सरकार जिस प्रकार से इस बिल के द्वारा अधिकार करना चाहती है वह उचित नहीं है। मैं सरकार से खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जल्दी में पास न करके जनता की राय ली जाय। अगले सत्र में आ सकता है। इस पर ठंडे दिमाग से सोचना चाहिये, गरम दिमाग से नहीं। नहीं तो नुकसान हो जायगा। यही अन्त में कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित करना चाहिए।

श्री सभापति : श्री चन्द्रसिंह।

श्री चन्द्रसिंह बर्मा (बिलाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, आज मनीलैंडर्स बिल पर वाद-विवाद हो रहा है, उसके संबन्ध में मैं सरकार को आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा कि पहले से ही हमारे राजस्थान की जनता बहुत भारी टैक्सेशन या हर तरह के बोझों से पिस रही है। राजस्थान प्रान्त में,जैसा कि हम सब महसूस करते हैं, हर दूसरे तीसरे साल अकाल की समस्या का सामना करना पड़ता है और अकाल की परिस्थिति में,सम्माननीय सदस्यों को,चाहे इधर बैठने वाले हों,चाहे उधर बैठने वाले हों, उन सब का पूरा अनुभव होते हुए भी, यह बिल आज लाया गया है, उसका मुझे बड़ा खेद है।। अनुभव इस बात का है कि हमारे जितने भी कार्य हैं वे अपनी निजी पूंजी से, अपने पैसे से, अपनी उपार्जित उपज से नहीं चल पाते हैं। हमें एक दूसरे का सहारा और आसरा लेना पड़ता है। वह किसी रूप में भी हो। कहीं हमें ब्याज देना पड़ता है ऐसे व्यक्तियों के पास उसकी ईमानदारी पर, उसकी वफादारी पर डिपोजिट कर देते हैं और उससे काम चला पाते हैं। यह कानून लागू होने पर उस पर बड़ा बन्धन होगा।

ग्रामों को ही क्या लें? राजस्थान की स्थिति को ही लीजिये। राजस्थान में ७५ ८० प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं और अशिक्षित होने के नाते उन्हें, माननीय सभापति महोदय,हर बात की उलझन में फंसना पड़ेगा, कानून की एक एक कड़ी में फंसना पड़ेगा। इसमें बताया गया है कि एक बार कहीं भूल करें तो धारा ३८ में २००) रुपयों का जुर्माना खूब? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या ऋण बिना उसका काम चलता है?कभी सरकार को ऋण नहीं लेना पड़ा? जब सरकार द्वारा ऋण नहीं लेने को इस हाउस में माननीय सदस्यों के द्वारा विरोध या ऐसी बात कही जाती है उस समय सरकार कहती है कि ऋण न ले और टैक्स न लगायें तो काम नहीं चल सकता। ऋण न लेकर भी विकास योजनाओंको संचालित कर सकती हैं। जनरल पब्लिक पर मनीलैंडर्स बिल आज लागू किया जा रहा है, मेरी समझ में इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी और उन लोगों के लिए जो जीवन-यापन के साधन जुटाते हैं उनके लिए बड़ी बाधा होगी।

माननीय सभापति महोदय, हम सब इस बात से परिचित हैं कि लाइसेन्स फीस, रजिस्ट्रेशन फीस आदि का जो खर्चा होगा वह ऋणी पर होगा। ऋणी के लिए जो दर सरकार निर्धारित करेगी उसके अलावा खर्चा होगा वह उस पर और बर्डन होगा।

(श्री चन्द्रसिंह बर्फा)

सभापति महोदय, साहूकारी व्याज पर लीजिए। आज सब जगह पैसा मिलता है। आज इसकी सुव्यवस्था है,छः परसैन्ट से लेकर १२ परसैन्ट तक के व्याज से पैसा मिल जाता है....

श्री रघुनाथ बिशनोई ; ६ पर्सेन्ट व्याज पर कहां मिलता है ?

श्री चन्द्रसिंह बर्फा : आप आठ आना व्याज पर कितना लेना चाहते हैं, लीजिए यह जो बिल लाया गया है वह आज की स्थिति के अन्दर किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं है। सहकारी समितियों को बड़ी सुविधाएं दी हैं जब कि सरकार एक ओर नारा लगा रही है कि हर कुटुम्ब के हर परिवार के मुखिया को सहकारी समिति का सदस्य होना चाहिए। जब वह सहकारी समिति का सदस्य बन जायगा तो फिर इतनी जल्दी इस कानून को लाने की क्या आवश्यकता है ? आज कई विधवायें अपने पैसे से व्याज कमाती हैं और अपना पेट पालती हैं। अब इस बिल के बाद विधवाओं को और दूसरे भाइयों को जाकर सरकार के चरण छूने पड़ेंगे, उसके लिए लाइसेन्स लेना पड़ेगा। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। यह विधेयक कुछ अपने बौहरों को बचाने के लिए, साहूकारों को बचाने के लिए लाया गया है। मै समझता हूं, अगर सरकार यह कह दे कि वह बिना टैक्स और बिना दूसरों से व्याज पर पैसे लिए अपना काम चला सकती हैं तो जनता भी चला सकती है। इस बात को सरकार कर दे तो जनता उसका अनुसरण करने के लिए तैयार रहेगी। जिस प्रकार बिना टैक्सेशन और व्याज पर पैसा लिए सरकार अपना काम नहीं चला सकती उसी तरह ऋणी पर प्रतिबन्ध लागू करना मैं अनुचित समझता हूं और इसका घोर विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिए तीन महीने के लिये प्रसारित किया जाय।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आदरणीय सभापति महोदय, सदन के समक्ष आज मनी लैन्डर्स बिल जो प्रवर समिति द्वारा अनुमोदित आया है उस पर मै अपने विचार रखना चाहता हूं। मै इसके लिये यह कहता हूं कि यह दुबारा प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, लेकिन जो अध-पगले लोग इसमें थे....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उपमंत्री,शिक्षा) On a pointof Order,Sir,this must be expunged from the proceedings It is a reflection on heHonble.Members.

श्री सभापति : Please continue. .

श्री मानसिंह महार : सभापति महोदय, बहुत दुख उनको हुआ लेकिन हमको भी उनसे ज्यादा दुख हुआ। जो उछल उछल कर बोलते हैं उनको शर्म आनी चाहिये।

चेयरमैन महोदय,उछल उछल कर बोलने के लिये आते हैं सौ बार कहता हूं वाजिब बात कहता हूं। सभापति महोदय, सेठ प्रतापसिंह ने गवर्नमेन्ट होस्टल के २५ नम्बर के कमरे के बाहर मुझ से कहा था कि मानसिंह महार यह शर्म की बात है कि राधाकिशन गोयल मेरे नोट ऑफ डिसेन्ट पर दस्तखत नहीं करता। उस वक्त आप × जो उधर से बोल रहे हैं....

श्री निरन्जननाथ आचार्य : On a point of privilege, Sir, सभापति महोदय

× अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

Page No.78

सदन के डेकोरम के नाते मैं बड़ी ग्रदब से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राप × यह शब्द जो यूज़ किये गये यह डेकोरम के विपरीत हैं। × रहने का कोई प्रश्न नहीं ये शब्द डेकोरम के विपरीत हैं जिस प्रकार को ग्रध पगले मेम्बर उसमें थे। माननीय सभापति, माननीय सदस्य पर नियन्त्रण होना चाहिये, ऐसा मेरा ग्रापसे निवेदन है।

श्री मानसिंह महार : सभापति महोदय, मैं बहुत नियंत्रण से बोलूंगा।

श्री सभापति : ग्रब ग्राप बिल पर ग्राजाइये, ग्राप बिना वजह ऐसा वातावरण बना रहे हैं जिससे क्षोभ पैदा हो।

श्री मानसिंह महार : मजबूर होकर बनाना पड़ता है। नोट ग्रॉफ डिसेन्ट पर दस्तखत करायें जायं ग्रौर यह कहा जाय कि ग्रापकी पार्टी का ग्रादमी कहां पर गायब है; उस समय मुझे बड़ा दुख हुग्रा कि जब उन्होंने कहा कि हम इसको बहुमत से गिराने जा रहे हैं। सभापति महोदय, यदि यह बहुमत से गिर जाता है तो इसमें गवर्नमेन्ट की बहुत बड़ी हार होती। शायद सरकार को कुर्सियां छोड़नी पड़ती जिन लोगों ने नोट ग्रॉफ डिसेन्ट पर दस्तखत करके काट दिये थे, जब यह मामला माननीय ग्रध्यक्ष के सामने ग्राया उन लोगों के लिये माननीय ग्रध्यक्षजी ने यह कहा कि यह सदन के लिये कलंक है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप–मंत्री, राजस्व) : इस मामले पर उस रोज काफी चर्चा हो चुकी थी।

श्री मानसिंह महार : उसके लिये माननीय सदस्य ने 'ग्रन-साउन्ड' माइन्ड शब्द का प्रयोग किया था।

× ग्रध्यक्ष पीठ के ग्रादेशानुसार निकाले गये।

श्री सभापति : उन्होंने फरमाया था कि मानसिक स्थिरता कम दिखायी देती है कि एक बात तय करने के बाद दूसरी बात कह देते हैं।

श्री मानसिंह महार : मुझे याद है ग्रन-साउन्ड माइन्ड यूज़ किया था।

श्री सभापति : I remember it very well.

श्री मानसिंह महार : दुबारा यदि करते हैं तो ग्रन-साउन्ड माइन्ड होगा।

श्री सभापति : एक माननीय सदस्य के प्रश्न करने पर ग्रध्यक्ष महोदय ने कहा था कि यदि इस तरह की गलती दो–तीन बार हो जाय तो ऐसा समझा जायगा।

श्री मानसिंह महार : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था इस बिल कोई जो बुनियाद है वह खोखली है। क्योंकि कांग्रेस की तरफ बैठने वाले सदस्य भी इसका खराब बताते हैं ग्रौर जो सिलेक्ट कमेटी ने रिपोर्ट दी है वह बिलकुल गलत है, लेकिन यह उप-मंत्री महोदय की जिद्द है। हम जानते हैं कि वे नये नये कुर्सियों पर बैठे हैं, ठोकरें खाने का मौका नहीं ग्राया है, ठोकरें खाने के बाद बहुत कुछ सीख जायेंगे जब तक वे ठोकरें नहीं खायेंगे दामोदरजी की तरह....

श्री सभापति : Now better you close all that.

To the Bill please.

श्री मानसिंह महार : I want to convince the House that this Bill

(श्री मानसिंह महार)

should be thrown out. Unless I don't express myself that this Bill should be sent for public opinion, I won't sit because it is a rotten piece of legislation. These people will not listen to me, Sir. So I have to say that, Sir...

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : Please to the Bill.

श्री मानसिंह महार : The Bill be circulated to now the public opinion. Hence I am trying to convince those people who are in the majority and don't want to listen.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Please address on the provisions of the Bill.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : He has not seen that.

श्री मानसिंह महार : अब मैं बिल के प्रोवीजन्स पर ही निवेदन कर रहा हूं। इस बिल में जो-तीन नंबर के क्लॉजेज़ हैं उनमें यह दिया गया है कि लाइसेन्स हर साल नया कराना होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लाइसेन्स आप हर साल के लिये न रक्खें। बेचारे जो गरीब हैं........

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : तीन नम्बर की धारा तो अपोइन्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रार्स, डिप्टी रजिस्ट्रार्स के बारे में है।

श्री मानसिंह महार : मैं लाइसेन्स की धारा के बारे में कह रहा हूं। अब तो कल्चरल एक्टीवीटिज के लीडर हंसने लगे हैं। कल्चर क्या होती है, यह तो मैं समझता हूं....

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्र शिक्षा) : नजाकत तो आप मे है।

श्री मानसिंह महार : इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि इस बिल का जो छठा क्लॉज है उसमें लाइसेन्स का प्रावधान किया है कि हर साल में आये कि हुजूर, अन्नदाता हमारा लाइसेन्स रजिस्टर कर लीजिये। इस संबन्ध में मेरी मांग यह है कि इस तरह की जो यह बिल का क्लॉज है उसमें परिवर्तन होना चाहिये। एक बार रजिस्टर करा दे, फीस आप चाहें तो ५ के बदले २० कर दें। चेयरमेन महोदय, एक टोपीदार बन्दूक के लाइसेन्स बनाने में जो आठ आना फीस है उसके लिये आने-जाने में दस रुपया लग जाता है।

(६ म. प.)

तो इनकी जगह अगर कोई योग्य सरकार होती, कोई ऐसी सरकार होती जिसमें काबिल आदमी होते तो मैं कोई ऐतराज नहीं करता, अगर आप एक साल के बजाय छमाही तिमाही भी रिन्यू करने की बात रख देते। मगर यह सरकार तो ऐसी अयोग्य है, मैं फिर कहूंगा, अयोग्य सरकार है, जरा ऐतराज कीजिये न मेरे इस कथन पर, मैं आपकी सरकार को बिलकुल अयोग्य मानता हूं, नाकाबिल मानता हूं। आपका अपने अफसरों पर कोई कन्ट्रोल नहीं है, तो ऐसी सरकार और ऐसे अफसरों वाली सरकार के जमाने में हर साल रिन्यू आने की बात रखना, यह उनके लिये एक अभिशाप होगा। मैं इसका कठोर विरोध करता हूं। अगर क्लॉज ६ आपको रखनी ही है तो आप उसे ऐसा बना दें कि वह लाइसेन्स रिन्यू कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसे लाइफ टाइम के लिये बना दें। आप कई चीजों में यह करते आये हैं।

Page No.80

श्री रघुनाथ बिश्नोई : लाइफ टाइम लाइसेन्स कौनसी चीज का है ?

श्री मानसिंह महार : आपको बीस वर्ष और उम्र भर के लिये करने में परेशानी क्या है ? आप फीस अधिक ले लीजिये, पर बार बार रिन्युअल कराने में इन अफसरों की दया पर इनको मत फेंकिये। इन अफसरों के चंगुल से इनको बचाइये। खेतों का पर्चा आपको बीस वर्ष का एक साथ ही मिल जाता है तो वह बीस वर्ष का क्यों एक बार ही दे देते हैं।

अगर यह सरकार ईमानदारी के साथ चलना चाहती है तो करे हिम्मत। वकीलों की फीस पर भी सीलिंग लगावें। दूसरी चीज, वकीलों के धन्धे पर लाइसेन्स की सालाना फीस लगावें।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे विषयान्तर न हों।

श्री मानसिंह महार : चैयरमेन महोदय, मुझे डिस्टर्ब करते हैं वे लोग।

तो चैयरमैन महोदय, उप–मंत्रीजी आज भले ही वकील बन गये हों, पर पुराने जमाने में उनके बुजुर्गों ने भी बहुत चौरगत की होगी। दुर्भाग्य यह है कि उधर बैठने वाले वकालत के पेशे की पैरवी करते हैं, उसे डिफेन्ड करते हैं, और सब पेशों को वे गैरत की दृष्टि से देखते हैं। मैं यह दावे से कहता हूं कि यह दुर्भाग्य की बात है। यह कोई ऐसा वैसा विधेयक नहीं है। यह गांवों की इकॉनोमी को डिस्टर्ब करने वाला है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपका किसी वकील से पाला पड़ गया दिखता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कौनसी इकॉनोमी को डिस्टर्ब करने वाले प्रोवीजन्स इसमें है ?

श्री मानसिंह महार : बताता हूं, चैयरमैन महोदय। डींग हांकते थे कि आप कोऑपरेटिव बैंक खोल देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह वकीलों का जिक्र कौनसी धारा में है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसे पढ़ा ही नहीं है इन्होंने।

श्री मानसिंह महार : आपसे अधिक जानता हूं। मैं जानता हूं, आप निरक्षर भट्टाचार्य से भी गये–बीते हैं।

यह विधेयक सदन में लाया गया इसका मूल कारण यह है कि यह सरकार किसानों को गांव के लोगों को क्या देने का वायदा करती थी उसमें फेल हो गई। यह कहते थे हम कोऑपरेटिव बैंक इतने खोल देंगे, को–ऑपरेटिव सोसाइटियां इतनी खोल देंगे कि जिनसे किसानों को इतना ऋण मिलेगा कि वे साहूकारों के पंजे से बिल्कुल मुक्त हो जावेंगे। पर ये कोऑपरेटिव बैंक और सोसाइटियां कोई किसानों के लिये थोड़ी ही खोली जाती हैं, ये तो अपने अपनों के लिये खोली जाती हैं, चैयरमैन महोदय। साहूकार तो व्याज जरा करड़ा लेता है पर गरीब को पैसा देता है; पर हमारी सरकार की ये संस्थाएं तो उन गरीबों को कानी कौड़ी भी नहीं देतीं, ये तो ऐसी मोटी मोटी मुर्गे–मुर्गियों को ऋण देती है जो सरकार के मुंह लगे होते हैं।

श्री सभापति : ग्राप ऐसे एक्सप्रेशन इस्तेमाल न करें कि जिससे हाउस का डेकोरम लो होता हो ।

श्री मानसिंह महार : मैं कतई लो (low) नहीं करना चाहता हाउस का डेकोरम, सभापति महदोय ।

मैं निवेदन करूं कि मैं बहुत ही ग्रहं बात मोटी ग्रक्ल में घुसाता हूं । मोटी बात इसलिए कहनी पड़ती है कि मोटी ग्रक्ल में, ग्रौर मोटी ग्रक्ल मेरी भी है तो, मोटी ग्रक्ल वाला मोटी ग्रक्ल वाले को यह बताना चाहता हूं कि इस विधेयक को जनमत के लिये प्रसारित करें ।

वे इस विधेयक को ऐसा समझते हैं कि हम राजस्थान में मानों एक क्रान्तिकारी परिवर्तन ला रहे हैं । पर कैसा यह क्रान्तिकारी है यह तो हम सब जानते हैं । ग्राज कोग्रॉपरेटिव सोसाइटियों की वसूली होती है तो लोग ये किसानों की १० रुपया सैकड़ा कांटा काटकर किसानों को देते हैं । ग्राप किसी भी गांव में देख लीजिये । ग्रब जब वह इस तरह से दिया हुग्रा पैसा वसूल करती है तो एक साथ सारे गांव से वसूल करती है । उनकी तारीखें फिक्स्ड होती है । तो जब किसानों के साथ पैसा होता नहीं तब कहां से फिक्स्ड डेट पर दें, पर मजबूरन वे लोगों के पास जाते हैं ग्रौर दस दस रुपया काटे का देकर उन कोग्रॉपरेटिव सोसाइटियों का पैसा चुकाते हैं । ग्रौर इस तरह वे ग्रौर बोहरों के चंगुल में जाते हैं । पर ग्रब क्या होगा, जब कि ग्राप बोहरों ग्रौर साहूकारों पर भी रोक लगा देंगे तो ।

मैं पिछले शनिवार की बात निवेदन करूं । मेरे गांव के चार ग्रादमी बैल खरीदने ग्राये । उन्होंने बज बैल खरीदे तो ५००) रु० की रकम कम पड़ गई । वे मेरे हाउस पर मेरे पास ग्राये । पिछले शनिवार की दस बजे की बात बताता हूं । वे बोले, हमने दो बैल तो खरीद लिये पर ५००) रु० कम पड़ गये, ग्राप प्रोमिसरी नोट लिखवा लीजिये; पर हमें पांच सौ रुपये दीजिये, वर्ना हमारे बैल चले जावेंगे । मैंने कहा मैं तो बोरगत नहीं करता ।

एक माननीय सदस्य : पहले करते थे ।

श्री मानसिंह महार : पहले भी नहीं करता था । बिलकुल सही बताता हूं । मैंने कहा, रुपया चार दिन में वापिस दे देना । कहा, नहीं मिलेगा चार दिन में वापस । तीन महीने में मिलेगा । मैंने कहा, मुझे बैंक से लेना है, ग्राज ड्रॉ करके दूंगा । मुझे व्याज लगेगा । कहा, ग्राप कुछ भी करो पर हमारी मदद करो । रुपया ग्रापका तीन महीने में दिया जावेगा ग्रौर हम व्याज देंगे उसका । उस समय यह विधेयक नहीं था । मैंने सोचा रुपये देना है । इससे बैंक में थोड़ा इन्टरेस्ट मिलता था उसको फॉरगो करूंगा, मैंने किया ग्रौर उनका काम निकाल दिया ।

पर ग्रब जब यह काला सांप (विधेयक) ग्रा जावेगा तो मैं ग्रपना पिंड छुड़ाने के लिये कोई कैसा भी जरूरतमन्द भी हुग्रा तो भी नहीं दूंगा । मैं, चेयरमेन महोदय, यह वाकया बताता हूं, सही बात कहता हूं । मैं गांव वालों की मुश्किलें बताता हूं । मुश्किलें सबको ग्राती हैं । पर यहां बैठने के बाद २५०) रु. मासिक तो वेतन मिल जाता है, ग्रौर १५) रुपये रोज का ग्रलाउन्स मिलता है तो हम तो समझते हैं कि ग्रब साहूकारों की जरूरत क्या है ? हमें यह देखना है कि साहू-

(श्री मानसिंह महार)

कारों की जरूरत वाकई है क्या ? हमारी सरकार इतना रुपया कोग्रॉपरेटिव संस्थाओं को दे दे कि जितना जिसकी जरूरत हो मिल जाया करे, किसी को इसमें कोई दिक्कत न आवे । तो कोई जरूरत नहीं है बोहरे की । मैं सरकार को, उनके मन्त्रियों को इसके लिये माला पहनाऊंगा । कहूंगा कि आपका भगवान भला करे, आपने साहूकारों से पिंड छुड़ाया ।

पर जब किसान को जरूरत पड़ेगी, अपनी लड़की की शादी करना चाहेगा, गरीब होगा उसको दो हजार की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे डर है ये सोसाइटियां नहीं देंगी उसे । उसका काम साहूकार ही पूरा करेगा । पर मैं यह दावे से कहता हूं कि यह विधेयक पारित हो जावेगा तो कोई नहीं देगा । आज हरेक गांव में बीस–पच्चीस आदमी मनी–लैंडिंग का काम करने वाले मिल जायेंगे पर जब यह लाइसेन्स का चक्कर चलेगा और दूसरी बातों का चक्कर आवेगा कि लेजर रखो, केश बुक रखो, ऑडिटिंग कराओ, और कराओ । आपके पांच पांच सो रुपये पाने वाले, यू. डी. सी. और दूसरे आंकड़ों के हिसाब से चलते हैं ।

मैं आपसे सही निवेदन करता हूं, चेयरमेन महोदय, और यह मेरा सौभाग्य है कि आप एक पंचायत के सरपंच हैं । आप जानते हैं कि पंचायतों में केश बुक और लेजर रखने में सरपंचों को कितनी दिक्कतें आती हैं । आप इस ओर भी ध्यान दीजिए । सरपंचों को जब ऐसी दिक्कतें आती हैं तो गांव का एक छोटा सा आदमी यह बिजनेस करता है और कभी हजार या पन्द्रह सौ रुपये देता है तो वह लेजर रखे, केश बुक रखे और आपको अकाउन्ट्स छमाही सब्मिट करे । छमाही सब्मिट करने की बात है, यह भी नहीं कि सालाना या दो सालाना अकाउन्ट्स सब्मिट कर दे । तो मैं आपको निवेदन करता हूं कि कितनी डिफिकल्टीज़ होंगी । मेरा कोई सरकार के ऊपर आक्षेप नहीं है, लेकिन इन कुर्सियों पर बैठ कर जब लोग इम्प्रेक्टीकल हो जाते हैं, जो जनता चुनकर भेजती है, उसके दुःखदर्द को समझना भूल जाते हैं । मैं सही कहता हूं, मुझे दुःख जब होता है कि जनता के दुःखदर्द को लोग भूल जाते हैं । लेकिन यह सब क्यों होता है, समझ में नहीं आता, माननीय सभापति महोदय । लोग मदान्ध हो जाते हैं, कुर्सियों पर बैठने के बाद जनता की तरफ से आंखें बन्द हो जाती हैं, जब कहना पड़ता हैं । आप तो हमारे मित्र हैं । आप समझते हैं कि मित्रों को कहने से हम खुश होते हैं; नहीं, हमें दुःख होता है जब कहना पड़ता है । तो मेरा उन भाइयों से जो यह समझते हैं कि किसानों के लिए हम बड़ा भारी क्रांतिकारी कदम ला रहे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि जो इसमें प्रोवीज़न्स रखे गये हैं वे बहुत घातक हैं । इसका नतीजा क्या होगा उस पर जाइये । मैं आपसे सही कहता हूं । अगर आज गांवों के अन्दर दस-पन्द्रह मनीलेन्डर्स हैं तो आपके इस कानून के पास हो जाने के बाद वह १५ के बजाय एक–दो ही मनीलेन्डर्स रह जायेंगे और वह आपके इस एक्ट की मूल भावना को कैसे नष्ट करेंगे, वह भी मैं आपको बता दूं । उस मूल भावना को नष्ट इस तरह करेंगे कि मैं १००) रुपये मांगने जाऊंगा उप–मंत्रीजी से, ऐसा मान लो, तो उप–मंत्री जी कहेंगे कि....

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप–मंत्री, राजस्व) **एवं श्री निरंजननाथ आचार्य**

(उप-मंत्री महोदय)

(उप-मंत्री, शिक्षा) : आपका तो कोई भरोसा ही नहीं है ।

श्री सभापति : You ignore that comment. You continue your speech.

श्री मानसिंह महार : तो उप-मन्त्रीजी कहेंगे कि २००) रु० का खाता लिख दो तब १००) रु० दूंगा । तो जो डबल इन्टरेस्ट वाली बात है वह वहीं खत्म हो जायेगी । मैं तो झक मराऊंगा और उनके पास जाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है और कोई संस्था भी नहीं रही इसलिए २००) रु० का खाता लिखायेंगे । आज तक तो १००) रु० का खाता लिखकर देते थे और ६५) रु० मिलते थे लेकिन, इस कानून के बनने के बाद २०० का खाता लिखना पड़ेगा । यह सही कह रहा हूं । यह हमारी सरकार की बड़ी भारी भूल होगी । अभी कहा जायेगा कि यह कानून बम्बई में हैं, उड़ीसा में है, आंध्र में है, दो-तीन प्रांतों की मिसाल देंगे, लेकिन यह मालूम नहीं है कि दक्षिण भारत में शिक्षा हमारे यहां से कहीं अधिक है और दक्षिण में शिक्षा के आंकड़े बहुत अधिक हैं । मुझे मालूम है, आज गरीब किसान जो लेन-देन का काम करते हैं वह कोई ५०,०००)रु. की तो बौरहगत करते नहीं हैं । ऐसी बड़ी बोरगत करने वाले हैं उनका मैं कट्टर विरोधी हूं और मैं कहता हूं कि उनको आप जरूर रजिस्टर कीजिए, लेकिन एक आदमी अपनी गाढ़ी कमाई का हजार रुपया किसी को उधार दे देता है और रुपये सैंकड़े का व्याज मान भी लें तो १२०) रुपया सालभर में आमदनी होती है । १२० रुपये में वे ५ बार जयपुर आये और रजिस्ट्रार साहब के यहां रजिट्रेशन कराये; यह कराये वह कराये तो, चेयरमेन महोदय, आप सोचिये कि उसको कितनी दिक्कतें हैं । इसके अन्दर आपको एक लिमिट रखनी चाहिए, १०-२० हजार करदो, लेकिन कुछ भी करदो, कोई न कोई लिमिट रहनी चाहिए कि इससे अधिक कोई मनी-लैंडिंग का काम करेगा तो उसको इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा । इसमें लिखा है कि कोई मनीलैंडर होगा तो वह स्पेसिफाइड एरिया में ही मनी लैंडिंग कर सकता है । मैं उसकी और मिसाल दूंगा माननीय उप-मन्त्री जी के कन्सीडरेशन के लिए और वह यह है कि आपने कर दिया कि हर साल का हम करेंगे, फीस की लालच में, मुझे यह वहम है कि यह करने वाले हैं कि जो भी मनी लैंडर्स हैं वे तहसील में बोरगत कर सकते हैं । या तहसील नहीं तो डिस्ट्रिक्ट कर देंगे । तो मैं उन बोर्डर एरियाज की बात कहूंगा जो कि डिस्ट्रिक्ट के कोने में हैं । जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट से मिलता है वहां की बात सोचिये कि एक मनीलैंडर का गांव दूसरे डिस्ट्रिक्ट से दो मील पर है । अगर डिस्ट्रिक्ट वार भी कर दिया जायेगा तो उसके लिये बहुत दिक्कत हो जायेगी । उसके लिये ही नहीं बल्कि वह आदमी जिनसे मनी-लैंडिंग के करने वालों का काम है, उनके लिए दिक्कत हो जायेगी ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : Just to remind you please.

श्री मानसिंह महार : उसके लिए चेयरमेन महोदय, एक बहुत बड़ा भाषण हो जायेगा । लेने वाले जैसे बोहरों से पैसे लेते थे वह बन्द हो जायेगा । इस ओर भी आप ध्यान दें । आप राजस्थान भर में कर दें तो

(श्री मानसिंह महार)

आपका क्या बिगड़ जायेगा, यह लिमिट क्यों लगाई है आपने। अगर किसी ने लाइसेन्स ले लिया है तो आपको क्या शिकायत है कि वह जयपुर में करे या आमेर में करे या हुरडा में करे। तो इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि यह बहुत गलत चीज है। आप इस ओर भी ध्यान दीजिए। यह जो लिमिट करने की बात आपने की है इसे आपको विद्ड्रॉ करना पड़ेगा। आप लिमिट नहीं लगा सकते। इसके अलावा आपको यह भी लिमिट रखनी पड़ेगी कि इतने रुपये से अधिक का मनी लैंडिंग करें वह लाइसेन्स लें....

एक माननीय सदस्य : आपने कितने दे रखे है ?

श्री मानसिंह महार : मैं तो लाखों में भी आजाऊंगा। आप इसकी चिन्ता मत कीजिए, लेकिन सवाल यह है कि लोगों की दिक्कत और दुखदर्द देखिये यह बहुत सही तथ्य है, चेयरमैन महोदय, कि जो एरिया को लिमिट करते हें यह गलत हैं। दूसरी चीज इस पर यह कह रहा हूं कि इसमें मनीलैंडर की कोई डेफिनिशन ही नहीं। एक बड़ा वाइड स्कोप बना दिया कि किसी एम० एल० ए० को ५० रुपये देकर कहा कि ६ महीने बाद ५१ ले लेंगे तो I come in the category of a money-lender. इतना तो केजुअल मनीलेंडर्स का शब्द रख दिया, लेकिन जो कांग्रेसी मनी–लैंडिंग का काम करेंगे उनके ऊपर तो यह लागू नहीं होगा लेकिन हमारे जैसे विरोधियों के लिए तो फौरन लागू हो जायेगा। तो सभापति महोदय, यह बात मैं कूट कूट कर आपके जरिये भर देना चाहता हूं ....

श्री सभापति : काफी कूट दिया। संक्षेप में कह दीजिए।

श्री मानसिंह महार : अब मैं तीसरे मुद्दे पर आता हूं। एक बात चेयरमेन महोदय, न जाने किस दिमाग की सूझ थी कि अगर लाइसेन्स नहीं बनाये ६ महीने में तो उसको सजा दी जायेगी और जेल में डाल दिया जायेगा। क्योकि मेरे मित्र जेलों में बहुत गये हुए हैं इसलिए उनको जेलों से बहुत प्रेम है। बात यह है कि बात बात में जेलों में उनको ठूंसा गया इसलिये उनको जेलों से बहुत प्रेम हें। आप सीधे-सीधे यह कर दीजिये कि अगर कोई मनी लैंडर लाइसेन्स नहीं बनवाता है और कोर्ट में दावा करता है तो उसका दावा खारिज कर दिया जायेगा वह इतनी बड़ी सजा हो जायेगी कि आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी....

एक माननीय सदस्य : वह तो है ही।

श्री मानसिंह महार : लेकिन फिर साथ में जेल क्यों ? यही तो हम कह रहे हैं कि दोनों चीजें क्यों ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : बदमाशी करेगा तो जेल होगी।

श्री मानसिंह महार : बदमाशी से मेरा मतलब यह है कि वकीलों की जो चालबाजी में आजायेगा उसको जेल होगी।

एक बात का मैं यहां पर बहुत ही तथ्यपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि जो मनी लैंडर्स को रजिस्टर करने की यह बात करें तो ग्राम पंचायतों या न्याय पंचायतों के अ॰ करें। मैं आपको यह सुझाव देता हूं कि ग्राम पंचायतों को नहीं करें तो न्याय पंचायतों को किया जाय।

एक माननीय सदस्य : आप सरपंच हैं शायद ।

श्री मानसिंह महार : मैं यह बताना चाहता हूं कि न्याय पंचायतों को देंगे तो आपका तो पेट भरा हुआ है टैक्सेज़ से और न्याय पंचायतों की आमदनी इससे बढ़ जायगी। मैं निवेदन करूंगा कि ५ या १० रुपये रखेंगे और १०० आदमी भी रजिस्टर्ड होंगे तो १०००) रु० न्याय पंचायतों में आ जायेगा । सरकार तो घणा ही लेती है वह तो बराए महरबानी इस प्रकार की चीज न्याय पंचायतों को दीजिये । रजिस्ट्रेशन की बात भी न्याय पंचायतों पर ही छोड़िये, न्याय पंचायतों में रजिस्ट्रेशन करवाया जाय। इससे डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स पर आना-जाना बन्द हो जायगा । आप लिमिट कर दें, हार्ड एण्ड फास्ट रूल करा दें और उसके तहत न्याय पंचायतों को अधिकार दे दें । इससे लोगों की एक दिक्कत दूर हो जायगी । न्याय पंचायतें लोकल कन्डीशन्स को जानती है, चेयरमैन महोदय, जो ईमानदार आदमी होंगे जो अच्छा बोहरा होगा उसको देंगी; और जो लोगों को परेशान करते होंगे उनको लाइसेन्स दो बार पूछ कर देंगी । उनसे कहेंगी कि अगर इस बात में परिवर्तन कर लोगे तो ठीक हैं वर्ना लाइसेन्स कैन्सिल करने की नौबत आ जायगी ।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

दो मिनट में खत्म करता हूं ।

तो मेरे यह सजेशन्स हैं ।

अब इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करूंगा कि इस समय इस बिल को लेने की जरूरत नहीं है । सरकार को चाहिए था कि पहले अपनी कोऑपरेटिव सोसायटीज़ बनाती और मैं तो एक और अर्ज करूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस बिल के पर्व्यू में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को नहीं लिया है । आप यह मत कीजिये । कोऑपरेटिव सोसायटी में ऐसे ऐसे अन्याय हो रहे हैं । मै आपसे निवेदन करूंगा कि २० किसानों के नाम से अंगूठा चिपका कर धन राशि उठाली और उस कर्जे में से १००) रु० जमा करा दिया और फिर २००) रु० ले लिया और यों ही चलते रहे । जब ५–७ वर्ष हो जाते हैं तब दूर हट जाते हैं सोसाइटी के सेक्रेटरी वगैरह तब जाकर बेचारे किसानों को मालूम होता है कि हमारे नाम पर लोन उठ रहे हैं । तो इस कानून के पर्व्यू में इनको ले लेंगे तो जेल–सजा होगी तो मैं निवेदन करूंगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरीज़ हैं उनको, वर्ना बड़ी दिक्कत आती है । आपके महाल की सोसायटी के सेक्रेटरी ने गबन कर लिया, उसके बारे में मैंने इस सदन में प्रश्न पूछा । प्रश्न पूछने पर ६ महीने बाद सेक्रेटरी को पकड़ा गया । उसकी तफतीश चलते चलते डेढ़ वर्ष बाद इस बेचारे अध्यक्ष ने एक पैसा भी गबन में नहीं खाया, अनपढ़ था, उसको मालूम नहीं था कि नीचे क्या हो रहा है । उसके हथकड़ी लगा दी गई । आपकी जो बात है यह इसमें शामिल नहीं है । मैं नहीं कहता कि यह गलत है, पर आपका जो तौर. तरीका है वह गलत है । आप चाहें तो मिसाल के तौर पर जयसिंहपुरा खुर्द की मिसाल सदन के सामने रखता हूं । जयसिंह पुरा खुर्द जयपुर से ४–५ मील पर मेरी कॉन्स्टीट्यूसी में है । वहां पर जो एकाउन्टेंट था उसने २०,००० रुपये का गबन कर दिया और बेचारे सैक्रेटरी और अध्यक्ष जो कि अनपढ़ आदमी थे उनको बेचारों को जेल

Page No.86

(श्री मानसिंह महार)

भुगतनी पड़ी। इस प्रकार जब यह विधेयक पारित कर दिया गया तो जो गड़बड़ियां की जायंगी तो गरीब लोगों के जो गुमाश्ते होंगे करेंगे, क्योंकि इसको पारित करने के बाद उनको मजबूरन नौकर रखना पड़ेगा जो कि प्रोपर एकाउन्ट्स मैन्टेन करेगा। आप किसी भी हालत में देख लीजिये और अगर उन एकाउन्ट्स में वे गुमाश्ते क्योंकि बेचारे मनी लैंडर्स हैं, वे अनपढ़ हैं, पैसा–टका तो वे खायेंगे लेकिन उस बेचारे को भुगतना पड़ेगा। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इसकी लिमिट बांध दें। क्योंकि चेयरमेन महोदय, का आदेश है कि मैं इतना ही बोलूं, वर्ना मसाला अभी तो बहुत था।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री सभापति ; श्री हरिप्रसाद शर्मा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): सभापति महोदय, साहूकार विधेयक आज सदन के समक्ष प्रस्तुत है। ऐसे बिल की बहुत पहले से आवश्यकता थी जिसके द्वारा गरीबों को शोषण से मुक्ति दिलाई जा सके, परन्तु जैसा कि बिल हमारे सामने आया है वह एक ऐसा बिल है जिससे न तो गरीबों को मुक्ति मिलती है और न किसी प्रकार से उनको फायदा होने वाला ही है। बहुत से कॉलिजेज ऐसे हैं जिनके द्वारा कुछ न कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन मेरी मान्यता यह है कि बिलके अन्दर ऐसे लूप होल्स हैं जिन के कारण जिन अधिकारियों के पास यह काम सुपुर्द इस किया जा सकता है उससे भ्रष्टाचार पनप सकता है। हम यह जानते हैं कि राजस्थान में हम किसी न किसी रूप में कर्ज से दबे हुए हैं। उनको किसी न किसी काम से रुपया लेना पड़ता है, चाहे उनको अपने बच्चों को शिक्षा देनी पड़े, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से अपना इलाज कराना पड़े, चाहे किसी भी काम के लिए कर्जा लेना पड़े, परन्तु कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि कर्जदार नहीं हो। अधिकतर राजस्थान के विशेष लोग ऐसे हैं जो कि कर्जदार हैं। आज जितने भी साहूकार हैं, यह बात सही है, गरीबों की गरीबी से, उनकी मजबूरियों से नाजायज फायदा उठाते हैं और इस कदर आप सूद वसूल करते हैं कि जिन्दगी भर वह नहीं दे सकता है। मेरा अनुभव है कि खास तौर से मजदूर लोगों में खन्दी-प्रथा अधिकतर चलती है। वह ऐसी प्रथा है कि जिसमें गरीबों का जीवन कभी भी ठीक नहीं हो पाता है। मैं आपको बताऊं कि खन्दी प्रथा क्या है? कोई साहूकार यदि उधार देता है १००) रु० तो ९०) रु० गरीब कर्जदार को देता है और १२०) रु० कर्ज के लिए लिखाता है और १०) रु० मन्थली जमा करता है और १२ पर्सेंट सूद वसूल करता है। जहां इस प्रकार की व्यवस्था है वहां किसी प्रकार का शोषण न हो, कर्जदारों से नाजायज वसूली न हो, उनकी इज्जत पर किसी प्रकार का हमला न हो, तो सरकार को यह भी सोचना पड़ेगा कि जो आवश्यकताएं हैं गरीबों की, उनको आप किस प्रकार से जुटायेंगे ?

(६.२७ म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री, पदासीन)

किसानों को तकाबी के लिए १००) रु० देते हैं बैल के लिए, तो मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या कोई भी किसान १००) रु० में बैल खरीद सकता है और अपना उत्पादन

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

कर सकता है, अपने परिवार का खर्चा निभा सकता है। हमारी सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह कर्ज दे सके, आवश्यकता वाले लोगों को पैसा देकर शोषण से मुक्ति दिलाये, तो फिर जाकर यह साहूकार विधेयक लाये। कई प्रकार की ज्यादतियां साहूकार करते हैं और शोषण करते हैं, उन पर नियन्त्रण करना आवश्यक है। इस बिल को आप देरी से लाये हैं। इसको बहुत पहले से लाना चाहिए था। यह बड़ा प्रगतिशील बिल है। किसी प्रकार से साहूकारों पर इस बात का नियन्त्रण रहे कि कर्ज किस आधार पर देते हैं, किस आधार पर वसूल करते हैं और कर्ज देने के बाद में किस प्रकार से तंग करते हैं, इसके लिए इसकी आवश्यकता है, परन्तु जिस प्रकार का प्रावधान इसमें है उससे इस बिल के बारे में शंका होती है। इसकी व्यवस्था जिन अधिकारियों के हाथों में दी है और खास तौर से ये अधिकार दिये हैं कि जिन्हें चाहें नाम-जद कर सकते हैं तो इस तरह से इस बिल के बारे में बहुत बड़ी शंका होती है। उसमें जिस प्रकार की व्यवस्था चलती है, जिस प्रकार से भाई-भतीजावाद चलता है मैं समझता हूं इससे अछूता नहीं बचेगा। ऐसी सूरत में यह बिल महत्वपूर्ण है। इस बिल पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए और इस प्रकार की इसमें व्यवस्था करनी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले, कर्जदारों को मुक्ति मिले, और ऐसे साहूकार जो कि वास्तव में यह बात अब तक करते हैं कि नाजायज परेशानी करके लोगों का खून चूसने की ओर अग्रसर होते हैं; उन पर नियन्त्रण करने के तौर पर शुरू करने के लिए गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

मैं विधेयक पर विशेष तौर से नहीं कहना चाहता हूं। इसकी मन्शा बहुत अच्छी है। नाम इसका साहूकार विधेयक है, परन्तु जिस प्रकार के इस पर बन्धन लगाते हैं वे साहूकारों पर बन्धन नहीं हो सकते हैं। इसके बारे में जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिये हैं उनको देखते हुए मेरी यह मान्यता है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और इसमें संशोधन लाया जाय। इसको जनमत जानने के लिए भेज दें ताकि इस पर गम्भीरता से विचार हो सके और इसमें जो कमियां हैं उन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सके।

श्रीमति सभानेत्री : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मैं इस पर मोशन पेश करना चाहता हूं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : जिन्होंने नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है उनको माफ किया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : आप नोट ऑफ डिसेन्ट वाले हैं। पहले जिन्होंने प्रस्ताव रखे हैं उनको बोलने दिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : जिन्होंने सिलेक्ट कमेटी के लिए रखा है उनके नाम बाकी हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है उनको बोलने दिया जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Only one motion has been moved so far.

श्रीमती सभानेत्री : पहले सारे के सारे सिलेक्ट कमेटी के हो जायं, पहले जिन्होंने

(श्रीमति सभानेत्री)

सिलेक्ट कमेटी के लिए प्रपोज़ किया है वें बोल लें।

श्री योगेन्द्रनाथजी हांडा।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट, श्री रामकिशनजी।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : पहले नोट ऑफ डिसेन्ट वालों को बोलने दिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : नहीं। माननीय श्री रामकिशनजी।

श्री रामकिशन (वैर) : माननीय सभानेत्रीजी, यह जो विधेयक है, जिस पर विचार हो रहा है उस सम्बन्ध में मैंने प्रस्ताव दिया है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। सचमुच में यह जो विधेयक आया है वह ऐसा है जो राजस्थान के सारे कौनों को हिला देगा। उस पक्ष का दावा है और यहां सरकार की तरफ से आमतौर से सदन के समक्ष जो भावनाएं व्यक्त की हैं उसका अर्थ यह है कि साधारण लोगों के कल्याण के लिए जो साहूकार गरीबों का शोषण करते हैं उनको रोकने के लिए इसमें प्रावधान किया है, मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। मैं इसका समर्थन ही नहीं करता, बल्कि मेरा तो यह कहना है कि सरकार को यह बिल आज नहीं, राजस्थान निर्माण के समय ही लाना चाहिए था। लेकिन हर चीज के दो पक्ष होते हैं। इसके भी दो पक्ष हैं जिसकी असलियत को नहीं देखा, केवल भावनाओं में बह गये तो जिस उद्देश्य से यह बिल लाये हैं वह पूरा नहीं होगा। जिस उद्देश्य से लाये हैं उसके पीछे भावनाएं क्या है? इस लिये ला रहे हैं कि कर्जे का नियन्त्रण किया जाय, किसानों को ब्याज से नियन्त्रण दिया जाय, उसके साथ जो धोखा-धड़ी होती है उससे उनको बचाया जाय। मैं नहीं समझता कि सरकार की मंशा कर्जा लेना खत्म करने की है। सरकार यह चाहती है कि कर्जा चले लेकिन असाधारण शोषण नहीं हो, सीमा के अन्दर हो, सीमा के बाहर नहीं हो। शायद गम्भीरता से सरकार ने इस बात को नहीं सोचा।

सबसे पहले मैं चाहूंगा कि उप-मन्त्रीजी को अपने दिमाग को साफ करना चाहिए कि राजस्थान के लोगों की आमदनी क्या है, कर्जे की जरूरत क्या है और इस विधेयक को लागू करने के बाद विकास कार्यों के लिये डेवेलपमेण्ट के लिये और दूसरे कामों के लिये लोगों को कर्जा मिल जायगा या नहीं; जब तक इस पृष्ठ भूमि में नहीं देखेंगे तब तक आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

जहां तक मेरी जानकारी है, हिन्दुस्तान रूरल क्रेडिट सर्वे की रिपोर्ट आई है उससे मालूम होता है कि प्रति व्यक्ति ३००) से ३५०) रु. का कर्जा है। इसका मतलब यह हुआ कि राजस्थान के लोगों पर ३ या ३॥ अरब रूपयों का कर्जा है जो बैंकों के जरिये, क्रेडिट सोसाइटीज़ के जरिये या साहूकारों से लिया हुआ है और वह राजस्थान में काम आता है। यदि इस सारी स्थिति को देखें तो मालूम होगा कि राजस्थान में तीन चार तरह के लोग हैं। एक तो वे हैं जिनके पास जमीन नहीं है। जिनके पास जमीन नहीं है वे अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये साहूकारों से कर्जा लेते हैं। दूसरे वे लोग हैं जिनके पास १० एकड़ के करीब भूमि हैं।

(श्री रामकिशन)

राजस्थान में ऐसे १० लाख के करीब परिवार हैं। एक शहर का वह तबका है जो शहर में रह कर मजदूरी करता है या छोटे छोटे क्राफ्टस के काम करके अपना गुजर करता है। हमारी मंशा यह है कि ऐसे सब लोगों को शोषण से बचाया जाय। लेकिन जिस तरह का प्रावधान या व्यवस्था इस बिल में है उससे मालूम होता है, हालांकि सरकार की मंशा ऐसी नहीं है, लेकिन बिल की मंशा ऐसी मालूम होती है कि कहीं ग्राम लोगों को पूंजी मिलना बन्द न हो जाय। यदि ऐसा हुआ तो पूंजी की व्यवस्था कैसे करेंगे ? मैं चाहता हूं कि यदि लेन-देन का कर्जा हो तो बन्द करदें, लेकिन आप गांवों में केवल ७ परसैन्ट लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं और ६३ परसेंट लोग ऐसे हैं जो साहूकार से या और किसी तरह से कर्जा लेकर अपना काम चलाते हैं। हमारे सामने यह प्रश्न नहीं हैं कि किसी पर पाबन्दी लगावें। परन्तु हमारे सामने यह प्रश्न है कि कहीं ऐसी हालत पैदा न हो जाय कि साहूकार लोगों को कर्जा देना ही बन्द कर दें। भले ही उनको विवाह–शादियों के लिए कर्जा नहीं मिले तो उसकी चिन्ता मुझे नहीं है, लेकिन यदि किसानों को बीज के लिये कर्जा नहीं मिले, खाद के लिये कर्जा नहीं मिले या बैल के लिये कर्जा नहीं मिले तो क्या व्यवस्था होगी, यह उप–मंत्रीजी जवाब दें। जब तक इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते तब तक खतरनाक स्थिति पैदा न हो जाय, यह मैंने आम बात बताई।

वैसे हमारे प्लानिंग पर विदेशी लोगों ने जो राय लिखी है उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं जिससे स्पष्ट हो जायगा। शायद आपके दिमाग में यह भ्रम पैदा नहीं हो गया हो कि गांवों में लेन-देन का काम सीमित हो गया है क्योंकि सरकार के प्रवक्ता यह जवाब देते हैं कि कर्जदारी कम होती जा रही है; लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे देश में संविधान लागू होने के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति में खराबी आई है; यह बात लोहियाजी ने कही है और नंदाजी ने इसे स्वीकार किया है। लोहिया साहब की बात को आप न मानें और नंदा साहब की बात को मानें तो भी पता चलेगा कि हम बहुत बुरी अवस्था में रह रहे हैं, इसलिये लोगों को सहायता देने की जरुरत है। जहां तक रोजगार का सवाल है अभी तक हमने १२ वर्षों में प्रति व्यक्ति १५०) रुपये लगा पाये हैं। आम स्टेन्डर्ड क्या होना चाहिये और प्रति व्यक्ति कितना खर्चा करना चाहिये, इस बारे में एक इंग्लिश लेडी बारबरा जो, लेडी जेक्सन के नाम से प्रसिद्ध है, उसने एक अंग्रेजी में किताब लिखी है जिसमें लिखा है....

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : आप जरा पढ़ दीजिये।

श्री रामकिशन : किताब अंग्रेजी में है, मैं उसमें से पढ़ दूंगा क्योंकि उसकी लेखिका एक अंग्रेजी महिला है। हिन्दुस्तानी आथर होता तो नहीं पढ़ता। वैसे मैं हिन्दी में अर्ज कर दूं। आप अंग्रेजी की किताब पढ़ लेना। आप खुद पढ़े लिखे हैं। उसने लिखा है कि जो अंडर डेवलप्ड लोग हैं उनके लिये एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके वहां निर्माण की गति तेज हो। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि पूंजी का फ्लो ही बंद हो जाय, पूंजी देना ही बंद होजाय। तो मुझे इस बिल के सिद्धान्त से विरोध नहीं है, मैं इसको आवश्यक समझता हूं। लेकिन जितना भयंकर शोषण गांवों में लोग करते हैं उनसे इन्कार नहीं कर

Page No.90

(श्री रामकिशन)

सकते। सदन में कुछ लोग तो सुनी-सुनाई बात कहते हैं, लेकिन हमें तो अनुभव है; हम लोग गांवों से आये हैं, साहूकार लोग गरीबों का बुरी तरह से शोषण करते हैं। लेकिन मैं साथ ही साथ यह कह सकता हूं कि पूंजी का फ्लो बंद होने की जो आशंकाएं हैं उनके लिये सरकार की क्या पृष्ठभूमि है और क्या तैयारी है। इसके लिये मैं जिक्र करूंगा, योजना का जिक्र करके वहीं छोड़ दिया था। श्रीमती बारबरा ने लिखा है पिछड़े हुए देशों में एक आदमी के पीछे ५०००) रुपये की पूंजी नहीं लगा पायेंगे तो वे देश प्रगतिशील देशों के स्तर तक नहीं आ सकेंगे। लेकिन हमारे यहां तो हमने प्रति व्यक्ति १५०) रुपये ही खर्च किये हैं, इससे हम पिछड़े हुए हमारे देश में साधारण लोगों का रहन-सहन का स्तर ठीक नहीं कर पायेंगे। तो योजना की दृष्टिकोण से और दूसरे दृष्टिकोण से देखें। रोजगार और बिजनेस की दृष्टि से देखें तो राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश के लोगों में जो गरीबी है उनके लिये इस तरह का बिल लाने के बाद क्या हम पूंजी की व्यवस्था कर सकेंगे या नहीं ? एक आशंका मेरी यह है।

दूसरी आशंका मेरी यह है कि जिस तरह से आपने प्रावधान किया है, ब्याज की रेट समय समय पर घोषित करेंगे, उसके बजाय ब्याज की रेट तय होनी चाहिये। आज ब्याज की रेट २) रु., ३) रु. या २॥) रु. सैकड़ा चलती है और इस कारण से जो गरीबों का शोषण हो रहा है उसको बंद करना चाहते हैं। इस बिल में कुछ और प्रावधान किये हैं; जैसे क्षेत्र का बंटवारा इसमें यह नहीं बताया कि एक साहूकार कितने बड़े क्षेत्र में ब्याज का काम करेगा। एक पंचायत के क्षेत्र में करेगा या जिले भर में करेगा, यह साफ होना चाहिये। यहां बैठकर कानून का ड्राफ्ट करने वाले जो लोग हैं उनकी जानकारी के लिये मैं कहता हूं कि गांवों में लेन-देन की सीमा नहीं होती। आज एक आसामी एक साहूकार के पास से उधार लेता है और कल उन दोनों का आपस में मन-मुटाव हो जाय तो वह दूसरे गांव के साहूकार के पास लेने जायगा और मान लीजिये उस के पास लाइसेन्स नहीं है तो वह कहां जायगा। चाहे तहसील हो, चाहे जिला हो एक साहूकार का रजिस्ट्रेशन का एरिया रखा है वह पंचायत के हिसाब से रखना चाहिये, नहीं तो तहसील के हिसाब से रखदेना चाहिये। एक गांव के बोहरे से कर्ज लेनेवाले का संबंध खराब होने से वह दूसरे के पास जाता है और दूसरे बोहरे के पास लाइसेन्स नहीं है तो उसको रकम नहीं मिल सकेगी और वह नुकसान में फंस जायगा। इसलिये लाइसेन्स अलग अलग क्षेत्रों के लिये अलग अलत तय कीजिये। और उनमें प्रत्येक क्षेत्र पर, जो पांच रुपये की फीस रखी है उसके अलावा दो रुपये और बढ़ा दिये हैं। मैं समझता हूं कि यह फीस बहुत कम। इसमें यह नहीं देखना चाहिये कि वह कितने क्षेत्र में लेन–देन करता है, बल्कि आपको यह देखना चाहिये कि वह पूंजी कितनी लगाता है। इस प्रकार लगाई गई पूंजी पर फीस रखेंगे तो जो रुपया लगाने वाले व्यक्ति होंगे, छोटे और बड़े उनके साथ न्याय होगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक आदमी अगर एक हजार रुपये का लेन–देन करता है तो उसको पांच रुपये देने पड़ेंगे और एक आदमी अगर पचास हजार रुपये का लेन–देन करता है तो उसको भी पांच रुपये देने पड़ेंगे। इस प्रकार का जो

(श्री रामकिशन)

प्रावधान किया गया है, यह अव्यवहारिक है और गलत है। इसमें यह करना चाहिये कि जितनी पूंजी का वह लेन–देन करता है, उतनी पूंजी पर उतनी ही ज्यादा लाइसेन्स फीस हो, इसके द्वारा आपका उद्देश्य सिद्ध हो सकता है।

इस विधेयक में जो सबसे मजाक का प्रावधान मुझे लगा है, उसमें आपने यह रखा है कि वर्ष के शुरू में साहूकार बतायेगा कि कितनी पूंजी वह लगाना चाहता है। मैं नहीं समझता, इसका उद्देश्य क्या है ? किसके पास कितनी पूंजी है और कितनी पूंजी वह लगाता है–मैं नहीं समझता कि इसका ज्ञान उप-मंत्री जी को या गवर्नमेंट को है। यह बिल्कुल अव्यवहारिक है।

(घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : पांच मिनट और है ...।

श्री रामकिशन : क्या ?

श्रीमती सभानेत्री : दस मिनट आप ले चुके हैं, पांच मिनट बाकी है। यह आपको सूचित करने के लिए घंटी बजाई है।

श्री रामकिशन : पन्द्रह मिनट को व्यवस्था कर रखी है। इससे ज्यादा नहीं।

श्रीमती सभानेत्री : जी हां।

श्री रामकिशन : मेरा निवेदन है कि पूंजी कौन कितनी लगाता है, इसका व्यवहारिक ज्ञान सरकार को नहीं है। असल में यह इस बात पर तय होता है कि एक साल में वसूली कितनी हुई। जितनी वसूली हुई उतनी पूंजी का साहूकार इन्वेस्टमेंट कर देता है। कोई वर्ष के प्रारम्भ में ही यह घोषणा कर दे कि इतनी पूंजी वह साल में लगायेगा, तो यह असम्भव है। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि यह कोई व्यवहारिक क्लॉज़ है और इससे विधेयक का उद्देश्य पूरा हो सकता है। हां, कोई कम्पनी हो या किसी का बड़ा कारोबार हो, कोई बड़ा बनिया है उसमें यह मालूम हो सकता है कि उसके पास कितनी पूंजी है। हमारे गांव में ऐसे लोग हैं जो एक हजार का लेन-देन करते हैं उसके लिए यह घोषणा करना असम्भव है कि वह कितनी पूंजी का इन्वेस्टमेंट करेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रावधान पर दुबारा विचार किया जाय क्योंकि इसमें जो प्रावधान रखे गये हैं वे ज्यादातर इस काम में सहायक होने के बजाय प्रतिबन्ध के हिसाब से लगाये जायेंगे कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होगा तो सजा देंगे, जुर्माना करेंगे। मैं समझता हूं कि जुर्माना करना और सजा देना जरूरी है यदि कोई नियमों को तोड़े, ब्याज के मामले में और रसीद न दे और गड़बड़ी करे। जो किसान और गरीब आदमी साहूकार के कर्जदार हैं उनका वह शोषण करता है तो दंड देना जरूरी है। लेकिन वह स्टेटमेंट नहीं दे और स्टेटमेंट न भेजने के कारण नहीं बता सके तो इसके अन्दर प्रावधान है उसमें सजा और जुर्माना रखा गया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की धारायें लागू हो जायेंगी तो जिस उद्देश्य को लेकर इस बिल को इस सदन में प्रस्तुत किया गया और फिर प्रवर समिति में इस पर विचार किया गया वह समाप्त हो जायगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रवर समिति में इस बिल पर पुनर्विचार किया जाय और पुनर्विचार करने से पूर्व विशेष तौर पर सरकारी आंकड़ों से और हर तरह से इस सम्बन्ध में जानकारी लेनी चाहिए।

(श्री रामकिशन)

इसके साथ ही अगर यह बिल लागू हो जायगा तो इसकी वजह से हमेशा के लिए पूंजी लगाना बन्द हो जायगा, यह मैं नहीं मानता। माननीय सदस्यों ने यह शंका व्यक्त की है कि साहूकार ब्याज में गड़बड़ी करेगा, ज्यादा रकम लेगा, सौ रुपये देकर दो सौ रुपये लेगा और इस प्रकार के शोषण करने के बहुत से हथियार हैं। जब तक कोई रोक-थाम का अच्छा प्रबन्ध नहीं हो और सरकार का नियंत्रण सख्त नहीं हो ये गड़बड़ियां चलेंगी। इसके बावजूद यह भी सम्भावना है कि पूंजी का आना बन्द हो जाय। जैसा मैंने व्यक्त किया है, हमेशा के लिए तो पूंजी का आना बन्द नहीं होगा लेकिन थोड़े समय के लिए पूंजी का आना बन्द हो जाय तो उसकी क्या व्यवस्था की जायगी ? जब तक ये सब बातें इस बिल में नहीं होंगी मैं समझता हूं कि इस बिल का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा और न इससे किसी को लाभ हो सकेगा। इसलिए मैं माननीय उप-मंत्री जी से कहूंगा कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और ब्याज के मामले में जिस तरह का प्रतिबन्ध लगाया गया है उससे जो सम्भावित परिणाम निकलने वाले हैं उन पर विचार करना चाहिए, उन पर सोचना चाहिए।

इस वक्त ऐसा मालूम होता है कि राज्य सरकार अपने आपको प्रगतिशील सरकारों में गिनाना चाहती है। लेकिन वह व्यवहारिक पक्ष से हट गई है। हिन्दुस्तान में कांग्रेस सरकारों को एक आदत सी पड़ गई है। वह क्रांति नहीं कर सकती, लेकिन क्रांतिकारी बनने की कोशिश अवश्य करती है ताकि क्रांतिकारी सरकार में उसकी गिनती हो जाय। आप इस तरह का विधेयक लाकर क्रांति नहीं कर सकते। इसमें पहले आपको देखना होगा कि इसके सम्भावित परिणाम क्या होंगे। साथ ही इस बिल को बनाने से पहले, मैं समझता हूं कि जो हरिजन और आदिवासी हैं उनको बोहरों ने नाजायज कर्ज में दबा रखा है, उस कर्ज को माफ करना आपका प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिए, उन छोटे-छोटे लोगों का कर्ज माफ किया जाय, जिनसे साहूकार ने रकम से ज्यादा रकम ब्याज से वसूल कर ली है। दस-बीस साल तक जिन्होंने ब्याज वसूल कर लिया है उसका हिसाब लगाया जाय....

एक माननीय सदस्य : जागीरदार माफ कर देंगे।

श्री रामकिशन : मैं निवेदन करूंगा कि ये सारे मामले गम्भीर मामले हैं और इससे राज्य की आर्थिक स्थिति और व्यवस्था पर असर पड़ने वाला है; इसलिए इस पर दुबारा विचार करेंगे तो मैं समझता हूं कि सत्यता के नजदीक पहुंच सकेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : श्री सतीश कुमार शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री श्रवणलाल।

(अनुपस्थित)

श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, आज हम सदन के अन्दर एक ऐसे बिल पर विचार कर रहे हैं जिसकी कि आज देश को बहुत आवश्यकता है। आजादी के बाद इतना समय निकल गया, समय-समय पर इस पर विचार होना रहा है। यह बिल कभी का आजाना चाहिए था, लेकिन

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

मैं सोचता हूं कि सरकार अपनी मजबूरियों या किन्हीं अन्य कारणों से मजबूर रही और वह इस बिल को जल्दी नहीं ला सकी। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता ने सदन का ध्यान आकर्षित किया कि इस बिल के आ जाने के बाद इस प्रकार की कई समस्यायें आ जाने वाली हैं जिनके प्रति भी सरकार को जागरूक रहना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जब सरकार इस बिल को लेकर आई है और इस बिल को लाने के अन्दर जो इतना विलम्ब किया है तो इस सारी अवधि के बीच के अन्दर सरकार ने यह मान्यता तो मान ली होगी कि जैसे ही यह बिल एक्ट के रूप में पास होकर फोर्स में आयेगा तो तुरन्त वह व्यापारी वर्ग, जो केवल रुपये का व्यापार करता है और ब्याज कमाने वाला है, वह अपने व्यापार को एक दम रोक देगा और उस पैसे को मनी-लेंडिंग में न डाल कर दूसरे क्षेत्र में डालेगा। मैं समझता हूं कि यह निश्चित मान्यता मानकर चलना चाहिए। हम इसे पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजें या प्रवर समिति में विचार करने के लिए भेजें, चाहे सदन में इसको विचारार्थ ले लें, लेकिन जब तक नीयत है कि ब्याजखोर से उधार बिना ब्याज के दिलवायें, और यह नीयत साफ है तो यह मान कर चलना चाहिए और यह सरकार को मानना पड़ेगा कि जब यह कानून फोर्स में आयेगा तो वे व्यापारी, जो सूदखोर हैं, जो सूद का धन्धा चलाते हैं वे इस धन्धे को बन्द कर देंगे। इसलिए यह सोचें और यह झिझक दिखायें कि सरकार ने यह व्यवस्था नहीं की तो ऐसा होगा—मैं सोचता हूं कि यह गलत होगा। आप निश्चित मान कर चलिये कि आप रीज़नेबल इन्ट्रेस्ट लगायें। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, इस एक्ट में यह प्रावधान है कि समय-समय पर ब्याज का निर्धारण करेंगे। इतना कह कर चलते हैं तो हम यह सोचते हैं कि सरकार धोखा देना चाहती है। अगर सरकार की नीयत साफ है और निश्चित रूप से यह मान कर चलती है कि इतने पैसे पर इतना पैसा मिलना चाहिए तो रीज़नेबल रूप से ब्याज आपको निश्चित रूप से खोलना पड़ेगा। वह ब्याज केवल इतना हो कि उसके आधार पर व्यापारी उचित रूप से पैसा प्राप्त कर सके तो यह निश्चित रूप से मान कर चलना होगा कि सरकार को एक दम से ऐसे बिज़नेसमैन पैसा कर्ज के रूप में देना बन्द कर देंगे। यह सरकार मान्यता मानकर चलती है कि जो व्यापारी ब्याज खाते हैं, उनके लिए ब्याज की रेट खोल दो तो कुछ साल में वे 'ना' के बराबर हो जायेंगे जो कर्ज के रूप में पैसा देंगे। जो गांवों में आज स्थिति चल रही है और जिसके कारण सरकार को मजबूर होना पड़ा है यह विधेयक लाने को, वह यह है कि ब्याज के रूप में ब्याज-खोर पैसा खींचता है और उसके कारण पैसा लेने वाले बरबाद हो जाते हैं, लेकिन मूल रकम वैसी की वैसी रह जाती है और ब्याज बढ़ता चला जाता है और मूल नहीं चुकता है। जब आप ब्याज नहीं खोलते हैं तो मैं यह मान कर चलता हूं कि इस बिज़नेस की यही हालत रहेगी, इसमें सुधार लाना बहुत मुश्किल है और ब्याज कम नहीं हो सकता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह जो एक्ट लाया गया है, इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्यों नहीं दिया गया है? साथ ही जिस रोज से यह एक्ट फोर्स में आयेगा, उस फोर्स में आने की इस एक्ट में तारीख नहीं खोली है। आम तरीका यह है कि अमुक तारीख को गजट में यह पब्लिश हो जायगा और अमुक तारीख को फोर्स में आयेगा; लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इसलिए इस बिल की मन्शा है. . .

श्री रामकिशन : सीलिंग का नया कानून है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिस रोज यह फोर्स में आयेगा, जो तारीख निश्चित करेंगे, जिस रोज यह फोर्स में आएगा, उसको नियमों में रखा जायेगा। यह अवधि नियमों में रखी जा सकती है–इससे मैं सहमत नहीं। इसलिए इस बिल में एक तो व्याज की दर खोल दें, यह निर्णय कर दें कि रीजनेबल व्याज यह होना चाहिए, यह लोगों से वसूल होनी चाहिये। व्याज के अतिरिक्त जो रुपया देने वाले हैं वे अगर दुगुना रुपया किसी तरह से चढ़ा देते हैं तो उसका अकाउन्ट कर्जदार प्राप्त नहीं कर सकता है जब कि जिस वक्त से यह कानून लागू कर देंगे उसके बाद अकाउन्ट री–ओपन हो सकते हैं। इस प्रकार के मुख्य-मुख्य जो क्लाजेज इस एक्ट में हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि जब हम चाहते हैं कि जो शोषण हो रहा है उससे राहत दिलवायें, तो इस के मुख्य-मुख्य क्लाजेज को हम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्यों नहीं देना चाहते? यह बहुत आवश्यक है, अगर आप वास्तव में कर्ज लेने वाले काश्तकारों, मजदूरों को राहत दिलवाना चाहते हैं, व्याज से राहत दिलवाना चाहते हैं तो इस एक्ट के जो मुख्य-मुख्य क्लाजेज है इन्ट्रेस्ट के बारे में, कोस्ट के बारे में, सारे ट्रान्जेक्शन्स को री-ओपेन कराने के बारे में–इन सबको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहिये।

मै निवेदन करना चाहूंगा इस मान्यता के साथ साथ कि इस एक्ट के आने के बाद में एक दम विलेजेज़ के अन्दर समस्यायें पैदा होंगी, जो अभी तक व्याजखोर व्याज पर जमे हुए हैं वे रुपया देना बन्द कर देंगे। यह निश्चित मान्यता मान कर चलना चाहिए और इसके लिए सरकार को ऑल्टर्नेटिव रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा।

मुझे एक चुनाव की बात याद आती है कि हम सन् ५७ में चुनावों में गए। वहां कांग्रेस के पीछे हमारी पार्टी भी थी और स्वतंत्र उम्मीदवार की पार्टी थी। उसमें राइफल वाले सेठ साहब भी थे जिनके यहां डाका भी पड़ा था। ये राइफल वाले सेठ साहब के नाम से मशहूर हैं। हमने उस समय सभी ने प्रचार किया कि ऐसे व्यक्ति को वोट मत देना जो केवल सूद पर जिन्दा है। उस समय वहां के काश्तकारों ने यह जवाब दिया था कि यहां पर आपकी यह बात चलने वाली नहीं है क्योंकि किसानों को चाहें जिस समय रुपया मिल जाता है; जिस समय अषाढ़ी आती है उस समय हमको बीज चाहिए उस समय सरकार और आप हमको रुपया देने वाले नहीं, इस लिए हमें चाहे चौगुना सूद भी देना पड़े लेकिन हमको रुपया तो मौके पर मिल जाता है। मैं यह कहूंगा कि काश्तकार हर हालत में रुपया ले सकता है। हम इस एक्ट को जिस समय एसेम्बली फोर्स में लावेंगे तो मैं यह कहूंगा कि सरकार को निश्चित रूप से गांव-गांव में बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डालनी होंगी जो किसानों को जरूरत के समय रुपया उधार दे सके। जब तक सरकार ऐसा नहीं करेगी तो किसानों को रुपया नहीं मिलेगा। इसलिये सरकार के पास इसके सिवाय कोई दूसरा आल्टर्नेट रास्ता नहीं है। इसलिये जब तक आप गांव गांव में कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं कायम करेंगे तब तक इस बिल को लाना और इसको पास करना निरर्थक ही होगा। यदि हम वास्तव में यह चाहते हैं कि कर्जा लेने वाले मजदूर सूदखोरों से बचें तो आपको यह व्यवस्था करनी होगी।

इसी प्रकार एक और क्लॉज़ है। सभापति महोदया, इस एक्ट के द्वारा किसी भी

Page No.95

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

प्रकार से राजस्थान एग्रीकल्चरल रिलीफ इन-डेटेडनैस एक्ट पर लागू नहीं होगी; जो काश्तकारों पर लागू है और बाद में लागू कर दी है। उसकी मंशा यह है कि दावा करने के बाद कोई भी काश्तकार या कर्ज देनेवाला अदालत में जाकर दावा करता है तो काश्तकार को रिलीफ मिल सकता है। इस बिल को मैने पढ़ा है। इसमे दो प्रावधान हैं जिससे सारा केस री-ओपन हो जावेगा। इसमें यह भी है कि कुछ सुविधा मिल जावेगी। जब हम इसको फोर्स में लावेंगे तो राजस्थान एग्रीकल्चरल रिलीफ इन्डेटेडनैस एक्ट है उसको लाने से क्या मतलब सिद्ध होगा ? यह खुद ब खुद समाप्त हो जावेगा। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अन्त में यही कहूंगा कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जावें। इसको चाहे कितना ही साहूकार के पक्ष में आप करें लेकिन फिर भी सरकार को यह कर्ज देने की एजेन्सी मुकर्रर करनी पड़ेगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको दुबारा प्रवर समिति में भेजा जाए।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित)

श्री गंगासिंह।

(अनुपस्थित)

श्री गंगासिंह राठोड़ (जायल): सभापति महोदया....

श्रीमती सभानेत्री : महारावल श्री लक्ष्मणसिंह।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : श्री गंगासिंह खड़े हैं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री गंगासिंह, डिविजन न० ४५।

श्री गंगासिंह राठोड़ : मैं लक्ष्मणसिंहजी के बाद बोल लूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : आप बोल लें।

श्री गंगासिंह राठोड़; सभापति महोदय मनीलेंडिंग बिल सदन के सामने पेश हुआ है; उसकी जो मंशा है वह यह है कि जहां तक हो डेटर्स को फायदा पहुंचाया जाए।यहां तक तो मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। लेकिन अगर हम इसके प्रोविजन्स को देखें तो यह भली-भांति मालूम है कि सरकार इसको एक प्रान्त में लागू करना चाहती है और इसी तरह से जो व्यापारियों को सुविधा, भारत के संविधान में व्यापार करने की आजादी दी है उसके अनुसार यह फिट नहीं हो सकता है। मैं यह समझता हूं कि हमारे देश के अन्दर किसी भी व्यापार में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए और जो मनीलेंडिंग बिज़नेस है,जो बहुत पुराना है, उसको इस एक्ट के जरिए खत्म कर देना, मैं समझता हूं कि राजस्थान की इकॉनोमी के लिए ठीक नहीं रहेगा। जहां तक यह प्रोविजन है कि हर मनीलेन्डर को लाइसैन्स लेना पड़ेगा और इसके लिए असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जावेगी। उनको जो कार्य सौंपा गया है, यदि उसको ध्यान में रखेंगे तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि आपका यह मनीलेंडिंग बिज़नेस ही समाप्त हो जावेगा और इससे इस प्रान्त की इकोनोमिक कन्डीशन पर क्या असर पड़ेगा, यह तो सदन के सभी माननीय सदस्य भली भांति जानते हैं, क्योंकि सरकार इतना पैसा काश्तकारों आदि को देने

(श्री गंगासिंह राठौड़)

के लिए नहीं पहुंचा सकेगी जिससे उनकी जरूरत पूरी हो सके। इसलिए इस बिल को पास करते समय हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि हम डेटर्स का फायदा करने के लिए इस बिल को ला रहे हैं, उनको ऊंचा उठाने के लिए यह ला रहे हैं, मगर इसके साथ-साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जो पैसा मनीलैंडिंग में है वह समाप्त हो जाता है, और अगर वह पैसा जो मनीलैंडिंग बिजनेस में लगा हुआ है समाप्त हो जाता है तो रूरल इकोनोमी पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि कुछ ऐसे प्रोविजन्स हैं जो मनीलैंडिंग से संबंध रखते हैं, मै यह निवेदन करूंगा कि मनीलेंडर्स पर यह पाबन्दी कि वे लाइसेन्स प्राप्त करके दावा पेश कर सकेंगे उसके बजाय यह कर दें कि जिनके पास लाइसेन्स नहीं होगा और अगर वे दावा करेंगे तो कोर्ट कोई डिक्री नहीं करेगी,यह पनिशमेंट ही काफी है। मैं यह कहूंगा कि उनको जेलखाने में भेजना यह न्यायसंगत नहीं होगा। इसके साथ-साथ कोर्ट को यह हिदायत दी गई है कि उसको बाध्य किया जाए कि वह अपने अकाउन्ट्स पेश करे। अगर नही करता है तो उसपर ५००)रु० जुर्माने का प्रोविजन है वह भी बहुत सख्त प्रोविजन है और यह मनिलैंडिग बिजनेस में घातक है और यह जो बिल पेश हुआ है उसकी मंशा के खिलाफ है।

जहां तक कम्पाउन्ड करने के सम्बन्ध में प्रावधान रखा गया है, मैं समझता हूं सभापति महोदया, कि कम्पाउन्ड का प्रोविजन है वह इस तरह से होना चाहिए कि हर किसी को हक होना चाहिये कि वह चाहे जब कम्पाउन्ड कर सके। एक पार्टी कम्पाउन्ड करे और दूसरी पार्टी कम्पाउन्ड नहीं कर सके तो मैं समझता हूं कि यह भी मनी–लेंडिंग बिल में घातक होगा।

राजस्थान की इकोनोमी को ध्यान में रखते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने इसमें अपील का प्रावधान दिया हैं उसमें एक महीने की मयाद दी गई है। कोई भी ऐसी पार्टी हो जावे जो महीने में अपनी अपील पेश नहीं कर सके तो ऐसी हालत में कम से कम तीन महीनों की मयाद देना आवश्यक होगा। इसके अलावा बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मैं सदन के सामने निवेदन करता हूं कि इसको वापिस प्रवर समिति के समक्ष भेजा जावे।

(७ म. प.)

श्रीमती सभानेत्री : महारावल श्री लक्ष्मणसिंह।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : सभापति महोदया,साहूकार विधेयक के सम्बन्ध में मेरा निवेदन करना है कि लेन-देन की व्यवस्था इस देश के अन्दर अनादि काल से चली आ रही है। क्या जन्म, क्या मरण,क्या परण सभी अवसर-औसर के ऊपर साहूकार की आवश्यकता होती है। खास करके ग्रामीण जनता को साहूकार की आवश्यकता अधिक होती है। मकान बनाने के लिए, कूए खुदवाने के लिए, बीज, बैल, खाद आदि लेने के लिए, अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साहूकार की आवश्यकता ग्रामीण जनता को निरन्तर रहा करती है। यह मैं समझता हूं कि यह एक प्राप्ति का, सहकारिता का उच्च दर्जे का नमूना है और व्यापारी और किसान का आपस में अवलम्बन करने का भी उच्च कोटि का दृष्टान्त है।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अक्सर यह देखा गया है कि अगर कोई सरपरस्त मर जाय और उसके घर के अन्दर लड़का छोटा होता है, तब भी साहूकार नाबालिग के घर में सहयोग देता है, सहायता करता है जब तक कि वह लड़का बालिग नहीं हो जाता है, बराबर सहायता करता रहता है और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बालिग हो जाता है तो उससे धीरे-धीरे किश्तों के द्वारा जो कुछ धनराशि उसने दी है उससे वापिस प्राप्त करता है। तो सभापति महोदया, मेरा यह निवेदन है कि अनुचित शोषण यदि हो तो उसे बन्द किया जाय। मैं यह अनुभव करता हूं कि किसी न किसी रूप में इस कानून का होना आवश्यक है लेकिन वर्तमान में जो कानून हमारे सामने विधेयक के रूप में लाया गया है वह मेरे ख्याल से अनावश्यक है और अहितकर है।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना अप्रासंगिक नहीं समझता कि भूतपूर्व राज्यों में इजी क्रेडिट, आसानी से कर्ज दिया जाता था। उदयपुर में एक दूकान रावली दुकान नाम से थी, वहां किसानों व छोटे व्यापारियों को कर्ज आधा घंटे,घंटे के अन्दर मिल जाया करता था। इसी तरह भूतपूर्व रामचंद्र-लक्ष्मण बैंक डूंगरपुर में था जिसको आपने बन्द किया, वहां पर भी यही व्यवस्था थी। सरकार को सहकारी बैंकों के रूप में इस तरह विचार करना हो तो अवश्य करें, ताकि किसानों को और छोटे व्यापारियों को आसानी से कर्ज मिल सके। जब से स्वर्ण-नियन्त्रण कानून लागू किया है तब से स्वर्ण का महत्व घटा है। और लेनदेन के सम्बन्ध में स्वर्ण का प्रचलन अब धीरे-धीरे घटता जा रहा है, इससे किसान और व्यापारी दोनों पक्षों की परेशानी बढ़ी है। जमीन और मकान को गिरवी रख कर कर्जा मिलता है, उसमें भी तरह-तरह की दिक्कतें होती हैं।

सभापति महोदया, लेन-देन मध्यम् श्रेणी के छोटे-छोटे व्यापारी करते हैं और वे गांव-गांव के अन्दर फैले हुए हैं। बाज-बाज किसान भी लेन-देन का व्यापार करते हैं। फौजी लोग भी बाज-बाज लेन-देन का व्यापार करते हैं और विधवायें भी लेन-देन का व्यापार करती हैं। मैं समझता हूं, यह कानून वर्तमान स्थिति में रहा तो इतना पेचीदा, कॉम्प्लीकेटेड और सख्त हो सकता है कि जिसके द्वारा अबोध, कम पढ़े-लिखे साहूकार, लेन-देन करने वाले लोग इस कानून का अर्थ ही नहीं समझेंगे और अधिकांश रूप में यह कानून कागजों में रह जायेगा। अगर सरकार को जिद है तो इसको पारित करे, परन्तु मैं इसको एक स्टेटिज़्म का रूप देकर यह कहूंगा कि सरकार की इच्छा है कि वह व्यापारी का व्यापार भी हस्तगत करे, किसान की खेती के ऊपर भी नियन्त्रण करे और राज भी करे, इसका मैं और मेरा दल शुरू से विरोध करते आये हैं। मैं समझता हूं यह स्टेटिज़्म अवांछनीय है।

क्लॉज़ २ के सब क्लाज (९) के अन्दर जो कर्ज की परिभाषा है, उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि यह कर्ज की परिभाषा केवल मनी पर हो, पैसे के सम्बन्ध में ही, नकदी के सम्बन्ध में ही, रुपयों के सम्बन्ध में ही सीमित नहीं है, काइन्ड को भी इस परिभाषा में ले लिया है। जब आपका यह विधेयक है, इसका टाइटल मनीलेंडर्स बिल है तो मेरे ख़्याल से वह मनीलेंडिंग से ही संबंधित होना चाहिये, पर आपने इसमें काइन्ड की भी व्यवस्था की है, वह अनुचित है। इस नये

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मनी-लैंडिंग बिल की लोन की परिभाषा में से यदि काइन्ड को निकाल देंगे तो मैं समझता हूं उचित होगा। खास करके जब आपने दाम दुपट के सिद्धान्त को मान लिया है तो दाम-दुपट के सिद्धान्त को मानने के पश्चात् यदि साधारण रूप से सभी समझ सकें, ऐसा कानून अगर बनायेंगे, कानून को सरल बनायेंगे तो वह जनता के लिए हितकर होगा और सरकार के लिए भी इसे कार्य-रूप में परिणत करने के लिए आसानी होगी।

जो भी चीज़ आप नियन्त्रण में लेते हैं, चाहे वह कोई चीज़ हो, शक्कर हो या और कोई चीज़ हो, आप नियन्त्रण से सुव्यवस्था करना चाहते हैं पर सुव्यवस्था के बजाय दुर्व्यवस्था होती है। मुझे आशंका है कि यदि यह विधेयक इसी रूप में पारित हुआ तो गांवों के लेन-देन के सम्बन्ध में बड़ी गड़बड़ होगी और इस हद तक कानून का दायरा है, जो साहूकार हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनको इस कानून के जरिये चोर बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। न तो इस कानून में किसी गरीब का, व्यापारी का हित है, न इसके अन्दर मैं किसान का ही विशेष हित समझता हूं। आपने इस कानून के अन्दर कोई छूट, कोई एग्ज़ेम्प्शन नहीं दी है। मेरा यह निवेदन करना है कि विधवाओं और गरीब व्यक्तियों के सम्बन्ध में जो ५ हजार रुपये तक का लेन देन करने वाले हैं उनको छूट देंगे तो सर्वथा उचित होगा।

रजिस्ट्रार के सम्बन्ध में मेरे पूर्व वक्ताओं ने प्रकाश डाला है, उसकी पुष्टि में मैं निवेदन करूंगा कि राजकीय कर्मचारी रजिस्ट्रार मुकर्रर होना चाहिये, नॉन ऑफिशियल रजिस्ट्रार मुकर्रर करना सिद्धान्त के दृष्टिकोण से अनुचित होगा और उसके अन्दर पक्षपात, भ्रष्टाचार की भी संभावना है, खास करके तब जब कि यह प्रावधान रखा है कि लाइसेंसेज़ सीमित दायरे में दिये जायं, लेन-देन सीमित दायरे में हो। मेरे ख्याल से यह व्यवस्था भी अनुचित है, इस सम्बन्ध में भी सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। यदि आप लाइसेंस की व्यवस्था करें तो कम से कम इस लाइसेंस की व्यवस्था को सीमित दायरे में आप न रखें।

मेरे ख्याल से यह नागरिक मौलिक अधिकारों के भी विरुद्ध है और लेन-देन के व्यापार के अन्दर, आजादी के अन्दर भी कमी लाने वाली बात होगी। अगर कर्जदार चाहे तो डूंगरपुर जिले का अहमदाबाद, उदयपुर, कोटा में जाकर कर्जा ले तो रुकावट नहीं होनी चाहिये। लाइसेंस भी समस्त भारतवर्ष का हो तो अच्छा और इसके साथ समस्त राजस्थान के लिए लाइसेंस दिया जाय तो सर्वथा उचित होगा।

सालाना लाइसेंस देने की व्यवस्था दूषित है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा निवेदन है कि सालाना लाइसेंस देने के बजाय ५ साल में एक दफा लाइसेंस देने की व्यवस्था रखी जाय, चाहे ५) रु० की जगह १०) रु० फीस लें, पर पांच साल में एक दफा लाइसेंस लेने की व्यवस्था परमावश्यक है।

क्लॉज ६ के सब क्लॉज़ (एफ) में यह प्रावधान रखा है कि जो भी पूंजी साहूकार लेन-देन के धन्धे में लगाये हर साल उसको डिक्लेरेशन, ऐलान करना पड़ेगा कि कितनी पूंजी उसने लगाई है। जब दाम-दुपट का सिद्धान्त मानते हैं तो यह भी बेकार है। क्लॉज ११ सब क्लाज (२) में ५००) रु० जुर्माना की व्यवस्था लाइसेंस न लेने की

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हालत में की गई है। यह व्यवस्था कानून और कोमन सेंस, सामान्य बुद्धि के भी विपरीत है और इस वास्ते में सरकार को यह निवेदन करूंगा कि यह परमावश्यक है कि ५ साल में एक दफा लाइसेंस देने की व्यवस्था होनी चाहिये। मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि क्लॉज़ ६ और क्लॉज़ ११ को साथ से ध्यानपूर्वक पढ़ कर ऐसी कोई व्यवस्था करें जिससे किसान और साहूकार दोनों को राहत और सहूलियत मिल सके।

क्लॉज़ २० के सम्बन्ध में जो हिसाब रखने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है वह भी बहुत पेचीदा है। गरीब आदमी और जो सामान्य शिक्षा प्राप्त व्यापारी हैं वे कभी भी इस प्रावधान के अनुसार हिसाब मुकम्मिल रूप में नहीं रख सकते और अगर आपको क्लॉज २० के अन्दर कोई भी व्यवस्था हिसाब रखने की करनी है तो मैं यह भी अनुभव करता हूं कि कुछ तो हिसाब रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, तो उस व्यवस्था को सरल करें, मामूली बुद्धि का, मामूली पढ़ा-लिखा भी हिसाब रख सके ऐसी व्यवस्था होना, मेरी समझ में, परमावश्यक है।

क्लॉज़ २२ के सम्बन्ध में मैं समझता हूं यह सारा का सारा क्लॉज़ रिडन्डेन्ट है, अनावश्यक है, क्योंकि इसके अन्दर जो भी मुद्दा है वह काबिल समाअत अदालत है और जस्टीफाएबल केस है जो काबिल समाअत अदालत है। इस कानून में दोहरा प्रावधान रखना अनुचित है और अवांछनीय है।

क्लॉज़ २७ के सम्बन्ध में भी मेरा यही निवेदन करना है कि रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट, सूद की दर को कुछ हद तक नियन्त्रित रखें, लेकिन दाम-दुपट का सिद्धान्त आप मान लेते हैं, इस सूद के लिए जो व्यवस्था क्लॉज़ २७ में की है वह अनावश्यक है।

क्लॉज़ २८ के सब क्लॉज़ (ए) व (बी) और (सी) में जुर्माने की व्यवस्था २००), ५००), १०००) रु० क्रमशः की है। उसके अन्दर ६ महीने की सजा कैद का भी प्रावधान रखा है वह भी मेरे ख्याल से एक घातक और ईमानदार, अच्छे व्यक्ति होंगे वे इस व्यापार के धन्धे को कम कर देंगे या इसको बन्द कर देंगे। इससे ग्रामीण जनता की और दूसरी जनता की दिक्कतें बढ़ जावेंगी। क्या हर गांव में आप सहकारी बैंक स्थापित कर सकते हैं? कदापि नहीं। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी के माननीय सदस्य, जो चाकसू से आए हैं, उन्होने असहमति का जो नोट दिया है इस सम्बन्ध में उसका मैं समर्थन करता हूं।

क्लॉज़ ४० के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि इसको रीकास्ट करना आवश्यक है। सब-कमेटी के सदस्यों ने इस कानून को ठीक नहीं समझा है। आपकी पार्टी के नियन्त्रण के द्वारा, आपने व्हिप काम में लेकर कुछ ही किया हो, सब-कमेटी के माननीय सदस्यों तक ने इस कानून को ठीक नहीं समझा है, इसलिए इस कानून को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और अगर आप जिद्द में आकर ताबड़-तोड़ में पास करना चाहते हैं तो इस प्रकार के कानून की यह व्यवस्था होगी कि साहूकार चोर करार दिया जावेगा।

एक मिनट में नोट ऑफ डिसेन्ट में स्ट्राइकिंग पेसेजेज़ मेरी दृष्टि में आये हैं वे मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा:

"In the year 1951-52, Co-operative institutions would meet

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

only three percent of the credit needs of the Agriculturists in that year, and in course of the last decade, there was not a very adequate improvement in the situation. In the year 1962-63 (according to the information available from Government sources) the co-operative institutions could meet only up to 20-22% of the credit needs of the Agriculturists. Thus it is apparent that at the moment nearly 80% of the credit needs of the agriculturists are met with sources other than Government or co-operative credit agencies."

इसके अतिरिक्त यह एक और स्ट्राइकिंग पैसेज है, यह भी मैं सदन के समक्ष सरकार के विचारार्थ निवेदन करूंगा :

"This so called tender solicitude for the welfare of the peasants would be nothing but a fly in ointment. Many sections of this Bill are the Weft and Warp of dishonesty and fraud and thereby they would from such a fabric which even if desired to destroy would blunt the scissors of our efforts. Only correct opinions based on any subject are the best preservatives against the seductions of error.

यह नोट ऑफ डीसेन्ट माननीय सदस्य, जिनकी विभाजन संख्या क्रमशः १५७, ११४, ८२ और ३७ हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

एक तरफ आप लम्बी-चौड़ी बातें करते हैं। कहते हैं, हम गरीबों का भला करते हैं लेकिन मै तो समझता हूं, सभापति महोदया, कि गरीबों का कोई विशेष हित सरकार के द्वारा नहीं हो पाया है। क्या सांसी, क्या कंजर, क्या गाड़िया लुहार, क्या हरिजन आदि; उनके जीवन के अन्दर भी बहुत कम फर्क हुआ है। एक तरफ तो यह दशा है और दूसरी तरफ आप इस विशाल देश की ५० करोड़ जनसंख्या हैं उसमें एक करोड़ या एक करोड़ से कम का वह तबका है जिसके द्वारा भारतीय खजाने के अन्दर करीब करीब ७० प्रतिशत रुपया जमा होता है टैक्सों के द्वारा, उसको आप जलील करते हैं, उसको आप कोसते हैं, उसके लिए आपके मन में स्थान नहीं है, आभार प्रदर्शित तो कहां करना? लेकिन निवेदन यह करूंगा, सभापति महोदया, इस तबके के प्रति भी आप टेढ़ी निगाह से देखते हैं और न्यायोचित व्यवस्था करेंगे इस तबके के प्रति तो देश का, मेरे खयाल से, हित होगा।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मथुरेशविहारी।

(अनुपस्थित)

श्री अमरसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूलाल करौल।

श्री नाथूलाल करौल (चाकसू) : माननीय सभापति महोदया, साहूकार विधेयक सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट सहित सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है। माननीय सभापति महोदया, मुझे इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन मुझको मजबूर होकर मेरा मोशन मूव करना पड़ा है। क्योंकि माननीय सभापति महोदया, मैं सिलेक्ट कमेटी का सदस्य था। जब सिलेक्ट कमेटी की बैठक हो रही

(श्री नाथूलाल करौल)

थी उस समय हर एक क्लॉज़ पर विचार किया जा रहा था, और जब हरेक क्लॉज़ पर विचार होरहा था तो सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य हर एक क्लॉज़ जो अच्छा क्लॉज़ जंचता था उसको पास करते जाते थे और नहीं जंच रहा था उसको वे आॅपोज़ कर रहे थे। जिन क्लॉजेज़ में आॅपोजिशन होता उन्हें भी सत्तारूढ़ दल पास करता रहा था। माननीय सभापति महोदया, उनका आॅपोजिशन दोनों तरफ से हो रहा था। माननीय उपमंत्री महोदय यह कहते जाते थे कि भाई नोट ऑफ डिसेन्ट दे देना और नोट ऑफ डिसेन्ट देने की नौबत आयी। धौलपुर से आए हुए माननीय सदस्य ने अपना नोट ऑफ डिसेन्ट तैयार किया और उस पर दस बारह सदस्यों के दस्तखत करवा लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : माननीय चेयरमैन, इस मामले में काफी बहस हो चुकी है।

श्री सभापति : जारी रखिये।

श्री नाथूलाल करौल : माननीय सभापति महोदया, माननीय उप-मंत्रीजी कह रहे हैं वह बिल्कुल ठीक है। बहस हो चुकी है लेकिन बहस का टाइम आज भी है उस पर, इसलिए उसको लाना जरूरी है।

माननीय सभापति महोदया, दस-बारह माननीय सदस्य, सत्तारूढ़ और अपोजिशन, दोनों ने मिल कर उस पर साइन कर दिये। और साइन करने के बाद नोट ऑफ डिसेन्ट माननीय अध्यक्ष महोदय के पास जाता है तो कुछ लोगों में हिचकिचाहट आयी। सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यों को मुख्यमंत्री के दबाव से या माननीय उप-मंत्री महोदय के दबाव से या किसी वजह से दबाया गया नोट ऑफ डिसेन्ट पर जो साइन थे उनको कटवाया गया। सभापति महोदया, जब इस बिल पर सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों की नामन्जूरियां थी तो जबरदस्ती से सिलेक्ट कमेटी द्वारा पास कर दिया गया और सदन में रखा गया।

मैं समझता हूं कि इस बिल को फिर से उसी सिलेक्ट कमेटी को सौंप दिया जाय जिसने इसका प्रतिवेदन तैयार किया है, क्योंकि उस सिलेक्ट कमेटी की बहुमत के आधार पर राय नहीं थी। धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और सत्तारूढ़ दल में बैठने वाले माननीय सदस्यों ने जो उस सिलेक्ट कमेटी में थे उनको अलग ले जाकर पूछा जाय तो वे कहेंगे कि उन्होंने नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है और सही दिया है। उनकी आत्मा से पूछा जाय तो वे अपनी इच्छा से तैयार नहीं थे, जबरदस्ती रिपोर्ट तैयार की गई। इसलिए यह जो बिल है उसे वापिस उसी सिलेक्ट कमेटीको भेज दियाजाय, क्योंकि माननीय सदस्य जो सिलेक्ट कमेटी में थे उनकी बहुमत में यह राय नहीं थी। इसमें डिफीकल्टी क्या है? जब कि लोग नहीं चाहते थे तो फिर ड्राफ्टिंग इसका दूसरा बनना चाहिए। यह गलत है, इस तरह का जो ड्राफ्ट किया गया है कि इससे काश्तकारों को और मनीलेन्डर्स दोनों को तकलीफ होगी।

हम काश्तकारों को साल में आठ मर्तबा मनी लेन्डर्स के पास जाना पड़ता है। जिनका बैल थक गया तो मनीलेन्डर्स के पास जाओ, कोई चरस फट गया तो मनीलेन्डर्स के पास जाओ, लाव टूट गया तो मनीलेंडर्स के पास जाओ, बैल मर गया तो मनीलेन्डर्स के पास जाओ, इस प्रकार से हर मुसीबत पर मनीलेन्डर्स के दरवाजे को खटखटाना पड़ता है। ७५ प्रतिशत काश्तकार ऐसे हैं जिनको बिना

(श्री नाथूलाल करौल)

मनीलेन्डर्स के पास जाये उनका काम नहीं चलता । केवल २५ प्रतिशत काश्तकार ऐसे है जो अपना गुजर-बसर कर सकते हैं । मुझे इस बिल को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होती यदि आपका कोआँपरेटिव मूवमेंट फेल नहीं होता । आपका यह कोआँपरेटिव मूवमेंट सक्सेसफूल होता तो मनीलेन्डर को छोड़ देते । और को-आँपरेटिव द्वारा तो केवल साल भर में एक बार कर्जा दिया जाता है । अगर दुबारा ड्यूज उसमें बाकी हों तो दुबारा कर्जा नहीं दिया जाता है । सहकारी समितियों द्वारा खास तौर से देखा गया है कि ड्यूज बकाया न हो तो पैसा मिलता है । ड्यूज बकाया हो तो नहीं मिलता है और इस तरह से साल भर में एक मर्तबा कर्जा देती है । एक-बार से अधिक बार कर्जे की जरूरत पड़ जाए तो बेचारा काश्तकार कहां जाए ? आखिर उसे मनीलेन्डर के पास ही जाना पड़ता है । मै निवेदन करूं, यह बिल जो लाया गया है यह मनीलेन्डर और काश्तकार दोनों के लिये अच्छा नहीं है । साहूकार के लिए और कर्जा लेने वाले के लिए यानी डेटर व क्रेडीटर दोनों के लिए अहितकर है । मैं आपसे निवेदन करूं, इस बिल में जो क्लॉज ५ रखा है जिस रोज से यह बिल अमल में लाया जायगा उसके छः महीने के अन्दर अन्दर उस को लाइसेन्स लेना होगा उसके साथ-साथ बही-खाते और रोकड़ को ठीक कर देना चाहिए । यह आप अच्छी तरह से जान सकते हैं कि आज का मनीलेन्डर अशिक्षित है, बहुत कम पढ़ा-लिखा होता है । वे पंडितजी जिस प्रकार की शिक्षा गांवो मे देते हैं वह शिक्षा ने जानते है। वे स्कूलों की पढ़ाई तक पहुंचते नहीं। इस तरह से आधुनिक तरीके से कागजात रखना रोकड़ बही को रखना उनके लिए बड़ा मुश्किल है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदया मेरा नोट आफ डिसेन्ट है । इसलिए मुझे ज्यादा समय मिलना चाहिए।

श्रीमती सभानेत्री : केवल चार मिनट और दिये जाते हैं ।

श्री नाथूलाल करौल : चार मिनट कम रहेंगे ।

क्लॉज पांच के अन्दर रखा है अवधि; वह कम से कम साल भर की अवधि होनी चाहिए ताकि लोग-बाग खाते की नकल वगैरह ठीक तरह से दे सकें । इसके साथ-साथ क्लॉज३८ के अन्दर तीन मर्तबा अपराध हो गया पहले और दूसरे मर्तबा में जुर्माना और तीसरी मर्तबा में एक हजार रुपया जुर्माना और छः महीने की सजा रखी हैं; माननीय सभापति महोदया, मनीलेन्डर एक तरफ तो पैसा देता है और जेल अलग भुगतना होगा । लेन- देन का जो धन्धा है वह आपसी सहमति से चलता है । जिस समय काश्तकार के सामने दिक्कत आती है तो उसको केवल मनीलेन्डर की सहायता ही मिलती है । को-आँपरेटिव का हिसाब-किताब खत्म हो रहा है । मैं सिलेक्ट कमेटी को इस लिए देने के लिये कह रहा हूं कि इस सम्बन्ध में लीनियेन्सी बरती जाय जिससे काश्तकारों को सहूलियत हो सके ।

तीसरी बात जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि गांव के अन्दर बहुत से काश्तकार हैं जो आपस में लेन देन करते हैं उनको भी लाइसेन्स लेना पड़ेगा । मेरा निवेदन

(श्री नाथूलाल करील)

है कि उनको पांच हजार तक के लेन-देन की छूट देनी चाहिए। दूसरा इसके अन्दर जो सजा का प्रावधान किया गया है उस सजा को खत्म किया जाय और जो पीरियड ६ महीने का रखा है उसकी जगह बारह महीने का किया जाय।

चौथी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि काश्तकारों को अपना हिसाब रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार किसी को देने को जो अवधि रखी है वह छः महीने से कम की अवधि नहीं होनी चाहिए।

एक निवेदन और कर दूं। इस बिल के अन्दर उन काश्तकारों के मुतल्लिक जो काश्तकार लेन-देन का कार्य करे उन काश्तकारों के लिए लाइसेन्स नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो २७वें क्लॉज में ब्याज की दरों के लिए रखा गया है इन्ट्रेस्ट १० पर्सेन्ट, १२ पर्सेन्ट जो कुछ गवर्नमेंन्ट चाहे मुकर्रर कर दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल में बहुत सारी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए फिर उसी सिलेक्ट कमेटी को यह बिल दे दिया जाय ताकि इस पर पुनः विचार करके आने वाले सत्र में वह फिर से पेश करे। इस तरह से मैं इस बिल का घोर विरोध करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : सभापति महोदया…

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदया, जिस समय माननीय सदस्य का नाम पुकारा गया था उस समय आप मौजूद नहीं थे।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : एक बार नाम पुकारने पर उपस्थित नहीं थे इसलिए सब नाम पूरे हो जाने के बाद वापिस उनका नाम लिया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): दूसरे स्पीकर्स के नम्बर आने के बाद इनको समय मिल सकता है। आपका नाम पुकारा गया था उस समय आप उपस्थित नहीं थे।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : सभापति महोदया, राजस्थान मनीलेंडर्स बिल, १९६३ जो विधान सभा में प्रस्तुत हुआ है मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूं। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने कुछ तथ्यपूर्ण सुझाव दिये हैं और कुछ माननीय सदस्यों ने इसका घोर विरोध भी किया है।

सभापति महोदया, जब यह इतना प्रोग्रेसिव बिल है यह पांच-छः वर्ष पहले आ जाना चाहिए था। पहली दफा भी यह बिल इस विधान सभा में प्रस्तुत हुआ था, किन्तु यह लैप्स हो गया था। अब बड़े सोच-विचार के बाद आम जनता की मांग थी इसलिये राज्य सरकार ने यह बिल प्रस्तुत किया है, इसके लिये सरकार धन्यवाद की पात्र है।

द्वितीय, इस बिल में जो प्रोविजन्स रखे गये हैं उनका मूल उद्देश्य इस मनीलेंन्डिग को, इस ट्रान्जेक्शन को कंट्रोल और रेगुलेट करने की सरकार की मन्शा है। कुछ सदस्यों द्वारा कहा गया कि मनीलेंन्डिग बिजनेस को सरकार भंग करने जा रही है। लेकिन उसमें जो क्लाजेज़ हैं उनको देखने से साफ जाहिर होता है कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं

Page No.104

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

है। इसमें जो मनीलेन्डिंग बिज़नेस है किसी जिले में किसी रूप म होता है, किसी में रेट आफ इन्ट्रेस्ट हाई है, कहीं लो है, इस तरह से काश्तकारों के साथ जो धंधा करते हैं उनमें काश्तकारों का एक्स्प्लॉयटेशन करते हैं, इस बिल द्वारा इस प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने की सरकार की मंशा है।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस बिल के प्रोविजन्स का घोर विरोध किया है। वह सिर्फ विरोध करने के नाते विरोध किया है, उनका हार्ट जानता है कि यह कितना प्रोग्रेसिव बिल है। इससे किसानों को रिलीफ मिलेगा। केवल उन्होंने विरोध के लिये विरोध किया है बाहरी रूप में वे घोर विरोध करते हैं, लेकिन वास्तव में इस बिल के क्लाजेज को देखा जाय तो कुछ क्लॉजेज मे दिक्कत होसकती है,उनको सरकार के ध्यान में लाया जाकर सुधार करवाया जा सकता है, लेकिन जहां तक इस बिल का मूल उद्देश्य है उससे सारा सदन सहमत है।

सभापति महोदया, मैं जिस जिले से आता हूं वहां पर मनीलेंडर्स का बड़ा भारी आतंक है। पहले जिस प्रकार का आतंक जागीरदारों का था उतना ही आतंक इन मनीलेन्डर्स का भी है।इन लोगों को शाइलॉक की संज्ञा दी जाय तो भी कम है।ऐसे ऐसे तथ्य आपके समक्ष अर्ज किये जावें तो सदस्यों को यह मालूम होगा कि यह बिल जरूरी है ताकि एक्सप्लॉइटेशन जो इस बुरी तरह से हो रहा है वह रुके।

जालौर और पाली की मैं हालत बताता हूं। कोई भी अच्छी माली हालत वाला अगर किसान वहां होता है तो उसका अंगूठा किसी तरह देकर और अपने रिश्तेदारों की दो गवाही कराकर डिक्री हासिल कर लेते हैं; कोई उनको सूचना नहीं, कोई उनको लेन देन का वास्ता नहीं है, इस तरह का जुल्म भी होता है। उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। आज का लॉ भी ऐसा ही बना हुआ है। उसके पास इन्वेस्टमेंट करने को कोई पैसा अधिक नहीं होता, परन्तु फिर भी इन साहूकारों के पास दो-दो लाख और पचास-पचास हजार के ऐसे मामले उनके पास निकलेंगे। तो जब हमने जागीर-प्रथा को समाप्त किया तो इस यहूदीपन की घृणित प्रथा को भी बन्द करना होगा। शुरू शुरू में अच्छी हो सकती थी यह प्रथा, बाद में बुराइयां पैदा हुई। शुरू में अच्छी भावना से चालू किया होगा, पर समय के साथ साथ लोगों की लालसा और मन की कामना और लोभ-लालच बढ़ता गया और जैसा मनुष्य का स्वभाव है, आज यह प्रथा भी अभिशाप बन कर रह गई है,किसानों के लिए। यहां तक कि सौ का दो सौ कर देना और दो रुपये से लेकर चार-चार और पांच-पांच रुपया सैंकड़े का ब्याज लेना आम बात हो गई है। इनको कोई हिचकिचाहट नहीं होती, इनको दया नहीं आती। ये काश्तकार इस तरह से मनीलेन्डरों के कब्जे में आ जाता है और पीढ़ियों तक उसका पीछा नहीं छूटता। एक मन बाजरा भी अगर ले लिया किसी ने तो वह भी पीढ़ियों तक नहीं चुकाया जा सकता। अब इसका तो कोई एक्सटेन्सिव रूप में सर्वे हो तो पता चले।

तो जब इतनी खराबियां इसमें पैदा हो गई है तो ऐसे बिज़नेस पर कंट्रोल करना लाजमी है, सरकार की मंशा फिर भी केवल रेगुलेट करने की है, बन्द करने की कतई नहीं है। सदन का कोई सदस्य सरकारकी इस मंशा में शक करने का कोई कारण बता नहीं सकता भावना साफ है इसके पीछे। एक्सप्लॉइटेशन

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जो आज हो रहा है वह बन्द हो, ठीक वाजिब रेट पर ब्याज पर रुपया किसान को मिले जिसको रेगुलेट किया गया है केवल । लोगों की तो मेरे इलाके में यह धारणा है,यह कहना है कि ऐसा बिल जल्दी क्यों नहीं लाया गया। यह बम्बई के इलाके में है। बम्बई से लगता हुआ हमारा इलाका जो है वहां के लोग कहते हैं, यह कानून हमारे यहां क्यों नहीं लाया जाता ? तो यह बम्बई में है, आन्ध्र में है, उडीसा में है,और भी प्रान्तों में हो सकता है।

राजस्थान के ८० प्रतिशत किसानों को राहत पहुंचाने वाला यह कानून होगा। अब अगर किसी साहूकार की नीयत साफ है,बेईमानी करने की इच्छा नहीं है तो इस कानून के मातहत वह लाइसेन्स लेकर अपना हिसाब बाकायदा रख कर अपना बिजनेस चला सकता है। तो इस बिल के प्रोवीजन में उनके लिए भी ऐसी कोई बात नहीं आती है कि उसके लिये कुछ अदरवाइज सोचा जावे ।

अब इसमें मेरे ख्याल से इसका प्रोवीजन और होना चाहिए कि जिससे रेट आफ इन्ट्रेस्ट को पूर्ण रूप से कंट्रोल किया जा सके और रुपया वास्तव में काश्तकार को दिया गया है या नहीं, यह देखा जा सके। इसके लिए ऐसा कोई प्रूफ होना चाहिए जैसा रजिस्ट्री लोग कराते हैं किसी की। तो वास्तव में रुपया दिया गया या नहीं, इसको जानने की रजिस्ट्री जैसीही कोई व्यवस्था करनेकी आवश्यकता है। वर्ना आज कल अमूमन आमतौर से यही शिकायत रहती है कि पैसा पूरा दिया गया या नहीं। कोर्टों के फैसलों में हमें यही देखने को मिलता है। हाई कोर्ट तक ने फैसले दिये हैं। ऐसे शायलॉक्स हमारे यहां हैं और वे इतना फर्जी अकाउन्ट्स रखते हैं कि उनको कोई दया और रहम नहीं आती। उन जजमेंटों को देखा जावे तो इन शाइलॉक्स के कारनामों को देख अक्किल चक्कर खाने लगती है। आप इन फैसलों को देखेंगे तो आपको मेरी बातों पर यकीन हो जायेगा कि ऐसे भी इलाके हैं जिनमें इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन करते भी इन साहूकारों को दया नहीं आती। गांवों में ऐसे ऐसे भी किस्से आपको मिलेंगे कि किसी खाते पीते किसान को देखकर महाजन उसके नाम से फर्जी खाता खोल लेता है, उसका अंगूठा या ब्लर्ड अंगूठा कर लेता है और अपनी टेस्टीमनी गवाहियों के बल पर वह डिक्री हासिल कर लेता है, ब्लर्ड अंगूठे के कारण टेस्ट करने वाला भी बे-असर हो जाता है और साहूकार डिक्री हासिल करके उससे वसूली कर लेता है।तो इसतरह वह किसान तो बिचारा अपने कर्मों को हमेशा रोता रहता है। तो ऐसे शाइलॉकों के चंगुल से छुड़ाने के लिये इस कानून की सख्त आवश्यकता थी ताकि उनको अब भय हो जाय कि वे अब इस तरह से एक्सप्लाट नहीं कर सकते, केवल ईमानदारी से ही अगर अपना धन्धा करना चाहे तो कर सकेंगे। आज यह भी करते हैं कि अंगूठा कराकर खाता लिखा लेता है, मयाद न निकल जाये तब तक बताता नहीं,बादमें एकदम कुर्की ले आते हैं और तैयार फसल के मौकेपर ऐसा करते हैं और उस तैयार फसल को ले जाते हैं। ऐसे भी किस्से इलाकों में बहुत होते हैं।

उन लोगों को सेफगार्ड करने के लिए सरकार को इस बिल को सख्त से सख्त बनाने की आवश्यकता है। तो माननीय सभापति महोदया, मैं इस ओर माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो इस बिल के कुछ क्लॉजेज हैं उनको और सख्त बनाने की आवश्यकता है। यहां पर जो क्लॉज़ ८ में प्रोवीज़ो जोड़ा गया है,

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

सिलेक्ट कमेटी के द्वारा इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है मेरे विचार से :

'provided that the State Government may at any time on an application in the prescribed form accompanied by the prescribed fee remove a disqualification under clause (d) (ii) of this sub—section having regard to the time which has elapsed since the order and the circumstances under which it was made or to the time that has elapsed since the conviction and to the nature of the offence.'

अगर किसी मनी लेण्डर को ऑफेन्स करने पर सजा होगी तो सरकार को वापिस उसको एग्ज़ोनरेट करने का अधिकार होगा। उसको वापिस लिस्ट पर लेने को मैं न्यायोचित नहीं समझता हूं। इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अगर वह कन्विक्शन प्राप्त करता है और उसकी यह हरकत है कि इन्नोसेन्ट आदमियों को फंसाने के लिए या फर्जी दस्तावेज करके मनी वसूल करने की कोशिश करता है तो ऐसे आदमियों के लिए कोई रियायत होने की जरूरत नहीं है और सरकार को वापिस एग्ज़ोनरेट करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

(समय–समाप्ति सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदया, दूसरा क्लाज़ १३ है उसमें सब–सेक्शन (२) है :

"Alongwith such application the said person shall deposit such amount not exceeding one hundred rupees as the Registrar may deem fit."

(समय-समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्रीमती सभानेत्री : अभी क्लॉज़ बाई क्लॉज़ डिस्कशन नहीं हो रहा है। आपने अमेन्डमेंट्स दिये हैं तो कल आप और कह सकेंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह जो क्लाज़ १३ है उसमें भी संशोधन की आवश्यकता है। अगर कोई एप्लीकेशन करे मनी लेण्डर के खिलाफ तो उसके साथ १००)रु० की फीस भी डिपोज़िट करे। इसका मतलब यह होता है कि गांव के उस आदमी को एप्लीकेशन देने के साथ भी १००) रुपये देने होंगे जो कुछ ठीक नहीं लगता।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

५ मिनट में ही समाप्त कर देता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : एक ही मिनट में आप कम्प्लीट कर दें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: कांग्रेस की ओर भी तो टाइम देना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : कांग्रेस में और भी कई बोलने वाले हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह १०० रुपये का जो प्रोवीज़न है यह खत्म कर देना चाहिए क्योंकि एप्लीकेशन करना ही काफी है। एक तो गांव का आदमी बेईमानी नहीं कर सकता कि वह झूठी एप्लीकेशन दे। अगर करता है तो आगे अपील का भी तो

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

प्रोवीजन हैं। इसलिये इसमें संशोधन की आवश्यकता है।

इसके अलावा जो दूसरा.........

श्रीमती सभानेत्री : आपके जो अमेन्डमेंट्स हैं जब आपका टर्न आये तो आप कल बोल सकते हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इसलिए ये प्रोवीजन्स ऐसे हैं.........

श्रीमती सभानेत्री : आप कल बोल सकते हैं। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : दो मिनट और दें।

श्रीमती सभानेत्री : मुझे क्षमा कीजिये, नहीं दे सकती।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसलिए इसमें कुछ प्रोवीजन्स ऐसे हैं कि जिनका संशोधन करना जरूरी है इसलिए इस बिल को दूसरी सिलेक्ट कमेटी को दिया जाये।

श्रीमती सभानेत्री : श्री जगनसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : सभापति महोदया, मैंने जब यह बिल पढ़ा तो मुझे ख्याल था कि शायद हमारी कांग्रेस की सरकार अपने पुराने वक्त के रिज़ोल्यूशन्स को ध्यान में रखेगी, जो मेनीफेस्टो में अपने विचार जाहिर किये थे उन पर स्टिक रहेगी। मगर इस बिल को पढ़ने के बाद ऐसा मालूम पड़ा जैसा कि मेरे से पूर्व बोलते वक्त एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि हमारी हिस्ट्री में एक लैण्डमार्क है। मैं इसको हिस्ट्री में कोई लेण्डमार्क नहीं समझता। जब सर छोटूराम जी जिन्दा थे और पंजाब में यूनियनिस्ट सरकार थी तो मुझे मालूम था उस समय का कि उन्होंने क्या सुधार किये। मैं नहीं चाहता कि वह स्पीच आपके सामने पढ़ कर सुनाऊं। मगर उस ऑर्डीनेन्स को, उस वक्त के पीस–लेजिस्लेशन को जरूर लैण्डमार्क समझता हूं रूरल फैमिलीज़ के लिए, एग्रीकल्चरिस्ट्स के लिये और उन लोगों के लिए जो कि सदियों से मनीलैण्डर्स के चगुंल में फंसे हुए थे। आज भी सभापति महोदया, रूरल फैमिलीज़ मिलेंगी जो कि जेनरेशन्स टुगेदर, those who are born in debt मुझे वह सब याद है जिनकी पैदाइश ही कर्जों में होती है those who drag their petty existence in debt. जो अपनी रोजमर्रा की बड़ी मुश्किलात से जिन्दगी व्यतीत करते हैं those who die even in debt.

आज भी ऐसी फैमिलीज़ हैं और हम सोचें कि इस बिल की मार्फत जब यह एक्ट बन जायेगा तो क्या आप उस एक्सप्लोइटेशन (शोषण) को बन्द कर देंगे? मैं नहीं समझता कि आप उस एक्सप्लाइटेशन को बन्द कर सकेंगे। माननीय सभापति महोदया, बड़े अदब के साथ मैं ट्रेज़री बेन्चेज से कहना चाहता हूं कि अब भी इस बिल में ऐसे क्लाजेज हैं कि एक तरफ तो आप ऑपरेशन करते हैं तो दूसरी तरफ एक्सप्लोइटेशन को आप प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। मैं वक्त आने पर उन क्लॉजेज को पढ़ कर सुनाऊंगा। फिलहाल मेरी मान्यता है कि इस बिल से जो लोगों ने शंका जाहिर की कि मनीलेन्डिंग बिज़नेस बन्द हो जायेगा, लोग पैसा नहीं देंगे,

(श्री केदारनाथ)

पैसा जमा कर लेंगे, होर्ड कर लेंगे, यह जो शंका है लोगो की यह गलतफहमी से भरी हुई है। कहाँ जायेगा पैसा? इसके ३ ही तरीके हैं पैसे को होर्ड करने के। या तो यह है कि लोग पैसे को होर्ड करेंगे–वह होर्ड सोना-चांदी में तो करने से नहीं रहा, क्योंकि मुरारजी ने ऐसा कानून बना दिया, हालां कि उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन लोगों को आशंका जरूर होगी कि सोने के नाम से कोई होर्ड नहीं करेगा। दूसरा तरीका यह है कि कोई इन्डस्ट्री खोलेगा। हो सकता है कि वह जमीन खरीदे। इस तरह से तमाम पैसा सर्कुलेशन मे आयेगा। तीसरी बात यह है कि वह बैंक में जमा करा दे। मैं नहीं सोचता कि बैंक में जमा कराने के बाद ४ परसेन्ट इन्टरेस्ट से वह जिन्दा रहे और अपनी आज की ऐशोआराम की जिन्दगी बसर करे। अगर होर्ड करता है तो सरकार को लाजमी कदम उठाने पड़ेंगे कि होर्डिंग किए हुए मनी को कैश बाहर लाया जाये। यह सरकार का फर्ज है। इसलिए ये ३ तरीके हैं जिससे पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। इसलिए लोगों ने जो आशंका जाहिर की कि मनी लेंडिंग बिजनेस बन्द हो जायगा, किसानों को दिक्कत होगी यह शंका उनकी गलत है। मैं यह समझता था कि जो यह बिल लाया गया है यह इसलिए लाया गया है कि किसानों का एक्सप्लोइटेशन बन्द हो, सहकारिता के बारे में इसलिए सोचा गया कि लोग ईक्वल स्टेटस के स्तर पर आकर सोचें और तीसरे जो विकास के काम हो रहे हैं इसमें लोगों की श्रद्धा हो और लोग नजदीक आयें और ऊंच-नीच की भावना मिटे। लेकिन जो चीज अब आखिर में जाकर आई है उसको सबसे पहले आना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस बिल के द्वारा आप एक्सप्लोइटेशन बन्द कर सकेंगे। मेरी मान्यता नहीं है कि आप ऐसा कर सकेंगे क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं कि मनी-लेंडर्स को रियायत मिलती है वह बन्द हो। इसमें एक गलत बात है और वह यह है कि उसको कौन गिरफ्तार करे जो कि यह बिजनेस करता है? उसको डी० एस० पी० की रेंक का ऑफिसर है और किसान अपनी रकम नहीं देता, किसान के ऊपर कोई झूठा मुकदमा बनाता है तो हैड कॉन्सटेबल काफी है उसके लिए। आज १०८ और ११० के मुकदमे चलते हैं। चाहे कोई भी हो, एम० एल० ए० या एम० पी०; उसको तो एक थानेदार गिरफ्तार कर सकता है। मनी-लेंडर्स को पकड़े डी० एस० पी०। मैं नहीं समझता कि इस टावरी महल में बैठकर, ऊंची हवा में बैठकर आपने कानून बनाया, एक्सप्लोइटेशन आप बन्द करना चाहते हैं समाज के स्टेटस–को (status quo) को कायम रखना चाहते हैं, ये दोनों चीजें नहीं चल सकतीं जिस क्लास का स्टेटस एक्सप्लोइटेशन के ऊपर डिपेण्ड करता हो। डिस्क्वालीफाई होने के बाद क्रेडिटर ६ महीने के अन्दर फिर लाइसेन्स बना सकता है, यह ऐसा प्रोवीजन है कि जिससे वह एक्सप्लोइटेशन कायम रहता है, किसी न किसी शकल में रहता है। यह एक्सप्लोइटेशन बन्द नहीं रहता। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या आपने फैसला कर लिया कि एक्सप्लोइटेशन किसानों का बन्द कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं। यही ज़बाब आयेगा कि दरअसल यह नहीं है। नीयत आपकी कुछ और है और रिजोल्यूशन कुछ और है। अनेक प्रकार के रिजेल्यूशन पास किये। स्टेट ट्रेडिंग का पास किया, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं सोचते हैं। कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को, कोऑपरेटिव बैंक सारे पोलिटिकल गेम

(श्री केदारनाथ)

(game) बने हुए हैं। कोग्रॉपरेटिव मूवमेंट में इसको गौण मानता हूं। मैं सोचता हूं कि सरकारी मशीनरी को जहां कि सारे इन्स्ट्रमेंट को, कोग्रॉपरेटिव मूवमेंट के इन्स्ट्रमेंट को, इन क्रेडिट सोसाइटीज़ को आपने एक पोलिटिकल गेम बना दिया। सरकार इसमें बहुत वड़ा पार्ट प्ले करती है। मैंने देखा है कि चुनावों के वक्त में उन लोगों को लोन दिये गये हैं जिन्होंने कि वोट दिये हैं या जो कि वोट देंगे। हर इन्स्ट्रमेंट का हर तरह से एक्सप्लोइटेशन होता हैं। इसको इसलिए ऐसा बनायें कि हमारे काम से ऐसा आभास निकले कि लोग हमारे नाम से कन्विस्ड हों। सारे काग्रॉपरेटिव मूवमेंट को इस तरह से ले जाना चाहिए। लोगों का इस तरह से इन्तजाम कर सकते हैं तो यह फायदेमन्द हो सकता है। सरकार के एक्सप्लोयटेशन से तो वे ठीक होंगे। दोनों का मुकाबला करते हुए अगर सरकार आज के कोग्रॉपरेटिव मूवमेंट से सेटिस्फाइड हो तो उसके बारे में यह जो कर्जा सर्वे रिपोर्ट है। उनका यह कहना है:–

'Cooperative loans fall for short of the actual needs or Cooperative loans are not used for the right perpose.' Credit Societies.

कि २० पर्सेंट कर्ज देंगे तो अन्य कर्जे की व्यवस्था कहां से करेंगे? मैं सोचता हूं कि मनीलेंडर्स का आल्टरनेटिव प्रापोजल हमारे सामने तजवीज कीजिये। सोसाइटी के ढांचे को बदलिये नहीं तो इस तरीके से तो सारा कारोबार बन्द होगा। क्रेडिट सोसाइटीज़ का लिंक मार्केटिंग सोसाइटी से नहीं है कोई स्टेट ट्रेडिंग नाम की चीज नहीं है। किसानों को मालूम नहीं है कि उनकी प्रोड्यूसर्स की क्या कीमत मिलने जा रही है। उसको यह नहीं मालूम है कि वह कहां बेचेगा। किसानों की आज खुले मार्केट में लूट होती है। क्रेडिट सोसाइटीज़ के द्वारा राजनैतिक लूट होती है, कोग्रॉपरेटिव बैंक द्वारा राजनैतिक लूट होती है, किसानों की पंचायत समिति द्वारा लूट होती है। आप मनी लेंडर्स की लूट तो बन्द करने जा रहे हैं, तो वह अन्डर लिमिट, अन्डर किसी गार्ब, कलर के में रहेगी आजजो लोन मिलता है उसकी रिपोर्ट है कि ६० पर्सेंट लोन उनको जाता जो कि ट्रेडर्स या लैंड होल्डर्स हैं। जो लोन कोग्रॉपरेटिव सोसाइटीज़ और बैंकों के मार्फत मिलता है उसका ६० पर्सेंट उनके पास जाता है। पोलिटिकल गेंगस्टरिज़्म डाइरेक्टर्स के चुनाव में होता है। एपेक्स बैंक का चुनाव देख लें तो उसमें मिनिस्टर्स कन्वेसिंग करते हुए मिल जायेंगे। कई बार रूल्स को रिलेक्स किया जाता है, डिसीजन्स बदले जाते हैं, सारे का सारा एटमोस्फियर ऐसा कर देते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको घोषणा वैसी ही करनी चाहिए जैसा कि आपका इरादा हों। दोनों बातें क्यों करते हैं? डबल स्टैण्डर्ड ऑफ कैरेक्टर क्यों हो? अगर आप एक्स्प्लोइटेशन को बन्द करना चाहते हैं तो जो लूप होल्स हैं, इसकी leakage में जो ओपनिंग है पहले उनको बन्द किया जाय ताकि आप जिस रास्ते पर जाना चाहते हैं जिस रास्ते पर सदन को ले जाना चाहते हैं उसके लिए सही तरीके से आपकी मन्शा पूरी हो।

इन शब्दों के साथ, इस मन्शा से इस बिलको दुबारा सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहता हूं ताकि सारी की सारी मन्शा आपकी पूरी हो। लोगों के जो इरादे हैं, जो आपसे आशा करते हैं उनको किसी न किसी हद तक सन्तोष मिले।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंह नगर) : सभापति महोदया,....

श्रीमती सभानेत्री : केवल ५ मिनिट हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कल कन्टीन्यू कर लूंगा।

श्री रामकिशनजी निराश न हों इस कारण से कठिन हिन्दी बोल गया। मुझे क्षमा करें।

राजस्थान मनी लेंडर्स बिल प्रवर समिति की मन्जिल को तय करता हुआ आज सदन के सम्मुख उपस्थित है। इस बिल को जब सारा पढ़ा जाय जैसा कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट की बात है तो वे सारे कांग्रेस के मेम्बर्स जो कि सिलेक्ट कमेटी में उपस्थित थे और जो कांग्रेस में उपस्थित हैं वे सारे के सारे इस बिल से प्रभावित होते हैं। वैसे जिस रोज यह बिल पेश किया गया था उसी रोज काफी दमचख हुई कुछ लोग जो नोट ऑफ डिसेन्ट देना चाहते थे और जिनके बारे में सदन में रिमार्क्स पास किये, तो यह मैटर काफी डिस्कस हो चुका है। वे लोग पैसा देने वाली क्लास से ताल्लुक रखते हैं। उन लोगों ने खुद ने इस बात को स्वीकार किया है। इस प्रकार का एक ड्रामा सदन के सम्मुख पेश हो चुका है।

जहां तक भारत की ऋण–ग्रस्तता का ताल्लुक है मैं उसके सम्बन्ध में कुछ मिसाल इस बिल के अन्तर्गत सारी ही इस प्रकार की क्लाजेज़ हैं कि उनके ऊपर आगे और इस चीज को लेते हैं तो मैं यह अपना कर्तव्य समझूंगा कि मैं सदन के सम्मुख यह बात कहूं कि अंग्रेजी राज्य के समय से ही भारत की ऋणग्रस्तता एक चिन्ता का विषय बना हुआ था। और १९११ से भारत की ऋणग्रस्तता की बात सोचें तो भारतवर्ष के बड़े बड़े इकोनोमिस्ट्स ने अपने अपने समय पर सारे भारत का ऋण सम्बन्धी ऐससमेंट किया है और उन्होंने किसानों के ऋणों को क्लासिफाई भी किया है कि किसान किस किस प्रकार के ऋण लेते हैं, कितने ऋण वे इस प्रकार के लेते हैं कि जिनसे प्रोडक्शन को बढ़ाते हों और कितने ऋण इस प्रकार के लेते हैं जिनके लिये सामाजिक कुरीतियां जिम्मेवार हैं, जिनके लिए दूसरी सामाजिक व्यवस्थाएं जिम्मेवार हैं। इन ऋणों की राशि भी बड़े बड़े इकोनोमिस्ट्स ने तय की है और अगर सन् १९११ से लेकर इकोनोमिस्ट्स की रिपोर्ट को पढ़ा जाय तो डार्लिन जैसे इकोनोमिस्ट के ऊपर विचार कर सकते हैं। उन्होंने इस बात का निश्चय किया है कि ५९ पर्सेंट ऋण इस प्रकार का होता है कि जो समाज की कुरीतियों के कारण लेते हैं और केवल ४१ पर्सेंट ऋण ऐसा होता है जो कि किसान अपने एग्रीकल्चरल वर्क्स, ऑपरेशन के लिये लेता है। अगर १९११ के भारत के प्रसिद्ध इकोनोमिस्ट सर एडवर्ड जार्ज की रिपोर्ट पढ़ें तो उन्होंने ३०० करोड़ का ऋण एसेस किया था जो कि गरीब किसानों पर था। उसके बाद सर एस० एस० डार्लिन ने ५०० करोड़ रुपये का ऋण एसेस किया था।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उनका नाम क्या था ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : डार्लिन।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या डार्लिंग ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : Like that. सन् १९३० में कोम्रॉपरेटिव बैंकिंग जांच समिति ने ९०० करोड़ रुपये का ऋण एसेस किया था। १९३५ में डॉक्टर राधाकृष्ण मुकर्जी ने १२०० करोड़ का एसेस किया और १९३७ में १८०० करोड़ का कृषि सोइल विभाग ने सारे भारतवर्ष का किया। और इसके बाद के आंकड़े लें तो ये ऋण के आंकड़े बढ़ते ही चले गये। इन सारी चीजों में विभिन्न प्रान्तों में अपने अपने रूप से आज से बहुत समय पहले से किसानों को ऋण से बचाने के लिए कानून बनाया। पंजाब में सर छोटूराम ने किसानों की इस गिरी हुई अवस्था को देखा। सर छोटूराम का नाम पंजाब के एक एक किसान के मुंह पर है क्योंकि उन्होंने किसानों को मनी लैंडर्स से मुक्त किया है। अगर गांव की सतह पर आप किसान से मिलें तो किसानों का सबसे बड़ा दुःख सूदखोर महाजन है। यहां तक कि उन लोगों ने कहावतों में जगह ले ली। जयपुर की कहावत को ले लें तो किसान कहता है—

"बाण्या थारी बाण, कोई नर जाणे नहीं;
पीवे अनछाण्यो लहू और पाणी पीवे छाण।"

सूदखोर महाजन के लिए किसान बोलता है....

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल २।। बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के ८-०० बजे, मंगलवार, दिनांक १७ सितम्बर, १९६३ के म.प. ढाई बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

सोमवार दिनांक १६ सितम्बर, १९६३

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक १

खनिज सम्पदा के विकास हेतु नियम बनाने की आवश्यकता।

ग्रामपंचायत अलीगढ़का ऑडिट।

स्कूल के लिये श्रमदान।

मेसर्स शारदा इन्डस्ट्रीज़ (प्रा.)लि.।

राजस्थान स्टेट होटल, जयपुर।

खाद व बीज वितरण।

भाखरा प्रोजेक्ट एरिया में नई मंडियों के लिये मंडी कमेटी।

गंगानगर जिले में विलेज लेवल वर्कर तथा पंचायतें।

शाही लेदर वर्क्स, भरतपुर।

मावली तहसील में तालाब के लगान की वसूली।

बूंदी जिले में गैरआबादी भूमिपर मकान।

चटर्जी कमीशन की रिपोर्ट।

काश्त के लिये भूमि का अलॉटमेंट।

ग्राम पंचायत धोलागढ़ (अलवर)।

गर्ल्स स्कूल के लिये नया भवन।

स्कम्भ

रेवेन्यू कलेक्शन के अलाउन्स की बकाया।

भरतपुर में ट्यूब वेल्स।

न्याय पंचायत का स्थानांतरण।

माईनर मिनरल्स की लीजेज की न्यूनतम सीमा निर्धारण।

कनैरा मिडल स्कूल की फीसें।

पंचायत को इन्तकाल दर्ज करने के अधिकार।

प्रतापगढ़ मल्टीपर्पज हायर सैकन्ड्री स्कूल में बायलॉजी कक्षायें।

लम्बरदारी व चौधरी सिस्टम।

राजनैतिक पीड़ितों को जमीनें।

चीनी कोटा वितरण।

भाखरा क्षेत्र में स्माल लैंड-होल्डर्स।

हरिजन मोहल्ले मे सरकारी खर्चे से पाइप लाइन।

अलवर में प्रेस लगाने के लिए कर्जा।

गंगानगर शुगर मिल।

नम्बरदार की हैसियत से रकम की वसूली।

स्कम्भ

भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध गबन की शिकायत ।

भूतपूर्व जागीरदारों को म्यूटेशन फीस की वापसी ।

स्थगित प्रश्न

(६–६–६३)

सर्फेस रेन्ट की वसूली ।

२. स्थगन–प्रस्ताव ८४

श्री विजयसिंह झाला, श्री राम-किशन, श्री हरिप्रसाद शर्मा, श्री भैरोंसिंह, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्री-यूनिवर्सिटी की सन् १६६४ की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये जनरल इंग्लिश के पार्ट 'ए' में ८० प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य कर देने, पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को कॉलेज में प्रवेश न मिलने, परीक्षा तथा शिक्षा शुल्क में वृद्धि किये जाने व कोटा में चल रही विद्यार्थियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के बारे में जिन स्थगन–प्रस्तावों की सूचनायें दी थीं उन्हें सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई ।

शिक्षा मन्त्री इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट करने हेतु एक वक्तव्य देंगे ।

३. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना १०४

प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के

स्कम्भ

अन्तर्गत, कुंवर श्री महेन्द्रसिंह, सदस्य, विधान सभा, ने आलनिया डेम (तहसील लाडपुरा, जिला कोटा) के निर्माण से कतिपय ग्राम डूब में आ जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सिंचाई मन्त्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री दिनेशराय डांगी, उप-मन्त्री, सिंचाई ने इस संबंध में एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया ।

४. कॉटन ट्रांसपोर्ट एक्ट, १६२३ की धारा ८ के अन्तर्गत बनाये गये राजस्थान कॉटन ट्रांसपोर्ट नियम, १६६३ के प्रारूप पर विचार १०६

श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मन्त्री ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा स्वीकार किया गया :—

"This House resolves that in pursuance of section 8 of the Cotton Transport Act, 1923 (Central Act 3 of 1923), the Rajasthan Cotton Transport Rules, 1963 laid in draft on the Table of the House on the 19th day of August, 1963 be approved.

(संकल्प का हिन्दी अनुवाद)

"यह सदन संकल्प करता है कि कॉटन ट्रांसपोर्ट एक्ट, १६२३

स्कम्भ

(केन्द्रीय एक्ट ३, १९२३) की धारा ८ के अनुसरण में दिनांक १९ अगस्त, १९६३ को सदन की मेज पर रखा गया राजस्थान काटन ट्रांसपोर्ट नियम, १९६३ का प्रारूप अनुमोदित किया जाय।"

५ विधायी कार्य

विचारार्थ लिया गया विधेयक : राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६३ ११२

[The Rajasthan Money-Lenders Bill, 1963]

श्री रामप्रसाद लड्ढा, प्रभारी मन्त्री के इस प्रस्ताव पर कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री दुर्गालाल बाढ़दार ने विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया । संशोधन प्रस्ताव का समर्थन निम्नांकित सदस्यों द्वारा किया गया :

(१) श्री विजयसिंह झाला

(२) श्री जयलाल

(३) श्री लक्ष्मीचन्द

(४) श्री जोधसिंह चौहान

(५) श्री चन्द्रसिंह बर्फा

(६) श्री मानसिंह महार

स्कम्भ

(७) श्री हरिप्रसाद शर्मा

(६३)

श्री रामकिशन ने विधेयक को एक दूसरी प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका समर्थन निम्नांकित सदस्यों द्वारा किया गया :—

(१) श्री कृष्णकुमार गोयल

(२) श्री गंगासिंह (४५)

(३) महारावल श्री लक्ष्मणसिंह

(४) श्री रघुनाथ विश्नोई

(५) श्री केदारनाथ

(६) श्री नाथूलाल करौल ने विधेयक को उसी प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन रखा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा बोल रहे थे कि सदन की बैठक ठीक ८ बजे मंगलवार, दिनांक १७ सितम्बर, १९६३ को दिन के २—३० बजे तक के लिये स्थगित की गई ।

मंगलवार, दिनांक १७ सितम्बर, १९६३ की कार्य-सूची

राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६३

(खण्डशः विचार—विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७६२ का उत्तर देखिये)

धोलागढ़ मवेशियों के मेले में लगाये गये टैक्सों से प्राप्त राशि की सूची

क्रमांक	वर्ष	टैक्स से प्राप्त रकम
१.	१९५५	६६४४) रु०
२.	१९५६	६६१३) रु०
३.	१९५७	६२३१) रु०
४.	१९५८	३५६९) रु०
५.	१९५९	३६५८) रु०
६.	१९६०	३३७३) रु०
७.	१९६१ बैसाख	३७०८) रु०
८.	१९६१ कार्तिक	६३८) रु०
९.	१९६२ बैसाख	५८२८) रु०
१०.	१९६२ कार्तिक	७५६) रु०
११.	१९६३ बैसाख	५८५७) रु०
		४६८७५) रु०

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७६५ का उत्तर देखिये)

S. No.	Place	Footage	Discharge	Static water level	Draw down	Remarks
१.	मंगरोल	२३७	५०००	३१	६०	
२.	सिलाग्रर	४४५	३५४००	६५	१२	
३.	जगमोहन पुरा	४४५	३५४००	७१	११.५	
४.	देवखेड़ा	५००	२४०००	५५	११.४	इसका डवलपमेंट कुछ बाकी है
५.	बसीगीयाराम	३६०	५०००	७६	१८.४	
६.	धारापुरा	४१३	४५००	८०	१८.५	

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७६८ का उत्तर देखिए)

Copy of order No. F. 3 (ii) (85) Ind (B) / 59 dated 6th November 1961 issued from Industries Mines & Labour Department (B) Rajasthan, Jaipur and copy endorsed to this office vide No. F. 3 (ii) (85) Ind (B)/59/ 6844 dated 6th November, 1961 and others.

With a view to develop the Limestone Mining Industry, it has been decided by the Government that the minimum areas in the various divisions of Rajasthan for Limestone Mining shall be granted as below :-

(1) Divisions of Kotah, Udaipur and Bikaner.	150 Metres x 150 Met.
(2) For Gotan, Sojat, Atbara and Mundwa ranges in Jodhpur Division.	25 sq. Kilo Metres
(3) For Maonda & Kotputli ranges in Jaipur Division.	10 sq. Kilo Metres
(4) In other places in Jaipur and Jodhpur Divisions.	150 Metres x 150 Metres.

Copy of Addendum no. F. 3(ii) (85) Ind (B)/59 dated 28—11—61 from Industries & Mines (B) Department, Rajasthan, Jaipur and copy to this office vide No. F. 3 (ii) (85) Ind (B) / 59 / 7156 dated 28-11-61 and others.

Kindly add "Bairath" after the word "Kotputli" occuring in item No. 3 in the order issued vide this Department No. F. 3 (ii) (85) Ind (B)/ 59 dated 6th November, 1961.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

INDUSTRIES & MINES (B) DEPARTMENT

No. F. 3 (ii) (85) Ind(B)/60 Dated Jaipur 13th June, 62

ORDER

Government order No. F. 3 (ii) (85) Ind (B) / 59 dated the 6th November, 1961 restricting minimum areas for Limestone in various divisions published at page 301 of Part I B of the Rajasthan Gazette No. 36 dated 7th December 1961 may be amended as below :—

(1) Kindly delete the word "Udaipur" from item No. 1.

(2) Kindly substitute item No.2 as Divisions of Udaipur & Bhilwara 50 Metres by 50 metres.

(3) Kindly re-number item No. 2, 3 & 4 as 3, 4 & 5.

No. F. 3 (ii) (85) Ind (B) 60/2878

Dated Jaipur, 13th / 15th june, 62.

Copy forwarded to the following for information and necessary action and guidance.

(2) The Director of Mines & Geology, Rajasthan, Udaipur with reference to his letter No. DMG/Dev/Misc/16/59/1633 dated 30—4—62

परिशिष्ट—४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७७३ का उत्तर देखिए)

सूची राजनीतिक पीड़ितों की जिनको जिला श्री गंगानगर में जमीन दी गई।

क०सं०	नाम तहसील	नाम राजनीतिक पीड़ितो जिनको जमीन दी गई	नाप चूक जहां जमीन दी गई	रकबा जो दिया गया	कैफियत
	१	२	३	४	५
१.	गंगानगर	मु० मूला बेवा बोरबल हरिजन गंगानगर	३ एच बडा	२५ बीघा	
२.	वही	श्री मघाराम वल्द चुन्नीलाल वैद, बीकानेर	१० एल एल	२१ बीघा	१५ विस्वा ता० २४-१२-५८ को जमीन बेच दी
३.	वही	परमानन्द वल्द हरीराम सा० गंगानगर	१० एल एल	२५ बीघा	श्री परमानन्द को जमीन अलाट हुई थी मगर बादमें महकमा कमिश्नर, बीकानेर २९-७-५७ कैंसिल की गई।
४.	पदमपुर	श्री मेलाराम वल्द हवेलीराम	१ एम एफ बी ए	५० बीघा	
५.	वही	शिवकवर सिंह वल्द चैनसिंह	४ आर बी ५ आर बी	५० बीघा	

१	२	३	४	५
६. वही	श्री गजनसिंह वल्द मेजासिंह	ह ३१ बी बी	२५ बीघा	
७. हनुमानगढ़	श्री हरनाथ वल्द चुन्नीराम जाट फतेगढ़	तहसील हनुमानगढ़	१५ बीघा	
८. हनुमानगढ़	श्री धर्मपाल वल्द जगमाल, हनुमानगढ़	वही	२५ बीघा	
९. वही	मु० दुर्गादेवी धर्मपत्नि सोमदत्त सा० ढाणी नूरपुरा	वही	२० बीघा	
१०. सूरतगढ़	श्री हंसराज वल्द मोतीराम सा० घोटडा तहसील भाखरा	३४ एस०टी०जी०	२४ बीघा १७ विस्वा	
११. वही	श्री पन्नालाल वारुपाल, एम० पी० बीकानेर	३४ एस०टी०जी०	२५ बीघा	
१२. वही	श्री मेताराम वल्द जोतराम जाट सा० नोरी तहसील झुंझनू	६ बी०आर०पी०	२० बीघा	
१३. गंगानगर	श्री कृष्णादेवी वेवा पण्डित जीवणदत्त	—	२५ बीघा	
१४. पदमपुर	श्री सोहनसिंह वल्द धन्नासिंह	—	१२॥ बीघा	
१५. वही	श्री गोपाल सैन चौधरी	—	५० बीघा	

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७७८ का उत्तर देखिए)

तालिका

वे फर्म जिनमे स्पेयर पार्ट्स खरीदे गए :

१ — मेसर्स विशम्भर दयाल बद्री प्रसाद	रु०	३३,१६१.८७
२ — मेसर्स एच० एम० दयाल एण्ड कम्पनी	रु०	१,३३६.४१
३ — मेसर्स रामजीलाल रामस्वरूप	रु०	१६६.३४
४ — मेसर्स रतन जी भगवानी एण्ड कम्पनी	रु०	२,४२३.५०
५ — मेसर्स देहली मशीनरी स्टोर्स	रु०	१७६.१३
३ — मेसर्स आर० एस० दास एण्ड सन्स	रु०	५,०३७.६५
७ — मेसर्स मोहनसिंह जगतसिंह	रु०	६००.००
८ — मेसर्स नार्दर्न स्टील एण्ड जनरल मिल्स	रु०	१,२६६,४०
६ — मेसर्स यूनिवर्सल इन्जीनियरिंग वर्क्स	रु०	४०६.००
	रु०	४४,६१६.७०

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७७९ का उत्तर देखिये)

सूची ग्राम छत्रगढ़, सतासर मोतीगढ़ व लाखुसर के नम्बरदारों की जिनमें सं० २०१६ से सं० २०१८ भू-राजस्व की वसूली की

क्रम संख्या	नाम गांव	सं० २०१६ वसूली की	सं० २०१६ पिचोतरा दिया गया	सं० २०१७ वसूली की	सं० २०१७ पिचोतरा दिया गया	सं० २०१८ वसूली की	सं० २०१८ पिचोतरा दिया गया
१	२	३	४	५	६	७	८
१ –	छत्रगढ़	१ पीरबक्स १ २ हिन्दालखां ३ हुसेनखां ४ जोरेखां	हिन्दालखां	अकाल होने के कारण वसूली नहीं हुई।	वसूली नहीं हुई अतः पिचोतरा वाजिब नहीं हुआ।	१ हिन्दालखां २ पीरबक्स ३ कमाल ४ रहीम ५ जलाल खां ६ जोरेखां ७ हुसेन ८ गुलाम कादर ९ हासल	रकम पास होकर आ चुकी है। वितरण की कार्यवाही जारी है।
२ –	सतासर	१ मीठे खां	अजीमखां	*	*	१ मीठे खां	अजीम खां को दिया

१	२	३	४	५	६	७	८
		२ अजीम खां				२ अजीम खां	
३	मोती गढ़	१ बख्तावरसिंह	नाजमोहम्मद	„	„	१ नाजू खां	नाजू खां
		२ नाजमोहम्द	बख्तावरसिंह	„	„		
		३ सिवाराम					
४	लाखुसर	१ खियाराम	खियाराम	„	„	१ सूजाराम	सूजाराम

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक १६ सितम्बर, १९६३)

स्कम्भ-सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
६	शीर्षक	–६ सितम्बर	१६ सितम्बर
११	२	हानी	हानि
१२	८	एग्जीयूटिव	एक्जीयूटिव
१८	अन्तिम से ३,४	की अधिकारी	अधिकारी की
२०	१	श्री सम्पतिलाल	श्री सम्पत्तिलाल
२१ से २४तक	शीर्षक	–६ सितम्बर	–१६ सितम्बर
२२	१३	शमा	शर्मा
,,	१४	लडढा	लड्ढा
२३	१०	लूणकरसर	लूणकरणसर
,,	अन्तिम	का ध्यानो	को ध्यान
३०	अन्तिम	क	का
३१ से ३४तक	शीर्षक	–६ सितम्बर	–१६ सितम्बर
३३	१३	दया	दिया
,,	२३	भविस्य	भविष्य
३६	शीर्षक	–६ सितम्बर	–१६ सितम्बर
४३ से ४६तक	,,	,,	,,
४५	२	हिन्दूस्तान	हिन्दुस्तान
,,	१३	एन्वान्टेज	एडवान्टेज
,,	अन्तिम से ५	(नीम्बाहेडा)	(निम्बाहेडा)
४६	अन्तिम से ५	श्री निं जननाथ	श्री निरन्जननाथ
४८	१२	ble Sevnth	Sevnth
४९	१६	टीनसी	टीनेन्सी
५७ से ६४तक	शीर्षक	सितम्बर	सितम्बर
५७	७	लहीने	महीने
५८	१४	१ १६	१७१६
५९	६	ठीनेन्टस	टीनेन्टस
६३	अन्तिम	यद	यदि
६५	१३	हीने	होने
,,	२३	प्रशन	प्रश्न
६६	शीर्षक	–६	–१६ सितम्बर
७७	शीर्ष	(श्री गंगासिह)	(श्री गंगासिह)
७९	१७	विचाराधीन	विचाराधीन

१	२	३	४
८३	अन्तिम से ५	देका	देना
८४	२४	इंगलिश	इंग्लिश
८५	८	श्री हरिप्रसाद शर्मा:	श्री हरिप्रसाद शर्मा
८६	अन्तिम	निकमने	निकलने
८७	१०	रो।	रोज
८८	अन्तिम से ३	परोन्ट	परसेन्ट
८९	२	Point	a point
,,	८	श्री भैरोंसिंह	श्री भैरोंसिंह
९७	शीर्षक	स्थगत	स्थगन
,,	६	श्री रामकिसन	श्री रामकिशन
९८	१६	श्री योगेन्दनाथ	श्री योगेन्द्रनाथ
१०२	१८	Skall	shall
१०४	१० व ११	(स्वतन्त्रपार्टी के सदस्यों द्वारा बर्हिगमन)	(स्वतन्त्रपार्टी के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)
,,	२२	उपाध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
,,	२८	डूब से में	से डूब में
१०५	शीर्ष	गांसडी	गांवडी
१०६	१५	द्वारा अनुमोदित	द्वारा अनुमोदन
११०	अन्तिम	नि न	नियम
११२	५	राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६२	राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६३
११३	अन्तिम से ३	(अजमेर)	आमेर
११५	२२	जायेमा	जायेगा
११६	५	बात	बात
११७	अन्तिम से ८	एवडान्स	एडवान्स
१२१	अन्तिम से २	विश्राम	विश्वास
१२३	अन्तिम	i am	I am
१२४	१२	होत	होता
१२६	अन्तिम	अ ग	अपघात
१२७	६	(५. प.)	(५.०० म० प)
,,	१३	अमानित	अपमानित
,,	१४	अपमानि	अपमानित होती
१३०	अन्तिम से ५	श्री विजयसह	श्री विजयसिंह
१४०	११	अधिकार	अधिकार
,,	१६	:(उप मन्त्री राजस्व)	(उप-मन्त्री, राजस्व):
१४५ से १४८तक	शीषंक	सितम्बर	सितम्बर,
१४७	६	लाइसेस	लाइसेन्स
१५३	६	बिशनोई	बिश्नोई
१५५ से १८० तक	शीर्षक	६ सितम्बर १५६१	१६ सितम्बर, १५६
१५९	स्तम्भ		

१	२	३	४
१५९	२१	येरमैन	चेयर मैन
१६०	११	श्री मानासह	श्री मानसिंह
१६३	शीर्ष	(श्रो	(श्री
१७५	अन्तिम से ९	,मैं	है, मैं
१७७	शीर्षक	१६ सतम्बर	१६ सितम्बर
,,	४	क्रापटस	क्रॉप्ट्स
,,	अन्तिम	भ्र्म	भ्रम
१७९	४	शाषण	शोषण
१८९	शीर्ष	(श्रो कृष् कुमार गोयल)	(श्री कृष्णकुमार गोयल)
,,	अन्तिम से ४,	राठोड़	राठौड़
१९०	५,८	,,	,,
१९६	२	भ्र्ष्टाचार	भ्रष्टाचार
१९९	शीर्षक	बिवेयक	विधेयक
२०७	२	म	में
२०९	शीर्षक	साहूकांर	साहूकार
२१६	६	गिरपतार	गिरफ्तार
२१७	शीर्ष	(श्री केदांरनाथ)	(श्री केदारनाथ)
२२०	१२	कुरीतियां	कुरीतियां
२२३	१	सोमवार	सोमवार,
२३७	आइटम ५ वें की पांचवीं पंक्ति	कैंसिल	कौंसिल